भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 951

जिसका उत्तर शुक्रवार, 03 दिसम्बर, 2021 को दिया जाना है

न्यायिक बुनियादी ढांचे के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं का विस्तार

951. श्री कोथा प्रभाकर रेड्डी :

श्री खगेन मुर्मु :

श्रीमती वांगा गीता विश्वनाथ :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में आयोजित राज्यों के कानून मंत्रियों के एक सम्मेलन में देश भर में न्यायिक बुनियादी ढांचे की कमी के मुद्दे पर चर्चा की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं ;

(ग) क्या राज्यों को न्यायिक अवसंरचना और सुविधाओं की कमी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) न्यायपालिका के लिए बुनियादी ढांचे के विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना (सी.एस.एस.) के विस्तार के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं और पिछले पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान स्वीकृत/खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्या य मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (घ) : चालू वर्ष के दौरान राज्य के विधि मंत्रियों का कोई सम्मेलन आयोजित नहीं किया गया है। न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास का प्राथमिक उत्तरदायित्व राज्य सरकारों के अधीन होता है। राज्य सरकारों के साधनों के संवर्धन के लिए , संघ सरकार विहित निधि साझा पैटर्न में राज्य

सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करके जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए एक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम को क्रियान्यवित किया है। यह स्कीम 1993-94 से क्रियान्वित की जा रही है। अब तक केंद्रीय सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्कीम के अधीन 8709.77 करोड़ रु.मंजूर किए हैं। इस स्कीम को समय-समय पर बढ़ाया गया है। इस स्कीम के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका के न्यायिक अधिकारियों के लिए न्यायालय भवनों और आवासीय आवास के सनिर्माण के लिए निधियां जारी की जाती हैं। सरकार ने 9000 करोड़ रुपये के कुल बजटीय परिव्यय के साथ 1.04.2021 से 31.03.2026 तक पांच वर्षों की और अवधि के लिए हाल ही में उपरोक्त स्कीम को बढ़ा दिया है , जिसके अंतर्गत 5307 करोड़ रुपये का केंद्रीय हिस्सा भी सम्मिलित है। जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में शौचालयों , डिजिटल कंप्यूटर कक्षों और वकीलों के हॉल के निर्माण को भी कवर करने के लिए स्कीम के घटकों का विस्तार किया गया है।

पिछले पांच वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस स्कीम के अधीन जारी की गई निधियां निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	**जारी की गई निधियां** (करोड़ रुपए में)
2016-17	538.74
2017-18	621.21
2018-19	650.00
2019-20	982.00
2020-21	593.00
2021-22 (आज तक)	384.52

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 963
जिसका उत्तर शुक्रवार, 03 दिसम्बर, 2021 को दिया जाना है

अखिल भारतीय न्यायिक सेवा

963. श्रीमती कविता मलोथू :
डॉ. जी. रणजीत रेड्डी :
डॉ. वेंकटेश नेता बोरलाकुंता :
श्री दयाकर पसुनूरी :
क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) क्या प्रस्तावित अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (एआईजेएस) संविधान के संघीय ढांचे के साथ छेड़छाड़ करने में सक्षम है, क्योंकि निचली न्यायपालिका राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आती है ;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और एआईजेएस के लिए नए प्रयास करने के क्या कारण हैं ;
(ग) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल, केरल, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड आदि जैसे राज्यों ने एआईजेएस के कार्यान्वयन का विरोध किया है ; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (घ) : अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का सृजन करने का उपबंध संविधान के अनुच्छेद 312(1) में उपबंधित है । सरकार के विचार में, सम्पूर्ण न्याय परिदान प्रणाली को, सुदृढ करने के लिए उचित रुप से बनाई गई अखिल भारतीय न्यायिक सेवा महत्वपूर्ण है । यह एक उचित अखिल भारतीय योग्यता चयन प्रणाली के माध्यम से चयनित उपयुक्त रुप से अर्हित नए प्रतिभाशाली विधिक व्यक्तियों के प्रवेश का अवसर प्रदान करेगी, और साथ ही यह समाज के सीमांत और वंचित वर्गों के लिए उपयुक्त प्रतिनिधित्व को समर्थ बनाकर सामाजिक समावेशन के मुद्दे का समाधान करेगी ।

अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (एआईजेएस) के गठन के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव बनाया गया था और उसे नवम्बर, 2012 में सचिवों की समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था । देश में कुछ बेहतरीन प्रतिभागियों को आकृषित करने के अलावा, यह सीमान्त वर्गों के सक्षम व्यक्तियों और महिलाओं के न्यायपालिका में समावेशन को भी सुकर बना सकता है । अप्रैल, 2013 में आयोजित मुख्य मंत्रियों तथा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में इस प्रस्ताव को कार्यसूची मद के रुप में सम्मिलित किया गया था और यह विनिश्चय किया गया था कि इस मुद्दे पर और विचार-विमर्श तथा ध्यान देने की आवश्यकता है।

इस प्रस्ताव पर राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों से विचार मांगे गए थे । अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन पर राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों के बीच मत भिन्नता थी। जबकि, कुछ राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों ने प्रस्ताव का समर्थन किया, कुछ अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के सृजन के पक्ष में नहीं थे, जबकि कुछ अन्य, केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए प्रस्ताव में परिवर्तन चाहते थे। 03 राज्य एआईजेएस के गठन के पक्ष में है, 09 राज्य पक्ष में नहीं हैं, उत्तराखंड सहित 5 राज्य प्रस्ताव में परिवर्तन चाहते है और पश्चिमी बंगाल, केरल, आंध्र प्रदेश सहित 11 राज्यों ने अभी तक कोई उत्तर नहीं दिया है।

जिला न्यायाधीशों के पद पर भर्ती और सभी स्तरों पर न्यायाधीशों/न्यायिक अधिकारियों के चयन प्रक्रिया के पुनर्विलोकन में सहायता करने के लिए न्यायिक सेवा आयोग के सृजन से संबंधित विषय मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन की कार्यसूची में भी सम्मिलित किया गया था जो 3 और 4 अप्रैल, 2015 को आयोजित किया गया था, जिसमें यह संकल्प किया गया था कि यह संबंधित उच्च न्यायालयों के लिए खुला छोड़ दिया जाए जिससे कि वे जिला न्यायाधीशों की शीघ्रतापूर्वक नियुक्ति के लिए रिक्तियों को भरने हेतु विद्यमान प्रणाली के भीतर समुचित पदधतियां विकसित कर सकें । अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन के लिए प्रस्ताव के साथ राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों से प्राप्त विचारों को 5 अप्रैल, 2015 को आयोजित मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों के संयुक्त सम्मेलन के लिए कार्यसूची में सम्मिलित किया गया था । तथापि, इस विषय पर कोई प्रगति नहीं हुई थी ।

अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की स्थापना के प्रस्ताव पर, 16 जनवरी, 2017 को विधि और न्याय राज्य मंत्री, भारत के महान्यायवादी, भारत के महासॉलिसिटर, न्याय विभाग, विधि कार्य विभाग तथा विधायी विभाग के सचिवों की उपस्थिति में विधि और न्याय मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में पात्रता, आयु, चयन मानदण्ड, अर्हता, आरक्षण आदि के बिन्दुओं पर पुन: चर्चा की गई थी। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा पर मार्च, 2017 में संसदीय परामर्श समिति और तारीख 22.02.2021 को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के कल्याण से संबंधित संसदीय समिति की बैठक में भी विचार-विर्मश किया गया था ।

पणधारियों के बीच विद्यमान मत भिन्नता को दृष्टिगत रखते हुए, सरकार एक समान आधार पर पहुंचने के लिए पणधारियों के साथ परामर्श की प्रक्रिया में लगी हुई है।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 986
जिसका उत्तर शुक्रवार, 03 दिसम्बर, 2021 को दिया जाना है

राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना प्राधिकरण

986. श्री ए. राजा :
श्री एम. बदरुद्दीन अजमल :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) क्या भारत में न्यायालयों में अवसंरचना का अभाव जैसे अपर्याप्त स्थान के साथ न्यायालय कक्ष तथा आधुनिक सुविधाओं की कमी है और न्यायालय परिसरों में महिलाओं के लिए पृथक शौचालय चिकित्सा सहायता केंद्र, वाटर प्यूरीफायर तथा पुस्तकालय जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं, जिससे उनके लिए प्रभावी रूप से कार्यनिष्पादन करना मुश्किल हो जाता है ;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन निचले न्यायालयों का प्रतिशत कितना है जहां महिलाओं के लिए शौचालय नहीं है ;
(ग) क्या मंत्रालय को न्यायालयों के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचे की व्यवस्था के लिए राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना प्राधिकरण की स्थापना के संबंध में भारत के मुख्य न्यायाधीश से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और व्यापार सुगमता सुनिश्चित करने के लिए न्यायिक अवसंरचना में सुधार हेतु सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का ब्यौरा क्या है ; और
(ङ) सरकार द्वारा अगले पांच वर्षों में राज्यों को प्रदान की गई या की जाने वाली धनराशि का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) और (ख) : भारत के उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री ने न्यायिक अवसंरचना और न्यायालय सुविधाओं की स्थिति पर डाटा संकलित किया है जिसमें न्यायालय कक्ष का आकार, बुनियादी चिकित्सा सुविधाएं, प्यूरिफायर के साथ पीने का पानी, पुस्तकालय और शौचालय सम्मिलित हैं। इस डाटा के अनुसार, 26% न्यायालय परिसर में अलग से महिला शौचालय नहीं है।

(ग) से (ड.) : जी हां । न्यायालयों के लिए पर्याप्त अवसंरचना की व्यवस्था के लिए भारतीय राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना प्राधिकरण (एनजेआईएआई) की स्थापना करने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिसके अनुसार मुख्य संरक्षक के रूप में भारत का मुख्य न्यायाधीश एक शासी निकाय होगा। प्रस्ताव में अन्य मुख्य विशेषताएं यह हैं कि भारतीय राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना प्राधिकरण सभी उच्च न्यायालयों के अधीन समान संरचनाओं के अतिरिक्त, भारतीय न्यायालय प्रणाली के लिए कार्यात्मक अवसंरचना ढांचे की

योजना, निर्माण, विकास, रखरखाव और प्रबंधन के लिए रोड मैप तैयार करने में एक केंद्रीय निकाय के रूप में कार्य करेगा। .

न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास की प्राथमिक उत्तरदायित्व राज्य सरकारों की है। राज्य सरकारों के साधनों को बढ़ाने के लिए, संघ सरकार विहित निधि साझा पैटर्न में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करके जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए एक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम को क्रियान्यवित कर रही है। यह स्कीम 1993-94 से क्रियान्वित की जा रही है। अब तक केंद्रीय सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्कीम के अधीन 8709.77 करोड़ रु.मंजूर किए हैं। इस स्कीम को समय-समय पर बढ़ाया गया है। इस स्कीम के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका के न्यायिक अधिकारियों के लिए न्यायालय भवनों और आवासीय प्रसुविधा के निर्माण के लिए निधियाँ जारी की जाती है। सरकार ने 9000 करोड़ रुपये के कुल बजटीय परिव्यय के साथ 01.04.2021 से 31.03.2026 तक पांच वर्ष की और अवधि के लिए हाल ही में उपरोक्त स्कीम को बढ़ा दिया है, जिसके अंतर्गत 5307 करोड़ रुपये का केंद्रीय हिस्सा भी सम्मिलित है। जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में शौचालयों, डिजिटल कंप्यूटर कक्षों और वकीलों के हॉल के निर्माण को भी कवर करने के लिए स्कीम के घटकों का विस्तार किया गया है और जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में शौचालय परिसर के संनिर्माण के लिए 47.00 करोड़ रुपये काअनुमोदन किया गया है ।

उच्च न्यायालयों द्वारा उपलब्ध करायी गयी जानकारी के अनुसार तारीख 31.10.2021 तक जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में 20,565 न्यायालय कक्ष एवं 18,142 आवासीय इकाइयाँ उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त, 2841 न्यायालय हॉल और 1807 आवासीय इकाइयां निर्माणाधीन हैं।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1019
जिसका उत्तर शुक्रवार, 03 दिसम्बर, 2021 को दिया जाना है

महिला कैदियों के लिए विधिक सहायता

1019 श्री हेमन्त तुकाराम गोडसे :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूरे देश में गरीब महिला कैदियों को विधिक सहायता उपलब्ध नहीं हो पाती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का ऐसी महिलाओं की मदद के लिए वकील नियुक्त करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार, ऐसे वकीलों की उपस्थिति तथा मासिक आधार पर कितने मामलों में उन्होंने सलाह दी की निगरानी करने के लिए कोई तंत्र स्थापित करेगी ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) और (ख) : जी नहीं। विधिक सेवा प्राधिकरण, सभी कैदियों को, जिसके अंतर्गत महिला कैदी भी हैं, जेल अभ्यागत वकीलों, परा-विधिक स्वयंसेवियों द्वारा चलाये जाने वाले जेल विधिक सेवा क्लिनिकों और रिमांड अधिवक्ताओं के माध्यम से निःशुल्क विधिक सेवा उपलब्ध करा रहे हैं । वर्ष 2020 में, 18377 महिला कैदियों को जेल विधिक सेवा क्लिनिकों के माध्यम से विधिक सहायता उपलब्ध कराई गई थी और 2754 महिला कैदियों को अन्य पद्धतियों के माध्यम से विधिक सहायता उपलब्ध कराई गई थी । इसके अतिरिक्त, विधिक सेवा संस्थानों ने मजिस्ट्रेट न्यायालयों और सत्र न्यायालयों में, जहां कहीं अपेक्षित है, रिमांड अधिवक्ता नियुक्त किए हैं । अप्रैल 2021 तक, 7296 रिमांड अधिवक्ता, गिरफ्तार हुए व्यक्तियों जिसके अंतर्गत महिलाएं भी हैं, दाण्डिक न्यायालयों में विधिक सेवा उपलब्ध करा रहे हैं । इसके अतिरिक्त, जेलों में नियमित अंतरालों पर अंत:वासियों को, जिसके अंतर्गत महिलाएं भी हैं, उनके विधिक अधिकारों के बारे में जानकारी देने के लिए जिसमें जमानत का अधिकार भी है, जागरुकता कैंप आयोजित किए जाते हैं ।

(ग) से (ङ) : राष्ट्रीय सेवा विधिक प्राधिकरण (एनएएलएसए) के पास विधिक सेवा प्राधिकरणों के पैनल वकीलों की सेवाओं की निगरानी करने के लिए पहले से ही एक तंत्र है ।न्यायालय

आधारित विधिक सेवाओं की निकट निगरानी और पैनल वकीलों को परामर्श और मार्गदर्शन हेतु निगरानी और परामर्श समितियां स्थापित की गई हैं । एनएएलएसए, जेल अंत:वासियों के लिए गुणवत्ता और योग्यता पर विशेष रूप से बल देते हुए, जिसका फ़ायदा महिला कैदियों को भी मिलता है, विधिक सहायता तंत्र को सुदढ़ करने के लिए सक्रिय उपाय पहले से ही कर रही है ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1034
जिसका उत्तर शुक्रवार, 04 दिसम्बर, 2021 को दिया जाना है

लंबित मामले

1034. श्री नव कुमार सरनीयाः
श्री सौमित्र खान:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं का ब्यौरा क्या है ;

(ख) देश में न्यायालयों की कुल संख्या और प्रकार का राज्य और जिला-वार ब्यौरा क्या है ;

(ग) देश में सेवारत न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है और देशभर में न्यायिक रिक्तियों की संख्या का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र वार ब्यौरा क्या है ;

(घ) पश्चिम बंगाल सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र वार मामलों के शीघ्र निपटान के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों सहित देश में अब तक कितने मामले लंबित हैं ;

(ङ) क्या देश में सभी न्यायालयों को कम्प्यूटरीकृत कर दिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(च) राज्य/संघ राज्यक्षेत्र वार राज्य न्यायालयों उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालयों में अधिवक्ताओं की संख्या कितनी है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) : मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही भिन्न- भिन्न स्कीमों के ब्यौरे **उपाबंध-1** पर दिए हैं ।

(ख) : देश में न्यायालयों के पदाक्रम के अनुसार, भारत का उच्चतम न्यायालय शीर्ष न्यायालय है जिसमें संविधान द्वारा मूल, अपीली और परामर्शी अधिकारिता निहित की गई है । प्रत्येक राज्य में या राज्यों के समूह में उच्च न्यायालय राज्य के न्यायिक तंत्र के शीर्ष पर हैं जिसमें संविधान द्वारा मूल, अपीली और अन्य अधिकारिताएं निहित होती हैं । उच्च न्यायालयों के पास अपनी अधिकारिता के भीतर सभी न्यायालयों का अधीक्षण करने की शक्तियां भी होती हैं । उच्च न्यायालयों की सूची **उपाबंध-2** पर दी गई है । जिला और सत्र न्यायालय, जिला स्तर पर उच्चतम न्यायिक न्यायालय है । जिला और सत्र न्यायालय ऐसे अधीनस्थ न्यायालयों का

प्रत्यक्ष अधीक्षण करता है जो सिविल और दांडिक मामलों को निपटाते हैं । जिला और अधीनस्थ न्यायालय परिसरों की सूची **उपाबंध-3** पर दी गई है ।

(ग) : उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय तथा जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत पद संख्या, कार्यरत पद संख्या और रिक्ति की स्थिति के ब्यौरे क्रमश: **उपाबंध-4** और **उपाबंध-5** पर दिए गए हैं ।

(घ) : देश में लंबित मामलों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

क्र. सं.	न्यायालय का नाम	लम्बन निम्नलिखित तारीख तक
1	भारत का उच्चतम न्यायालय	70,038 (08.11.2021)*
2	उच्च न्यायालय	56,42,858 (29.11.2021)**
3	जिला और अधीनस्थ न्यायालय	3,79,42,466 (29.11.2021)**
4.	पश्चिमी बंगाल	
	उच्च न्यायालय	2,26,427 (30.11.2021)**
	जिला और अधीनस्थ न्यायालय	25,51,939 (3;.11.2021) **

स्रोत

*भारत के उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट

**राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी)

न्यायालयों में लम्बित मामलों का निपटारा न्यायपालिका के कार्यक्षेत्र में है । संबंधित न्यायालयों द्वारा विभिन्न प्रकार के मामलों के निपटारे के लिए कोई समय-सीमा विहित नहीं की गई है । न्यायालयों में मामलों के निपटारे में सरकार की कोई भूमिका नहीं है। न्यायालयों में मामलों का समय पूर्ण निपटारा बहुत से कारकों पर निर्भर करता है जिसमें, अन्य बातों के साथ, न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों, सहायक न्यायालय कर्मचारिवृन्द की पर्याप्त संख्या और भौतिक अवसंरचना की उपलब्धता, अंतर्वलित तथ्यों की जटिलता, साक्ष्य की प्रकृति, पणधारियों अर्थात् बार, अन्वेषण अभिकरणों, साक्षियों तथा मुवक्किलों का सहयोग और नियमों और प्रक्रियाओं का समुचित उपयोजन, सम्मिलित है । ऐसे कई कारक हैं जिनके कारण मामलों के निपटारे में विलम्ब होता है । इनके अन्तर्गत, अन्य बातों के साथ, न्यायाधीशों की रिक्तियां, बारंबार स्थगन तथा सुनवाई के लिए मामलों को मॉनिटर, निगरानी और इकठ्ठा करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था का अभाव है । केन्द्रीय सरकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार मामलों के त्वरित निपटारे तथा बकाया को कम करने के लिए पूर्णतया प्रतिबद्ध है । सरकार ने न्यायपालिका द्वारा मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए एक पारिस्थितिक प्रणाली प्रदान करने के लिए कई कदम उठाए हैं ।

न्याय के परिदान और विधिक सुधार के लिए राष्ट्रीय मिशन का गठन अगस्त, 2011 में न्याय प्रणाली में विलम्ब और बकाया को कम करके और संरचनात्मक परिवर्तनों के माध्यम से जबावदेही बढ़ाकर तथा निष्पादन मानक और क्षमताओं को नियत करके दोहरे उद्देश्यों के साथ दिया गया था । मिशन, न्याय प्रशासन में बकाया और लंबन के चरणवार कम करके के लिए एक समन्वित पहुंच अपना रहा है, जिसमें, अन्य बातों के साथ, न्यायालयों के लिए बेहतर अवसंरचना, जिसके अन्तर्गत कम्प्यूटरीकरण, अधीनस्थ न्यायपालिका की संख्या में वृद्धि,

अत्यधिक मुकदमेबाजी वाले क्षेत्रों में नीतिगत और विधायी उपाय, मामलों के त्वरित निपटारे के लिए न्यायालय प्रक्रिया का पुनः प्रबंधन तथा मानव संसाधन का विकास भी है ।

विभिन्न पहलों के अधीन पिछले छह वर्षों में उठाए गए प्रमुख कदम निम्नानुसार हैं :-

(i) **जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों के लिए अवसंरचना में सुधार करना :** वर्ष 1993-94 में न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए केंद्रीकृत प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) के प्रारंभ से आजतक 8709.77 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं । इस स्कीम के अधीन, न्यायालय हालों की संख्या, जो तारीख 30.06.2014 को 15,818 थी, बढ़कर तारीख 31.10.2021 तक 20,565 हो गई है और आवासीय इकाइयों की संख्या जो तारीख 30.06.2014 को 10,211 थी, से बढ़कर तारीख 31.10.2021 तक 18,142 हो गई है । इसके अतिरिक्त, 2,841 न्यायालय हाल और 1,807 आवासीय ईकाइयां निर्माणाधीन हैं । न्यायपालिका हेतु अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास हेतु केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम 9000 करोड़ रुपए की कुल लागत के साथ 2025-26 तक बढ़ा दी गई है जिसमें से केन्द्रीय हिस्सा 5307 करोड़ रुपए होगा । न्यायालय हालों तथा आवासीय इकाइयों के संनिर्माण के अतिरिक्तस अधिवक्ता हालों, शौचालय परिसरों तथा डिजीटल कम्प्यूटर कक्षों का संनिर्माण भी होगा ।

(ii) **न्याय के परिदान में सुधार के लिए सूचना और संसूचना प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का लाभ उठाना :** सरकार, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के सूचना और संसूचना प्रोद्योगिकी समर्थकरण के लिए देशभर में ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना का कार्यान्वयन कर रही है । 01.07.2021 तक कंप्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की संख्या में 18,735 की वृद्धि हुई है । 98.7% न्यायालय परिसरों में डब्ल्यूएएन कनेक्टिविटी प्रदान की गई है । मामले की सूचना का साफ्टवेयर का नया और उपयोक्ता अनुकूल संस्करण विकसित करके सभी कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में लगाया गया है । सभी पणधारी, जिनके अंतर्गत न्यायिक अधिकारी भी हैं, राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एन जे डी जी) पर कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों तथा उच्च न्यायालयों की न्यायिक कार्यवाहियों/निर्णयों से संबंध सूचना प्राप्त कर सकते हैं । तारीख 01.11.2021 तक इन न्यायालयों से संबंधित 19.56 करोड़ मामलों तथा 15.72 करोड़ आदेशों/निर्णयों की प्रास्थिति जान सकते हैं । ई-न्यायालय सेवाएं जैसे कि मामला रजिस्ट्रीकरण के ब्यौरे, वाद सूची, मामला प्रास्थिति, दैनिक आदेश और अंतिम निर्णय, ई-न्यायालय वैब पोर्टल, सभी कंप्यूटरीकृत न्यायालयों में न्यायिक सेवा केंद्र (जेएससी), ई-न्यायालय मोबाइल एप, ई-मेल सेवा, एसएमएस पुश और पुल सेवा के माध्यम से मुवक्किलों और अधिवक्ताओं को उपलब्ध हैं । 3240 न्यायालय परिसरों तथा 1272 सादृश्य कारागारों के बीच वीडियो कान्फरेंसिंग सुविधा को समर्थ बनाया गया है । कोविड-19 की चुनौतियों का बेहतर ढंग से सामना करने तथा आगामी सुनवाई में अवस्थान्तर को अधिक आसान बनाने की दृष्टि से, मामले की प्रास्थिति से लेकर निर्णय/आदेशों को प्राप्त करने, न्यायालय/मामले संबंधित सूचना और ई-फाइलिंग सुविधाओं तक सहायता की आवश्यकता वाले अधिवक्ताओं तथा मुवक्किलों को सुविधा प्रदान करने के लिए न्यायालय परिसरों में 235-ई सेवा केन्द्रों का गठन करने के लिए निधियों की व्यवस्था की गई है । विभिन्न न्यायालय परिसरों में वीडियो कान्फ्रेंसिंग केबिनों में वर्चुअलसुनवाई की सुविधा प्रदान करने के लिए

उपकरणों की व्यवस्था करने हेतु 5.01 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं । विभिन्न न्यायालय परिसरों में, ई-फाइलिंग के हेतु 1732 हेल्प डेस्क काउंटरों के लिए 12.12 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं ।

यातायात संबंधी अपराधों के विचार हेतु 11 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों अर्थात् दिल्ली (2), हरियाणा, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल (2), महाराष्ट्र (2), असम, छत्तीसगढ़, जम्मू-कश्मीर (2), उत्तर प्रदेश और ओडिशा में पन्द्रह वर्चुअलन्यायालय गठित किए गए हैं । तारीख 01.11.2021 तक इन न्यायालयों ने 99 लाख से अधिक मामले निपटाए तथा 193.15 करोड़ रुपए जुर्माने के रुप में वसूल किए ।

कोविड लॉकडाउन अवधि के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, न्यायालयों के सहारे के रूप में उभरा, क्योंकि सामूहिक ढंग से भौतिक सुनवाईयां और सामान्य न्यायालय कार्यवाहियां संभव नहीं थी। कोविड लॉकडाउन आरम्भ होने के समय से 31.10.2021 तक केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का प्रयोग करके जिला न्यायालयों ने 1,01,77,289 सुनवाइयां और उच्च न्यायालयों ने 55,24,021 (कुल 1.57 करोड़) सुनवाइयां की हैं । उच्चतम न्यायालय ने लॉकडाउन अवधि आरम्भ होने के समय से 29.10.2021 तक 1,50,692 सुनवाइयां कीं ।

(iii) **उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय तथा जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में रिक्तियों को भरा जाना :** तारीख 01.05.2014 से 29.11.2021 तक उच्चतम न्यायालय में 44 न्यायमूर्ति नियुक्त किए गए थे । उच्च न्यायालयों में 688 नए न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे और 583 अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी किया गया था । उच्च न्यायालयों के न्यायमूर्तियों की स्वीकृत पद संख्या जो मई, 2014 में 906 थी, को बढ़ाकर वर्तमान में 1098 किया गया है । जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत और कार्यरत पद संख्या निम्न प्रकार बढ़ाई गई हैं :

तारीख को	स्वीकृत पदसंख्या	कार्यरत पदसंख्या
31.12.2013	19,518	15,115
29.11.2021	24,485	19,294

तथापि, अधीनस्थ न्यायपालिका में रिक्तियों को भरना संबंधित राज्य सरकारों तथा उच्च न्यायालयों के कार्यक्षेत्र में है ।

(iv) **बकाया समिति के माध्यम से/अनुसरण द्वारा लम्बित मामलों में कमी :** अप्रैल, 2015 में आयोजित मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में पारित संकल्प के अनुसरण में, उच्च न्यायालयों में पांच वर्ष से अधिक लम्बित मामलों के निपटान के लिए बकाया समितियां गठित की गई है। बकाया समितियां, जिला न्यायाधीशों के अधीन भी गठित की गई है। उच्चतम न्यायालय में उच्च न्यायालयों तथा जिला न्यायालयों में लम्बित मामलों में कमी के लिए कदम प्रतिपादित के लिए बकाया समिति गठित की गई है । भूतकाल में विधि और न्याय मंत्री द्वारा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों तथा मुख्यमंत्रियों को, पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों तथा लंबन घटाने के अभियान की ओर उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए, मामले को उठाया गया है । विभाग ने मलिमथ समिति की रिपोर्ट के बकाया उन्मूलन स्कीम मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुपालन पर सभी उच्च न्यायालयों द्वारा रिपोर्ट करने के लिए एक आनलाइन पोर्टल विकसित किया है ।

(v) **वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) पर जोर देना :** वाणिज्यिक न्यायालय, अधिनियम, 2015, (20 अगस्त, 2018 को यथासंशोधित) वाणिज्यिक विवादों के निपटारे के लिए आज्ञापक पूर्व-संस्थान मध्यकता क्रियाविधि पर जोर देता है। माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 द्वारा माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 का विहित समय-सीमा में विवादों के त्वरित निपटान समाधान को शीघ्र बनाने के लिए संशोधन किया गया है।

(vi) विशेष प्रकार के मामलों के त्वरित निपटान के लिए पहल : चौदहवें वित्त आयोग ने राज्यों में न्यायिक प्रणाली को मजबूत करने के सरकार के प्रस्ताव का समर्थन किया है जिसमें, अन्य बातों के साथ, जघन्य अपराधों के मामलों के लिए; ज्येष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बच्चों आदि को अंर्तवलित करने वाले मामलों के लिए त्वरित निपटान न्यायालयों की स्थापना भी सम्मिलित है और राज्य सरकारों से ऐसी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए 32% से 42% वर्धित कर विचलन के रूप में प्रदान किए गए अतिरिक्त राजवित्तीय स्थान का उपयोग करने का अनुरोध किया गया है। 31.10.2021 तक जघन्य अपराधों, स्त्रियों और बच्चों के विरुद्ध अपराधों, आदि के लिए 914 त्वरित निपटान न्यायालय कार्यरत हैं। निर्वाचित सांसदों/विधान सभा सदस्यों को अंर्तवलित करने वाले त्वरित निपटान अपराधिक मामलों के लिए नौ (9) राज्यों (मध्य-प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर-प्रदेश, पश्चिमी बंगाल में प्रत्येक में 1 और राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, दिल्ली में 2) दस (10) विशेष न्यायालय स्थापित किए गए हैं । इसके अतिरिक्त, भारतीय दंड संहिता के अधीन बलात्कार और पॉक्सो अधिनियम के अधीन अपराधों के लम्बित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए सम्पूर्ण देश में 1023 त्वरित निपटान विशेष न्यायालय (एफटीएससी) की स्थापना करने के लिए सरकार ने एक स्कीम का अनुमोदन किया है । आज तारीख तक 28 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र 842 एफटीएससी की स्थापना करने के लिए स्कीम में सम्मिलित हुए हैं, जिसके अन्तर्गत 363 'विशिष्ट पॉक्सो न्यायालय' भी हैं । इस स्कीम के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 में 140 करोड़ रुपए जारी किए गए और वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान 160.00 करोड़ रुपए जारी किए गए । वर्तमान में, 681 एफटीएससी कार्यरत हैं जिनमें 381 'विशिष्ट पॉक्सो न्यायालय' भी हैं, जिन्होंने 31.10.2021 तक 64217 मामले निपटाए । एफटीएससी की स्कीम को और दो वर्षों (2021-23) तक 1572.86 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय हिस्से के रूप में 971.70 करोड़ रुपए हैं, निरन्तर रखने के लिए अनुमोदित किया गया है ।

(vii) इसके अतिरिक्त, न्यायालयों में लम्बन और अवरोध को कम करने के लिए, सरकार ने विभिन्न विधियों जैसे परक्राम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2018, वाणिज्यिक न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2018, विनिर्दिष्ट अनुतोष (संशोधन) अधिनियम, 2018, माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 तथा दांडिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 को हाल ही में संशोधित किया है ।

(ड.) : ई-न्यायालय एकीकृत मिशन मोड परियोजना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके न्याय तक पहुंच में सुधार के उद्देश्य से प्रारंभ की गई थी । ई-न्यायालयों का चरण-1 2014 में समाप्त हुआ था जिसमें 13,672 न्यायालय स्थल कम्प्यूटरीकृत किए गए थे । परियोजना का चरण-2, 2015 में प्रारंभ किया गया था जिसके अधीन अब तक 18,735 जिला और अधीनस्थ न्यायालय कंप्यूटरीकृत किए गए हैं ।

(च) : भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा अनुरक्षित जानकारी के अनुसार वर्तमान में उनके पास 18, 57,623 अधिवक्ता रजिस्ट्रीकृत हैं । इसके ब्यौरे **उपाबंध-6** पर दिए हैं।

****

उपाबंध –1

लंबित मामलों से संबंधित लोक सभा, अतारांकित प्रश्न संख्या 1038 जिसका उत्तर 3.12.2021 को दिया जाना है, के भाग (क) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण।

(i) न्यायपालिका के लिए अवसंरचना प्रसुविधाओं के विकास हेतु केंद्रीयकृत प्रायोजित स्कीम- न्याय विभाग, वर्ष 1993-94 से जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका के लिए अवसंरचना प्रसुविधाओं के विकास हेतु केंद्रीयकृत प्रायोजित स्कीम का कार्यान्वयन कर रहा है । इस स्कीम के अधीन, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों/न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय इकाइयां और न्यायालय हालों के सन्निर्माण के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है । केंद्र और राज्य के लिए इस स्कीम के अधीन निधि सांझा पैटर्न, पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों से भिन्न राज्यों के संबंध में 60:40 है और हिमालयी राज्यों के संबंध में निधि सांझा पैटर्न 90:10 है तथा संघ राज्यक्षेत्रों के संबंध में 100% है ।

न्यायपालिका हेतु अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास हेतु केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम 9000 करोड़ रुपए की कुल लागत के साथ 2025-26 तक बढ़ा दी गई है जिसमें से केन्द्रीय हिस्सा 5307 करोड़ रुपए होगा जिसके अंतर्गत 50 करोड़ रुपये का आबंटन ग्राम न्यायालय स्कीम के लिए है । न्यायालय हालों तथा आवासीय इकाइयों के संनिर्माण के अतिरिक्त, इसके अन्तर्गत अधिवक्ता हालों, शौचालय परिसरों तथा डिजीटल कम्प्यूटर कक्षों का संनिर्माण भी होगा ।

(ii) ग्राम न्यायालय - नागरिकों को उनके द्वार पर न्याय तक पहुंच उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय सरकार ने ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 अधिसूचित किया है । यह मध्यवर्ती पंचायत स्तर पर ग्राम न्यायालयों की स्थापना हेतु उपबंध करता है । राज्य सरकारें संबंधित उच्च न्यायालयों के साथ परामर्श से ग्राम न्यायालयों की स्थापना हेतु जिम्मेदार है । ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 की धारा 3 (1) की निबंधनानुसार राज्य सरकारें संबंधित उच्च न्यायालयों के साथ परामर्श से ग्राम न्यायालयों की स्थापना हेतु जिम्मेदार हैं । केंद्रीय सरकार की स्कीम "ग्राम न्यायालय की स्थापना और प्रचालन हेतु राज्यों को सहायता" के अधीन वित्तीय सहायता संबंधित राज्य सरकारों द्वारा ग्राम न्यायालय स्थापित करने के लिए अधिसूचना जारी करने के पश्चात् ही मंजूर की जाती है । इस स्कीम को सरकार द्वारा 5 वर्ष के लिए 01.04.2021 से 31.03.2026 तक 50 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ बढ़ा दिया गया है ।

(iii) न्याय तक पहुंच के लिए अभिनव समाधान और समग्र दृष्टिकोण तैयार करना (दिशा) – न्याय विभाग ने एक स्कीम अर्थात् "न्याय तक पहुंच के लिए अभिनव समाधान और समग्र दृष्टिकोण तैयार करना (दिशा)" सामान्य नागरिकों को विधिक सहायता और न्याय तक पहुंच को समर्थ करने हेतु 2021-2026 की अवधि के लिए विरचित की है । दिशा, न्याय तक पहुंच के भिन्न – भिन्न संघटकों से मिलकर बनी है जैसे न्यायबंधु, न्यायमित्र और अखिल भारतीय स्तर पर विधिक साक्षरता और विधिक जागरुकता कार्यक्रमों का उपबंध करने के

अतिरिक्त न्याय परिदान करने में अंतरालों को भरने हेतु विभाग द्वारा टेलीविधि निष्पादित की जा रही है ।

(iv) त्वरित निपटान विशेष न्यायालय स्थापित करने के लिए स्कीम – न्याय विभाग त्वरित निपटान विशेष न्यायालयों की स्थापना के लिए अक्तूबर, 2019 से केंद्रीयकृत प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) का कार्यान्वयन कर रही है जिसके अंतर्गत बलात्कार और पाक्सो अधिनियम से संबंधित मामलों के त्वरित निपटान और विचारण हेतु विशिष्ट पाक्सो न्यायालयों, जो दांडिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 और माननीय उच्चतम न्यायालय की स्व:प्रेरणा रिट याचिका 2019 का 1, तारीख 25.07.2019 के निदेशों के अनुसरण में, की स्थापना भी है । परियोजना की लागत 767.25 करोड़ थी जिसमें निर्भया निधि के अधीन केंद्रीय सहयोग के 474 करोड़ रुपये के साथ एक वर्ष के लिए, 2 वित्तीय वर्ष (2019-20 और 2020-21) से और बढ़ा दी गई है । इस स्कीम को 1572.86 करोड़ रुपये की कुल लागत पर दो और वर्षों 1.4.2021 से 31.3.2023 तक बढ़ा दिया गया है जिसमें 971.70 करोड रुपये का केंद्रीय हिस्सा होगा ।

(v) ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना - राष्ट्रीय ई-गर्वनेंस योजना के भाग रुप में ई-न्यायालय परियोजना 2007 में राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना के आधार पर भारतीय न्यायपालिका में आईसीटी के क्रियान्वयन हेतु प्रारंभ की गई थी । भारत सरकार, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के सूचना और संसूचना प्रोद्योगिकी समर्थकरण के लिए देशभर में ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना का कार्यान्वयन कर रही है । कंप्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की संख्या में 18,735 की वृद्धि हुई है । 98.7% न्यायालय परिसरों में डब्ल्यूएएन कनेक्टिविटी प्रदान की गई है । मामले की सूचना का साफ्टवेयर का नया और उपयोक्ता अनुकूल संस्करण विकसित करके सभी कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में लगाया गया है । सभी पणधारी, जिनके अंतर्गत न्यायिक अधिकारी भी हैं, राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एन जे डी जी) पर कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों तथा उच्च न्यायालयों की न्यायिक कार्यवाहियों/निर्णयों से संबंध सूचना प्राप्त कर सकते हैं। 3240 न्यायालय परिसरों तथा 1272 साद्दश्य कारागारों के बीच वीडियो कान्फरेंसिंग सुविधा को समर्थ बनाया गया है । न्यायालय परिसरों में -235 ई - सेवा केन्द्रों का गठन करने के लिए निधियों की व्यवस्था की गई है । यातायात संबंधी अपराधों के विचार हेतु 11 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 15 वर्चुअल न्यायालय स्थापित किए गए हैं ।

****

उपाबंध-2

लंबित मामलों से संबंधित लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1034 जिसका उत्तर तारीख 03.12.2021 को दिया जाना है, के भाग (ख) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

क्रम संख्या	**उच्च न्यायालयों का नाम**
1.	इलाहाबाद उच्च न्यायालय
2.	कलकत्ता उच्च न्यायालय
3.	गुवाहाटी उच्च न्यायालय
4.	तेलंगाना उच्च न्यायालय
5.	आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय
6.	बम्बई उच्च न्यायालय
7.	छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय
8.	दिल्ली उच्च न्यायालय
9.	गुजरात उच्च न्यायालय
10.	हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय
11.	जम्मू - कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय
12.	झारखंड उच्च न्यायालय
13.	कर्नाटक उच्च न्यायालय
14.	केरल उच्च न्यायालय
15.	मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय
16.	मणिपुर उच्च न्यायालय
17.	मेघालय उच्च न्यायालय
18.	पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय
19.	राजस्थान उच्च न्यायालय
20.	सिक्किम उच्च न्यायालय
21.	त्रिपुरा उच्च न्यायालय
22.	उत्तराखंड उच्च न्यायालय
23.	मद्रास उच्च न्यायालय
24.	उड़ीसा उच्च न्यायालय
25.	पटना उच्च न्यायालय

उपाबंध-3

लंबित मामलों से संबंधित लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1034 जिसका उत्तर तारीख 03.12.2021 को दिया जाना है, के भाग (ख) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

क्र.सं.	राज्य	कुल जिले	कुल न्यायालय परिसर
1	अंदमान और निकोबार	1	4
2	आंध्र प्रदेश	13	187
3	असम	30	71
4	बिहार	37	79
5	चंडीगढ़	1	2
6	छत्तीसगढ	23	89
7	दिल्ली	1 1	12
8	दीव और दमण	2	2
9	सिलवासा में डीएनएच	1	2
10	गोवा	2	16
1 1	गुजरात	32	332
12	हरियाणा	21	58
13	हिमाचल प्रदेश	1 1	50
14	जम्मू - कश्मीर	20	81
15	झारखंड	24	24
16	कर्नाटक	30	204
17	केरल	15	165
18	लद्दाख	2	3
19	मध्य प्रदेश	50	225
20	महाराष्ट्र	40	478
21	मणिपुर	9	20
22	मेघालय	9	10
23	मिजोरम	3	9
24	नागालैंड	4	5
25	ओडिशा	30	122
26	पंजाब	22	68
27	राजस्थान	36	311
28	सिक्किम	4	9
29	तमिलनाडु	32	265
30	तेलंगाना	10	110
31	त्रिपुरा	8	24
32	उत्तर प्रदेश	74	169
33	उत्तराखंड	13	61
34	पश्चिमी बंगाल	22	89
कुल योग		**646**	**3356**

स्रोत: राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी)

उपाबंध-4

लंबित मामलों से संबंधित लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1034 जिसका उत्तर तारीख 03.12.2021 को दिया जाना है, के भाग (ग) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

29.11.2021 तक उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत पद संख्या, कार्यरत पद संख्या को दर्शाने वाला विवरण

		स्वीकृत पद संख्या			कार्यरत पद संख्या			रिक्त पद		
ए	उच्चतम न्यायालय	34			33			1		
बी	उच्च न्यायालय	स्थायी	अति	कुल	स्थायी	अति	कुल	स्थायी	अति	कुल
1	इलाहाबाद	120	40	160	75	20	95	45	20	65
2	आंध्र प्रदेश	28	9	37	18	0	18	10	9	19
3	बॉम्बे	71	23	94	49	1 1	60	22	12	34
4	कलकत्ता	54	18	72	31	9	40	23	9	32
5	छत्तीसगढ	17	5	22	10	3	13	7	2	9
6	दिल्ली	45	15	60	30	0	30	15	15	30
7	गुवाहाटी	18	6	24	18	6	24	0	0	0
8	गुजरात	39	13	52	32	0	32	7	13	20
9	हिमाचल प्रदेश	10	3	13	8	1	9	2	2	4
10	जम्मू-कश्मीर और लद्दाख	13	4	17	13	0	13	0	4	4
11	झारखंड	19	6	25	19	1	20	0	5	5
12	कर्नाटक	47	15	62	40	6	46	7	9	16
13	केरल	35	12	47	29	12	41	6	0	6
14	मध्य प्रदेश	40	13	53	30	0	30	10	13	23
15	मद्रास	56	19	75	45	15	60	1 1	4	15
16	मणिपुर	4	1	5	4	1	5	0	0	0
17	मेघालय	3	1	4	3	0	3	0	1	1
18	ओडिशा	20	7	27	18	0	18	2	7	9
19	पटना	40	13	53	26	0	26	14	13	27
20	पंजाब और हरियाणा	64	21	85	44	6	50	20	15	35
21	राजस्थान	38	12	50	28	0	28	10	12	22
22	सिक्किम	3	0	3	3	0	3	0	0	0
23	तेलंगाना	32	10	42	19	0	19	13	10	23
24	त्रिपुरा	4	1	5	5	0	5	-1	1	0
25	उत्तराखंड	9	2	1 1	8	0	8	1	2	3
	कुल	**829**	**269**	**1098**	**605**	**91**	**696**	**224**	**178**	**402**

उपाबंध-5

लंबित मामलों से संबंधित लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1034 जिसका उत्तर तारीख 03.12.2021 को दिया जाना है, के भाग (ग) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

29.11.2021 तक जिला और अधिनस्थ न्यायाधीशों की स्वीकृत पद संख्या, कार्यरत पद संख्या को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य और संघ राज्यक्षेत्र	कुल स्वीकृत पद संख्या	कुल कार्यरत पद संख्या	कुल रिक्तियां
1.	अंदमान और निकोबार	0	13	-13
2.	आंध्र प्रदेश	607	492	115
3.	अरुणाचल प्रदेश	41	32	9
4.	असम	467	436	31
5.	बिहार	1953	1405	548
6.	चंडीगढ़	30	30	0
7.	छत्तीसगढ	482	411	71
8.	दादरा और नागर हवेली	3	2	1
9.	दमण और दीव	4	4	0
10.	दिल्ली	862	691	171
11.	गोवा	50	40	10
12.	गुजरात	1523	1129	394
13.	हरियाणा	772	482	290
14.	हिमाचल प्रदेश	175	164	1 1
15.	जम्मू - कश्मीर	300	243	57
16.	झारखंड	675	523	152
17.	कर्नाटक	1361	1082	279
18.	केरल	569	490	79
19.	लद्दाख	17	9	8
20.	लक्षद्वीप	3	3	0
21.	मध्य प्रदेश	2021	1555	466
22.	महाराष्ट्र	2190	1940	250
23.	मणिपुर	59	42	17
24.	मेघालय	97	49	48
25.	मिजोरम	64	42	22
26.	नागालैंड	34	24	10
27.	उड़ीसा	976	790	186
28.	पुदुचेरी	26	1 1	15
29.	पंजाब	692	608	84
30.	राजस्थान	1547	1274	273
31.	सिक्किम	28	20	8
32.	तमिलनाडु	1315	1052	263
33.	तेलंगाना	474	359	115
34.	त्रिपुरा	121	97	24
35.	उत्तर प्रदेश	3634	2559	1075
36.	उत्तराखंड	299	271	28
37.	पश्चिमी बंगाल	1014	918	96
कुल		**24485**	**19292**	**5193**

स्रोत:- डीओजे का एमआईएस पोर्टल

उपाबंध-6

लंबित मामलों से संबंधित लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1034 जिसका उत्तर तारीख 03.12.2021 को दिया जाना है, के भाग (च) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

क्र.सं.	राज्य विधिज्ञ परिष्द	अधिवक्ताओं की कुल संख्या
1.	असम	**37326**
2.	आंध्र प्रदेश	**72719**
3.	तेलंगाना	**40531**
4.	बिहार	**127501**
5.	छत्तीसगढ	**30103**
6.	दिल्ली	**50317**
7.	गुजरात	**103390**
8.	हिमाचल प्रदेश	**9075**
9.	झारखंड	**31248**
10.	कर्नाटक	**102083**
11.	केरल	**57671**
12.	मध्य प्रदेश	**112390**
13.	महाराष्ट्र और गोवा	**191394**
14.	ओडिशा	**56344**
15.	पंजाब और हरियाणा	**117423**
16.	राजस्थान	**88999**
17.	तमिलनाडु	**110843**
18.	उत्तर प्रदेश	**400016**
19.	उत्तराखंड	**17200**
20.	पश्चिमी बंगाल	**86555**
21.	जम्मू - कश्मीर	**10589**
22.	त्रिपुरा	**1409**
23.	मणिपुर	**1676**
24.	मेघालय	**821**
कुल		**1857623**

स्रोत:- भारतीय विधिज्ञ परिष्द

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1041
जिसका उत्तर शुक्रवार, 03 दिसम्बर, 2021 को दिया जाना है

न्यायिक निर्णयों में देरी

1041. डॉ. एम. के. विष्णु प्रसाद :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोरोना महामारी के कारण देश में न्यायिक निर्णयों में अत्यधिक विलंब हो रहा है, जिसके कारण विचाराधीन कैदियों को उचित न्याय नहीं मिल पा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने इस स्थिति से निपटने के लिए कोई योजना बनाई है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (घ) : न्यायालयों में लंबित मामलों का निपटान न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में है। संबंधित न्यायालयों द्वारा विभिन्न प्रकार के मामलों के निपटान के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। न्यायालयों में मामलों के निपटारे में सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है। केंद्रीय सरकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार मामलों के त्वरित निपटान और लंबित मामलों को कम करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा के पश्चात्, संबंधित उच्च न्यायालयों द्वारा समय-समय पर स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर आभासी या वास्तविक पद्धति में तत्काल सिविल और आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए अपने प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र के अधीन अधीनस्थ न्यायालयों को निर्देश जारी किए गए हैं। अधिकांश उच्च न्यायालयों ने जिला और अधीनस्थ न्यायालयों को आगे सलाह दी है कि जहां कोई शट डाउन/लॉकडाउन नहीं है, वे जहां तक संभव हो, वर्चुअल/वास्तविक पद्धति से सामान्य क्रियाकलाप फिर से शुरू कर सकते हैं और सभी प्रकार के मामलों को देख सकते हैं, जिनमें विचाराधीन कैदी से संबंधित मामले भी सम्मिलित हैं ।

विशेष रूप से भीड़ वाले कारावासों में कोविड -19 वायरस के प्रसार के खतरे को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासन ने उच्च अधिकार प्राप्त

समितियों (एचपीसी) का गठन किया है, जिसमें राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (एसएलएसए) के कार्यकारी अध्यक्ष, प्रमुख सचिव (गृह/कारावास), महानिदेशक (कारागार) राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) ने सभी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों (एसएलएसए) से अनुरोध किया है कि वे विचाराधीन कैदियों/दोषियों को अंतरिम जमानत पर या पैरोल पर रिहा करने में उनकी पहचान और सुविधा के लिए उच्च अधिकार प्राप्त समितियों को प्रभावी ढंग से सहायता प्रदान करें। मार्च से मई, 2020 तक लॉकडाउन के दौरान, 58,797 विचाराधीन कैदियों और 20,972 दोषियों को उच्च अधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों पर या विधिक सेवा प्राधिकरणों के प्रयासों के माध्यम से अंतरिम जमानत/पैरोल पर रिहा किया गया। इसके अतिरिक्त, अप्रैल-मई, 2021 के दौरान कोविड -19 की दूसरी लहर के उभरने के पश्चात् नालसा के मार्गदर्शन में विधिक सेवा प्राधिकरणों के प्रयासों के माध्यम से उच्च अधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों पर 70,382 विचाराधीन कैदियों और 22,211 दोषियों सहित 92,593 कैदियों को अंतरिम जमानत / पैरोल पर रिहा किया गया था। .

नालसा ने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों और जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों (डीएलएसए) के माध्यम से नालसा प्रोटोकॉल के अनुसार नियमित आधार पर विचाराधीन पुनर्विलोकन समिति (यूटीआरसी) की बैठकें भी आयोजित की हैं। 2020-21 के दौरान, 10,961 विचाराधीन पुनर्विलोकन समिति बैठकें आयोजित की गईं और विचाराधीन पुनर्विलोकन समिति की सिफारिशों के अनुसार 13,983 कैदियों को रिहा किया गया। इसके अतिरिक्त, अप्रैल, 2021 से सितंबर 2021 के दौरान देश भर में विचाराधीन पुनर्विलोकन समिति की 5,127 बैठकें आयोजित की गईं और विचाराधीन पुनर्विलोकन समिति की सिफारिशों के अनुसार 11,145 कैदियों को रिहा किया गया।

नालसा ने गिरफ्तारी पूर्व, गिरफ्तारी और रिमांड चरण में संदिग्धों और अभियुक्तों को सहायता प्रदान करने के लिए गिरफ्तारी से पहले, गिरफ्तारी और रिमांड चरण में न्याय तक शीघ्र पहुंच के लिए एक प्रोटोकॉल जारी किया है। नालसा द्वारा जनवरी, 2020 से सितंबर, 2021 के दौरान संकलित आंकड़ों के अनुसार, 8,433 संदिग्धों/अभियुक्तों को गिरफ्तारी पूर्व चरण में विधिक सहायता प्रदान की गई थी, जिसके अनुसरण में 2,879 संदिग्धों/अभियुक्तों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, 10,191 गिरफ्तारियों को न्यायालयों में पेश करने से पहले पुलिस थानों में सहायता प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त, इसी अवधि के दौरान, रिमांड चरण में 1,64,947 व्यक्तियों को विधिक सहायता प्रदान की गई और 73,452 जमानत आवेदन दायर किए गए, जिनमें 40,303 ऐसे मामलों में जमानत दी गई ।

****

भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1043

जिसका उत्तर शुक्रवार, 03 दिसम्बर, 2021 को दिया जाना है

गुजरात उच्च न्यायालय में लंबित मामले

1043. श्री मोहनभाई कुंडारिया :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में गुजरात उच्च न्यायालय में लंबित मामलों की संख्या और पिछले पंद्रह वर्षों से लंबित मामलों की संख्या कितनी क्या है ;

(ख) क्या सरकार की राजकोट और सूरत में उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित करके लम्बित मामलों का निपटान करने की कोई कार्य योजना है ;

(ग) यदि हो, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) : गुजरात उच्च न्यायालय में लम्बित मामलों के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं –

26.11.2021 तक गुजरात उच्च न्यायालय में लम्बित मामलों की संख्या			15 वर्षों और अधिक से गुजरात उच्च न्यायालय में लम्बित मामलों की संख्या		
सिविल	दांडिक	कुल	सिविल	दांडिक	कुल
102097	51794	153891	2813	3158	5971

(ख) और (घ) : जसवंत सिंह आयोग द्वारा की गई सिफारिशों और रिट याचिका (सिविल) संख्यांक 2000 का 379 में शीर्ष न्यायालय द्वारा उद्घोषित निर्णय के अनुसार और राज्य सरकार, जिसे आवश्यक व्यय और अवसंरचनात्मक प्रसुविधाएं उपलब्ध करानी हैं और संबद्ध उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति जिससे उच्च न्यायालय का दिन- प्रतिदिन के प्रशासन की देखभाल करना अपेक्षित है, से प्राप्त किसी पूर्ण प्रस्ताव पर सम्यक् विचार करने के पश्चात् उच्च न्यायालय खंडपीठों की स्थापना की जाती है । पूर्ण किए जाने वाले प्रस्ताव पर संबद्ध राज्य के राज्यपाल की सहमति भी होनी चाहिए । वर्तमान में, राजकोट या सूरत में गुजरात उच्च न्यायालय खंडपीठों की स्थापना से संबंधित कोई पूर्ण प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के समक्ष लम्बित नहीं है ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1067
जिसका उत्तर शुक्रवार, 03 दिसम्बर, 2021 को दिया जाना है

व्यापार करने में सुगमता में सुधार हेतु विवाद समाधान तन्त्र

1067. श्री एम. सेल्वराज :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने देश में प्रभावी विवाद समाधान तंत्र को लागू करने के लिए कोई सुझाव दिया है क्योंकि यह व्यापार करने में सुगमता को सुधारने और बढ़ावा देने के लिए एक निर्धारण कारक है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) और (ख) : विनिधान और कारबार के लिए अनुकूल वातावरण सृजित करने के क्रम में, भारत में कारबार करने की सुगमता में सुधार करने के लिए संविदाओं के त्वरित प्रवर्त्तन को समर्थ बनाते हुए सुधारों के क्रियान्वयन द्वारा सतत प्रयास किए गए है । इस दिशा में किए गए प्रमुख सुधारों में से एक वाणिज्यिक-न्यायालय अधिनियम, 2015 का अधिनियमन है जो वादकारियों को वहनीय खर्च पर वाणिज्यिक विवाद का त्वरित समाधान प्रदान करता है । अधिनियम को मूल अधिकारिता वाले सभी उच्च न्यायालयों में सम्यक् रूप से गठित समर्पित वाणिज्यिक न्यायालयों द्वारा वाणिज्यिक विवादों के त्वरित निपटान को सुगम बनाने के लिए 2018 में और संशोधित किया गया था । संशोधन अधिनियम 2018 में, वाणिज्यिक विवाद के पूर्व विनिर्दिष्ट मूल्य को 1 करोड़ रूपये से घटाकर 3 लाख रूपये तक करने के लिए संशोधन किया गया है । प्रभावी विवाद समाधान का कार्यान्वयन करने के लिए "पूर्व-संस्थागत मध्यकता और समाधान का आज्ञापक उपबंध भी संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावित किया गया है जिससे कि न्यायालयके बाहर समझौते की सुविधा हो और न्यायालयों के कार्यभार को उन मामलों से निपटाने में आसानी हो, जो तत्काल अंतरिम अनुतोष पर विचार नहीं करते है ।

सरकार ने माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 द्वारा माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 में भी संशोधन किया है और तदर्थ माध्यस्थम् के स्थान पर संस्थागत माध्यस्थम् की अभिवृद्धि करने के लिए नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र अधिनियम, 2019 को अधिनियमित किया है । संस्थागत मध्यस्था देश में कारबार करने की सुगमता में सुधार और अभिवृद्धि सुनिश्चित करने के क्रम में मध्यस्थ संस्थाओं द्वारा समान मानक अधिकथित करने

माध्यस्थम प्रक्रिया को पक्षकारों के लिए अधिक अनुकूल, खर्च प्रभावी बनाने और माध्यस्थम मामलों के समय पर निपटान को सुनिश्चित करने की अभिवृद्धि करता है ।

संस्थागत मध्यकता और माध्यस्थम को सुकर बनाने के लिए कुछ उच्च न्यायालय वाणिज्यिक न्यायालयों को संलग्न मध्यकता और माध्यस्थम् को उपबंधित करती है जबकि अन्य उच्च न्यायालय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा चलाये जा रहे एडीआर/मध्यकता केंद्रो के माध्यम से वाणिज्यिक मध्यकता को सुकर बना रही है ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1070
जिसका उत्तर शुक्रवार, 03 दिसम्बर, 2021 को दिया जाना है

उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या

1070. श्री कल्याण बनर्जी :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के उच्चतम न्यायालय और अन्य उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के 407 से अधिक पद रिक्त हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या देश के ऊपरी न्यायालयों में न्यायाधीशों के 233 स्थायी पदों और 174 अतिरिक्त न्यायाधीशों के पदों को भरने के लिए कॉलेजियम की सिफारिशों को लागू किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ग) : तारीख 30.11.2021 तक उच्चतम न्यायालय में 01 रिक्ति और उच्च न्यायालय में 402 रिक्तियां विद्यमान थीं । 164 प्रस्ताव सरकार और उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम के पास प्रक्रियाओं के विभिन्न स्तरों पर हैं । शेष 238 रिक्तियों के लिए उच्च न्यायालय कॉलेजियमों से सिफारिशें अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं । सरकार केवल उन्हीं व्यक्तियों को उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त करती है जिनकी उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम द्वारा सिफारिश की जाती है ।

प्रक्रिया ज्ञापन के अनुसार उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायामूर्ति से अपेक्षा की जाती है कि वह दो ज्येष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श करके किसी रिक्ति के उत्पन्न होने से छह माह पहले बार और संबंध राज्य न्यायिक सेवा के पात्र अभ्यर्थियों में से प्रस्ताव भेंजे । रिक्तियों का भरा जाना एक सतत, एकीकृत और सहयोगकारी प्रक्रिया है । इसमें राज्य और केन्द्रीय दोनों स्तरों पर विभिन्न संवैधानिक प्राधिकारियों से परामर्श करना और उनका अनुमोदन अपेक्षित होता है । यद्यपि, विद्यमान रिक्तियों को शीघ्रता से भरने के लिए प्रत्येक प्रयास किया जाता है, रिक्तियां न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र या उन्नयन तथा न्यायाधीशों की पद संख्या में वृद्धि, के कारण उद्भूत होती रहती है ।

सरकार द्वारा वर्ष 2021 में 30.11.2021 तक उच्चतम न्यायालय के 09 न्यायाधीशों और उच्च न्यायालय के 118 न्यायाधीशों की नियुक्ति अधिसूचित की गई है ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1078
जिसका उत्तर शुक्रवार, 03 दिसम्बर, 2021 को दिया जाना है

न्यायिक सुधार

1078. श्री सुनील कुमार पिन्टू:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश भर की अदालतों में लंबित मामलों को कम करने में क्या प्रगति हासिल हुई है ;

(ख) क्या सरकार द्वारा देश भर में न्यायिक प्रणाली को मजबूत करने के लिए कोई सुधार किए गए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा उठाए गए उक्त कदमों के परिणामस्वरूप क्या सुधार हुआ है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ग) : न्यायालयों में लम्बित मामलों का निपटारा न्यायपालिका के कार्यक्षेत्र में है । संबंधित न्यायालयों द्वारा विभिन्न प्रकार के मामलों के निपटारे के लिए कोई समय-सीमा विहित नहीं की गई है । न्यायालयों में मामलों के निपटारे में सरकार की कोई भूमिका नहीं है । न्यायालयों में मामलों का समय पूर्ण निपटारा बहुत से कारकों पर निर्भर करता है जिसमें, अन्य बातों के साथ, न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों, सहायक न्यायालय कर्मचारिवृन्द की पर्याप्त संख्या और भौतिक अवसंरचना की उपलब्धता, अंतर्वलित तथ्यों की जटिलता, साक्ष्य की प्रकृति, पणधारियों अर्थात् बार, अन्वेषण अभिकरणों, साक्षियों तथा मुवक्किलों का सहयोग और नियमों और प्रक्रियाओं का समुचित उपयोजन, सम्मिलित है । ऐसे कई कारक हैं जिनके कारण मामलों के निपटारे में विलम्ब होता है । इनके अन्तर्गत, अन्य बातों के साथ, न्यायाधीशों की रिक्तियां, बारंबार स्थगन तथा सुनवाई के लिए मामलों को मॉनिटर, निगरानी और इकठ्ठा करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था का अभाव है । केन्द्रीय सरकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार मामलों के त्वरित निपटारे तथा बकाया को कम करने के लिए पूर्णतया प्रतिबद्ध है । सरकार ने न्यायपालिका द्वारा मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए एक पारिस्थितिक प्रणाली प्रदान करने के लिए कई कदम उठाए हैं ।

न्याय के परिदान और विधिक सुधार के लिए राष्ट्रीय मिशन का गठन अगस्त, 2011 में न्याय प्रणाली में विलम्ब और बकाया को कम करके और संरचनात्मक परिवर्तनों के माध्यम से

जबावदेही बढ़ाकर तथा निष्पादन मानक और क्षमताओं को नियत करके दोहरे उद्देश्यों के साथ दिया गया था । मिशन, न्याय प्रशासन में बकाया और लंबन के चरणवार कम करके के लिए एक समन्वित पहुंच अपना रहा है, जिसमें, अन्य बातों के साथ, न्यायालयों के लिए बेहतर अवसंरचना, जिसके अन्तर्गत कम्प्यूटरीकरण, अधीनस्थ न्यायपालिका की संख्या में वृद्धि, अत्यधिक मुकदमेबाजी वाले क्षेत्रों में नीतिगत और विधायी उपाय, मामलों के त्वरित निपटारे के लिए न्यायालय प्रक्रिया का पुनः प्रबंधन तथा मानव संसाधन का विकास भी है ।

विभिन्न पहलों के अधीन पिछले छह वर्षों में उठाए गए प्रमुख कदम निम्नानुसार हैं :-

(i) **जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों के लिए अवसंरचना में सुधार करना:** वर्ष 1993-94 में न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए केंद्रीकृत प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) के प्रारंभ से आजतक 8709.77 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं । इस स्कीम के अधीन, न्यायालय हालों की संख्या, जो तारीख 30.06.2014 को 15,818 थी, बढ़कर तारीख 31.10.2021 तक 20,565 हो गई है और आवासीय इकाइयों की संख्या जो तारीख 30.06.2014 को 10,211 थी, से बढ़कर तारीख 31.10.2021 तक 18,142 हो गई है । इसके अतिरिक्त, 2,841 न्यायालय हाल और 1,807 आवासीय ईकाइयां निर्माणाधीन हैं । न्यायपालिका हेतु अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास हेतु केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम 9000 करोड़ रुपए की कुल लागत के साथ 2025-26 तक बढ़ा दी गई है जिसमें से केन्द्रीय हिस्सा 5307 करोड़ रुपए होगा । न्यायालय हालों तथा आवासीय इकाइयों के संनिर्माण के अतिरिक्त, इसके अन्तर्गत अधिवक्ता हालों, शौचालय परिसरों तथा डिजीटल कम्प्यूटर कक्षों का संनिर्माण भी होगा ।

(ii) **न्याय के परिदान में सुधार के लिए सूचना और संसूचना प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का लाभ उठाना :** सरकार, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के सूचना और संसूचना प्रोद्योगिकी समर्थकरण के लिए देशभर में ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना का कार्यान्वियन कर रही है । 01.07.2021 तक कंप्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की संख्या में 18,735 की वृद्धि हुई है । 98.7% न्यायालय परिसरों में डब्ल्यूएएन कनेक्टिविटी प्रदान की गई है । मामले की सूचना का साफ्टवेयर का नया और उपयोक्ता अनुकूल संस्करण विकसित करके सभी कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में लगाया गया है । सभी पणधारी, जिनके अंतर्गत न्यायिक अधिकारी भी हैं, राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एन जे डी जी) पर कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों तथा उच्च न्यायालयों की न्यायिक कार्यवाहियों/निर्णयों से संबंध सूचना प्राप्त कर सकते हैं । तारीख 01.11.2021 तक इन न्यायालयों से संबंधित 19.56 करोड़ मामलों तथा 15.72 करोड़ आदेशों/निर्णयों की प्रास्थिति जान सकते हैं । ई-न्यायालय सेवाएं जैसे कि मामला रजिस्ट्रीकरण के ब्यौरे, वाद सूची, मामला प्रास्थिति, दैनिक आदेश और अंतिम निर्णय, ई-न्यायालय वैब पोर्टल, सभी कंप्यूटरीकृत न्यायालयों में न्यायिक सेवा केंद्र (जेएससी), ई-न्यायालय मोबाइल एप, ई-मेल सेवा, एसएमएस पुश और पुल सेवा के माध्यम से मुवक्किलों और अधिवक्ताओं को उपलब्ध हैं । 3240 न्यायालय परिसरों तथा 1272 सादृश्य कारागारों के बीच वीडियो कान्फरेंसिंग सुविधा को समर्थ बनाया गया है । कोविड-19 की चुनौतियों का बेहतर ढंग से सामना करने तथा आगामी सुनवाई में संक्रमण को अधिक आसान बनाने की दृष्टि से,

मामले की प्रास्थिति से लेकर निर्णय/आदेशों को प्राप्त करने, न्यायालय/मामले संबंधित सूचना और ई-फाइलिंग सुविधाओं तक सहायता की आवश्यकता वाले अधिवक्ताओं तथा मुवक्किलों को सुविधा प्रदान करने के लिए न्यायालय परिसरों में 235-ई सेवा केन्द्रों का गठन करने के लिए निधियों की व्यवस्था की गई है । विभिन्न न्यायालय परिसरों में वीडियो कान्फ्रेंसिंग केबिनों में आभासी सुनवाई की सुविधा प्रदान करने के लिए उपकरणों की व्यवस्था करने हेतु 5.01 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं । विभिन्न न्यायालय परिसरों में, ई-फाइलिंग के हेतु 1732 हेल्प डेस्क काउंटरों के लिए 12.12 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं ।

यातायात संबंधी अपराधों के विचार हेतु 11 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों अर्थात् दिल्ली (2), हरियाणा, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल (2), महाराष्ट्र (2), असम, छत्तीसगढ़, जम्मू-कश्मीर (2), उत्तर प्रदेश और ओडिशा में पन्द्रह आभासी न्यायालय गठित किए गए हैं । तारीख 01.11.2021 तक इन न्यायालयों ने 99 लाख से अधिक मामले निपटाए तथा 193.15 करोड़ रुपए जुर्माने के रुप में वसूल किए ।

कोविड लॉकडाउन अवधि के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, न्यायालयों के सहारे के रूप में उभरा, क्योंकि सामूहिक ढंग से भौतिक सुनवाईयां और सामान्य न्यायालय कार्यवाहियां संभव नहीं थी । कोविड लॉकडाउन आरम्भ होने के समय से 31.10.2021 तक केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का प्रयोग करके जिला न्यायालयों ने 1,01,77,289 सुनवाइयां और उच्च न्यायालयों ने 55,24,021 (कुल 1.57 करोड़) सुनवाइयां की हैं । उच्चतम न्यायालय ने लॉकडाउन अवधि आरम्भ होने के समय से 29.10.2021 तक 1,50,692 सुनवाइयां कीं ।

(iii) **उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय तथा जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में रिक्तियों को भरा जाना :** तारीख 01.05.2014 से 29.11.2021 तक उच्चतम न्यायालय में 44 न्यायमूर्ति नियुक्त किए गए थे । उच्च न्यायालयों में 688 नए न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे और 583 अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी किया गया था । उच्च न्यायालयों के न्यायमूर्तियों की स्वीकृत पद संख्या जो मई, 2014 में 906 थी, को बढ़ाकर वर्तमान में 1098 किया गया है । जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत और कार्यरत पद संख्या निम्न प्रकार बढ़ाई गई हैं :

तारीख को	स्वीकृत पदसंख्या	कार्यरत पदसंख्या
31.12.2013	19,518	15,115
29.11.2021	24,485	19,294

तथापि, अधीनस्थ न्यायपालिका में रिक्तियों को भरना संबंधित राज्य सरकारों तथा उच्च न्यायालयों के कार्यक्षेत्र में है ।

(iv) **बकाया समिति के माध्यम से/अनुसरण द्वारा लम्बित मामलों में कमी:** अप्रैल, 2015 में आयोजित मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में पारित संकल्प के अनुसरण में, उच्च न्यायालयों में पांच वर्ष से अधिक लम्बित मामलों के निपटान के लिए बकाया समितियां गठित की गई है। बकाया समितियां, जिला न्यायाधीशों के अधीन भी गठित की गई है। उच्चतम न्यायालय में उच्च न्यायालयों तथा जिला न्यायालयों में लम्बित मामलों में कमी के लिए कदम प्रतिपादित के लिए

बकाया समिति गठित की गई है । भूतकाल में विधि और न्याय मंत्री द्वारा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों तथा मुख्यमंत्रियों को, पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों तथा लंबन घटाने के अभियान की ओर उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए, मामले को उठाया गया है । विभाग ने मलिमथ समिति की रिपोर्ट के बकाया उन्मूलन स्कीम मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुपालन पर सभी उच्च न्यायालयों द्वारा रिपोर्ट करने के लिए एक आनलाइन पोर्टल विकसित किया है ।

(v) **वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) पर जोर देना:** वाणिज्यिक न्यायालय, अधिनियम, 2015, (20 अगस्त, 2018 को यथासंशोधित) वाणिज्यिक विवादों के निपटारे के लिए आज्ञापक पूर्व-संस्थान मध्यकता क्रियाविधि पर जोर देता है। माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 द्वारा माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 का विहित समय-सीमा में विवादों के त्वरित निपटान समाधान को शीघ्र बनाने के लिए संशोधन किया गया है।

(vi) **विशेष प्रकार के मामलों के त्वरित निपटान के लिए पहल :** चौदहवें वित्त आयोग ने राज्यों में न्यायिक प्रणाली को मजबूत करने के सरकार के प्रस्ताव का समर्थन किया है जिसमें, अन्य बातों के साथ, जघन्य अपराधों के मामलों के लिए; ज्येष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बच्चों आदि को अंर्तवलित करने वाले मामलों के लिए त्वरित निपटान न्यायालयों की स्थापना भी सम्मिलित है और राज्य सरकारों से ऐसी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए 32% से 42% वर्धित कर विचलन के रूप में प्रदान किए गए अतिरिक्त राजवित्तीय स्थान का उपयोग करने का अनुरोध किया गया है। 31.10.2021 तक जघन्य अपराधों, स्त्रियों और बच्चों के विरुद्ध अपराधों, आदि के लिए 914 त्वरित निपटान न्यायालय कार्यरत हैं।

निर्वाचित सांसदों/विधान सभा सदस्यों को अंर्तवलित करने वाले त्वरित निपटान अपराधिक मामलों के लिए नौ (9) राज्यों (मध्य-प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर-प्रदेश, पश्चिमी बंगाल में प्रत्येक में 1 और राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, दिल्ली में 2) दस (10) विशेष न्यायालय स्थापित किए गए हैं । इसके अतिरिक्त, भारतीय दंड संहिता के अधीन बलात्कार और पॉक्सो अधिनियम के अधीन अपराधों के लम्बित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए सम्पूर्ण देश में 1023 त्वरित निपटान विशेष न्यायालय (एफटीएससी) की स्थापना करने के लिए सरकार ने एक स्कीम का अनुमोदन किया है । आज तारीख तक 28 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र 842 एफटीएससी की स्थापना करने के लिए स्कीम में सम्मिलित हुए हैं, जिसके अन्तर्गत 363 'विशिष्ट पॉक्सो न्यायालय' भी हैं । इस स्कीम के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 में 140 करोड़ रुपए जारी किए गए और वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान 160.00 करोड़ रुपए जारी किए गए । वर्तमान में, 681 एफटीएससी कार्यरत हैं जिनमें 381 'विशिष्ट पॉक्सो न्यायालय' भी हैं, जिन्होंने 31.10.2021 तक 64217 मामले निपटाए । एफटीएससी की स्कीम को और दो वर्षों (2021-23) तक 1572.86 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय हिस्से के रूप में 971.70 करोड़ रुपए हैं, निरन्तर रखने के लिए अनुमोदित किया गया है ।

(vii) इसके अतिरिक्त, न्यायालयों में लम्बन और अवरोध को कम करने के लिए, सरकार ने विभिन्न विधियों जैसे परक्राम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2018, वाणिज्यिक न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2018, विनिर्दिष्ट अनुतोष (संशोधन) अधिनियम, 2018, माध्यस्थम् और

सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 तथा दांडिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 को हाल ही में संशोधित किया है ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1096
जिसका उत्तर शुक्रवार, 03 दिसम्बर, 2021 को दिया जाना है

राष्ट्रीय न्यायालय प्रबंधन प्रणाली समिति

1096. श्रीमती साजदा अहमद :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश भर की अदालतों में बुनियादी ढांचे की कमी के कारण मामले लंबित हैं और उनमें विलंब हो रहा है और इनका बैकलॉग हो रहा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;
(ख) क्या सरकार ने राष्ट्रीय न्यायालय प्रबंधन प्रणाली समिति 2012 द्वारा स्थापित दिशानिर्देशों के अनुसार न्यायालयों की ढांचागत स्थिति का मूल्यांकन किया है ;
(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान न्यायालयों के डिजिटल बुनियादी ढांचे के विकास के लिए राज्य-वार कितनी धनराशि खर्च की गई है ;
(घ) किराए के परिसरों में कार्यरत न्यायालय भवनों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है ;
(ङ) क्या सरकार राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना निगम स्थापित करने पर विचार कर रही है ; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) : विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों का निपटान करना न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र के अन्दर आता है । न्यायालय में समय पर मामलों का निपटान अनेक कारको पर निर्भर करता है जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों की पर्याप्त संख्या, सहायक न्यायालय कर्मचारिवृंद और भौतिक अवसंरचना की उपलब्धता, अंतवर्लित तथ्यों की जटिलता, साक्ष्य की प्रकृति, पणधारियों अर्थात् विधिज्ञ, अन्वेषण अभिकरणों, साक्षियों और वादकारियों का सहयोग और नियमों तथा प्रक्रियाओं का उचित उपयोजन भी है । ऐसे कई कारक हैं जो मामले के निपटान में विलम्ब कर सकते हैं । इनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, न्यायाधीशों की रिक्तियां, बार-बार स्थगन और सुनवाई के लिए मामलों की मानीटरी, उनका पता लगाना और एकत्रित करना भी सम्मिलित हैं । केन्द्रीय सरकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार मामलों के त्वरित निपटान और लंबित मामलों में कमी करने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है । सरकार ने न्यायपालिका द्वारा मामलों के तेजी से निपटान के लिए एक ईको प्रणाली का उपबंध करने के लिए अनेक पहल की हैं । न्याय के परिदान और विधिक सुधार के लिए राष्ट्रीय मिशन का गठन अगस्त, 2011 में न्याय प्रणाली में विलम्ब और बकाया को कम करके और संरचनात्मक परिवर्तनों के माध्यम से जबावदेही बढ़ाकर तथा निष्पादन मानक और क्षमताओं को नियत करके दोहरे उद्देश्यों के साथ किया गया था ।

मिशन, न्याय प्रशासन में बकाया और लंबित मामलों को चरणबद्ध रुप से कम करने के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण अपना रहा है, जिसमें, अन्य बातों के साथ, कम्प्यूटरीकरण सहित न्यायालयों के लिए बेहतर अवसंरचना, अधीनस्थ न्यायपालिका की संख्या में वृद्धि, अत्यधिक मुकदमेबाजी वाले क्षेत्रों में नीतिगत और विधायी उपाय, मामलों के त्वरित निपटारे के लिए न्यायालय प्रक्रिया का पुनः प्रबंधन तथा मानव संसाधन का विकास भी है ।

(ख) : राष्ट्रीय न्यायालय प्रबंधन प्रणाली का गठन मई, 2012 में उच्चतम न्यायालय में किया गया था । राष्ट्रीय न्यायालय प्रबंधन प्रणाली की प्रमुख सिफारिशों में न्यायालय उत्कृष्टता का राष्ट्रीय ढांचा, मामला प्रबंधन प्रणाली, न्यायालय विकास योजना प्रणाली और मानव संसाधन रणनीति पर आधारभूत रिपोर्ट तैयार करना भी सम्मिलित है । जहां तक न्यायिक आधारभूत सुविधाओं का संबंध है, संघ सरकार राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों को 1993-1994 से विहित निधि सहभाजन के प्रति रुप में वित्तीय सहायता प्रदान करने, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में अवसंरचना सुविधाओं के विकास हेतु केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम का क्रियान्वयन कर रही है । स्कीम का समय-समय पर मूल्यांकन किया गया है । न्यायिक अवसंरचना के लिए सीएसएस का तीसरा पक्ष मूल्यांकन हाल में नीति आयोग के माध्यम से किया गया था, जिसने स्कीम को जारी रखने की सिफारिश की थी ।

(ग) : उच्च न्यायालय-वार यथा अनुरक्षित अपेक्षित ब्यौरे **उपाबंध-1** पर संलग्न हैं ।

(घ) : अपेक्षित ब्यौरे **उपाबंध-2** पर संलग्न हैं ।

(ङ) और (च) : न्यायालयों के लिए पर्याप्त अवसंरचना का प्रबंध करने के लिए भारत के राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना प्राधिकरण (एनजेआईएआई) की स्थापना करने के लिए भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिसके अनुसार एक शासी निकाय होगा, जिसका भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, मुख्य संरक्षक होगा । इस प्रस्ताव की अन्य मुख्य विशेषताएं हैं कि एनजेआईएआई सभी उच्च न्यायालयों के अधीन एक समान संरचनाओं के अतिरिक्त, भारतीय न्यायालयी तंत्र के लिए, कृत्यशील अवसंरचना की योजना बनाने, उसका सृजन करने, विकास करने, अनुरक्षण और प्रबंधन के लिए एक ढाचा तैयार करने में केन्द्रीय निकाय के रुप में कार्य करेगा । वर्तमान में, न्यायपालिका के लिए अवसंरचना प्रसुविधाओं के विकास, का प्राथमिक उत्तरदायित्व राज्य सरकारों पर है । राज्य सरकारों के संसाधनों का संवर्धन करने के लिए, संघ सरकार, राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों को विहित निधि सहभाजन के प्रतिरुप में वित्तीय सहायता प्रदान करके, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में अवसंरचना प्रसुविधाओं के विकास के लिए केंद्रीय रुप से प्रायोजित स्कीम का क्रियान्वयन कर रही है। यह स्कीम वर्ष 1993-94 से क्रियान्वित की जा रही है । केन्द्रीय सरकार ने आज तारीख तक, इस स्कीम के अधीन राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों को 8709.77 करोड़ रुपये स्वीकृत किए है|यह स्कीम समय समय पर विस्तारित की गई है| इस स्कीम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा जिला और अधीनस्थ न्यायापालिका के न्यायिक अधिकारियों के लिए न्यायालय भवनों और आवासीय वास-सुविधाओं के सन्निर्माण के लिए निधियां जारी की जाती है । सरकार ने 9000 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ उपरोक्त स्कीम को 1.4.2021 से 31.3.2026 तक और 5 वर्ष की अवधि के लिए विस्तारित कर दिया है, जिसमें 5307 करोड़ रुपये का केन्द्रीय अंश भी सम्मिलित है । स्कीम संघटकों को जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में शौचालयों, डिजिटल कंप्यूटर कक्षो और वकीलों के हॉल के सन्निर्माण को भी शामिल करने के लिए विस्तारित

किया गया है । उच्च न्यायालय द्वारा उपलब्ध सूचना के अनुसार 31.10.2021 से आज तक जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में 20,565 न्यायालय हॉल और 18,142 आवासीय ईकाइंया उपलब्ध है । इसके अतिरिक्त,2841 न्यायालय हॉल और 1807 आवासीय ईकाइयां सन्निर्माणाधीन है ।

****

उपाबंध-1

लोक सभा अतारंकित प्रश्न संख्या 1096 जिसका उत्तर तारीख 03 दिसंबर, 2021 को दिया जाना है, के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण

ई-न्यायालय परियोजना चरण-II के अधीन विगत तीन वर्षों के दौरान उच्च न्यायालय-वार जारी निधियों की प्रास्थिति

(रकम करोड़ में)

क्र.सं.	उच्च न्यायालय	वित्तीय वर्ष 2018-19	वित्तीय वर्ष 2019-20	वित्तीय वर्ष 2020-21
1	इलाहाबाद	8.07	15.04	13.79
2	आंध्र प्रदेश	-	-	1.96
3	बॉम्बे	0.52	-	8.86
4	कलकत्ता	0.13	-	4.93
5	छत्तीसगढ़	1.33	4.44	2.34
6	दिल्ली	3.54	-	3.00
7ए	गुवाहाटी (अरूणाचल प्रदेश)	2.85	0.98	1.52
7बी	गुवाहाटी (असम)	8.70	13.68	6.11
7सी	गुवाहाटी (मिजोरम)	0.15	0.51	0.72
7डी	गुवाहाटी (नागालैंड)	0.71	0.70	0.83
8	गुजरात	10.73	-	3.48
9	हिमाचल प्रदेश	0.13	-	2.00
10	जम्मू - कश्मीर	0.26	-	1.00
11	झारखंड	4.53	5.53	2.98
12	कर्नाटक	0.61	9.15	4.29
13	केरल	4.61	-	2.83
14	मध्य प्रदेश	0.39	11.21	6.28
15	मद्रास	5.11	-	4.73
16	मणिपुर	0.65	0.61	1.30
17	मेघालय	0.62	0.92	2.32
18	उड़ीसा	1.59	13.46	3.37
19	पटना	0.13	7.08	5.44
20	पंजाब और हरियाणा	8.49	-	4.55
21	राजस्थान	3.01	1.29	10.58
22	सिक्किम	0.80	1.61	1.01
23	तेलंगाना और आंध्र** प्रदेश	8.13	-	-
24	तेलंगाना	-	-	1.79
25	त्रिपुरा	1.77	2.24	4.44
26	उत्तराखंड	0.13	-	1.28
	कुल	**77.69**	**88.45**	**107.73**

*आंकड़ें उस अवधि से संबंधित है जब वहां समान उच्च न्यायालय था ।

उपाबध-2

लोकसभा अतारंकित प्रश्न संख्या 1096 जिसका उत्तर तारीख 3 दिसंबर, 2021 को दिया जाना है, के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण

किराया परिसर में कार्यरत-न्यायालय भवनों (जिला और अधनीस्थ न्यायालय) के राज्यवार ब्यौरें

क्र0 सं0	राज्य और संघ राज्य क्षेत्र	किराया भवन में कार्यरत-न्यायालय हॉलो की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	71
2	असम	15
3	छत्तीसगढ़	9
4	गोवा	8
5	गुजराज	33
6	हरियाणा	2
7	जम्मू और कश्मीर	7
8	कर्नाटक	18
9	केरल	46
10	लदाख	1
11	मध्य प्रदेश	2
12	महाराष्ट्र	87
13	मेघालय	3
14	उड़ीसा	1
15	पंजाब	2
16	राजस्थान	35
17	सिक्किम	1
18	तमिलनाडु	87
19	तेलंगाना	72
20	उत्तर प्रदेश	22
21	उत्तराखंड	3
22	पश्चिम बंगाल	31
कुल		**556**

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1100
जिसका उत्तर शुक्रवार, 03 दिसम्बर, 2021 को दिया जाना है

अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की रिक्तियां

1100. श्री सुशील कुमार सिंह :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में राज्य-वार न्यायाधीशों की रिक्तियों की संख्या कितनी है ;
(ख) क्या जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या को बढ़ाने की योजना है ;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और
(घ) देश में न्यायालय की स्वीकृत संख्या का निर्धारण किये जाने की पद्धति का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (घ) : देश में न्यायाधीशों की स्वीकृत पद संख्या, कार्यरत् पद संख्या और रिक्तियों की स्थिति के राज्य/संघ राज्यक्षेत्र - वार ब्यौरे उपाबंध पर दिए हैं ।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 235 के अधीन, राज्यों में जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका के सदस्यों पर प्रशासनिक नियंत्रण संबद्ध उच्च न्यायालय में निहित होता है । इसके अतिरिक्त, संविधान के अनुच्छेद 233 और अनुच्छेद 234 के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संबंधित राज्य सरकारें उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य न्यायिक सेवा में न्यायिक अधिकारियों की नियुक्त, प्रोन्नति, आरक्षण और सेवानिवृत्ति के मुद्दे से संबंधित नियम और विनियम विरचित करती हैं । अतः, जहां तक राज्यों में न्यायिक अधिकारियों की भर्ती का संबंध हैं, कतिपय राज्यों में इसे संबंधित उच्च न्यायालय करते हैं जबकि अन्य राज्यों में इसे उच्च न्यायालय, राज्य लोक सेवा आयोग के परामर्श से करते हैं ।

जिला/अधीनस्थ न्यायपालिका में न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति और चयन में संविधान के अधीन संघ सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है । उच्चतम न्यायालय ने मलिक मजहर मामले में 4 जनवरी, 2007 के अपने आदेशों में अधीनस्थ न्यायपालिका में रिक्तियों को भरने के लिए अनुपालन की जाने वाली प्रक्रिया और समय सीमा विरचित की है जो यह अभिनिर्धारित करती है कि अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की भर्ती की प्रक्रिया किसी कैलेण्डर वर्ष के 31 मार्च को प्रारम्भ और उसी वर्ष के 31 अक्तूबर को समाप्त होगी । उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकारों/उच्च न्यायालयों को राज्य में विशिष्ट भौगोलिक और जलवायु परिस्थितियों या अन्य सुसंगत परिस्थितियों के आधार पर किसी कठिनाई की दशा में समय अनुसूची में परिवर्तनों को अनुज्ञात किया है ।

इसके अतिरिक्त, उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निदेशों की अनुपालना में न्याय विभाग ने मलिक मजहर निर्णय की एक प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु सभी उच्च न्यायालयों के महा-रजिस्ट्रारों को अग्रेषित की है । न्याय विभाग सभी उच्च न्यायालयों के महा-रजिस्ट्रारों को मलिक मजहर मामले द्वारा आज्ञापित अधीनस्थ न्यायपालिका में रिक्तियों को शीघ्र भरने हेतु समय-समय पर लिख रहा है ।

सितम्बर, 2016 में, केन्द्रीय विधि और न्याय मंत्री ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों को जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की काडर पद संख्या बढ़ाने और राज्य न्यायपालिका को भौतिक अवसंरचना उपलब्ध कराने हेतु लिखा था । उसी पर मई, 2017 में पुनर्बल दिया गया । जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत पद संख्या 2014 में 19,518 से बढ़कर 30.11.2021 तक 24,485 हो गई है । अगस्त, 2018 में, लम्बित वादों की बढ़ोत्तरी के संबंध में, केन्द्रीय विधि और न्याय मंत्री ने उच्च न्यायालयों के सभी न्यायमूर्तियों को नियमित रूप से रिक्तियों की प्रास्थिति की निगरानी और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मलिक मजहर सुल्तान मामले में विहित की गई समय अनुसूची के अनुसार रिक्त पदों को भरने के लिए राज्य लोक सेवा आयोग के साथ उचित समन्वय सुनिश्चित करने हेतु लिखा है । रिक्तियों का भरा जाना उच्चतम न्यायालय द्वारा एक स्वप्रेरणा रिट याचिका (सिविल) संख्यांक 2018 का 2, में मानीटर किया जा रहा है ।

****

उपाबंध

'अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की रिक्तियां' से संबंधित लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1100 जिसका उत्तर तारीख 03.12.2021 को दिया जाना है, के भाग (क) से (घ) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण।

30.11.2021 तक नवीनतम रिक्ति रिपोर्ट

क्रं.सं.	राज्य और संघ राज्यक्षेत्र	कुल स्वीकृत पद संख्या	कुल कार्यरत पद संख्या	कुल रिक्ति
1.	अंडमान और निकोबार	0	13	-13
2.	आंध्र प्रदेश	607	492	115
3.	अरुणाचल प्रदेश	41	32	9
4.	असम	467	436	31
5.	बिहार	1953	1405	548
6.	चंडीगढ़	30	30	0
7.	छत्तीसगढ	482	411	71
8.	दादरा और नागर हवेली	3	2	1
9.	दमण और दीव	4	4	0
10.	दिल्ली	862	691	171
11.	गोवा	50	40	10
12.	गुजरात	1523	1129	394
13.	हरियाणा	772	482	290
14.	हिमाचल प्रदेश	175	164	1 1
15.	जम्मू - कश्मीर	300	243	57
16.	झारखंड	675	523	152
17.	कर्नाटक	1361	1082	279
18.	केरल	569	490	79
19.	लद्दाख	17	9	8
20.	लक्षद्वीप	3	3	0
21.	मध्य प्रदेश	2021	1555	466
22.	महाराष्ट्र	2190	1940	250
23.	मणिपुर	59	42	17
24.	मेघालय	97	49	48
25.	मिजोरम	64	42	22
26.	नागालैंड	34	24	10
27.	उड़ीसा	976	790	186
28.	पुदुचेरी	26	1 1	15
29.	पंजाब	692	608	84
30.	राजस्थान	1547	1274	273
31.	सिक्किम	28	20	8
32.	तमिलनाडु	1315	1052	263
33.	तेलंगाना	474	359	115
34.	त्रिपुरा	121	97	24
35.	उत्तर प्रदेश	3634	2559	1075
36.	उत्तराखंड	299	271	28
37.	पश्चिमी बंगाल	1014	918	96
कुल		**24485**	**19292**	**5193**

स्रोत:- डीओजी का एमआईएस पोर्टल

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1103
जिसका उत्तर शुक्रवार, 03 दिसम्बर, 2021 को दिया जाना है

लोक अदालत

1103. श्री अनुभव मोहंती:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देशभर के प्रत्येक जिले में लोक अदालतें स्थापित की गई हैं;

(ख) यदि हां , तो देश में वर्तमान में चल रही लोक अदालतों की जिले-वार कुल संख्या कितनी है;

(ग) लोक अदालतों में मामलों के निपटान की अपेक्षित दर और इन अदालतों में मामलों के निपटान की वर्तमान दर का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या योजना के अनुसार मामलों के निपटान की अपेक्षित दर प्राप्त नहीं रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

विधि और न्या य मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) और (ख) : लोक अदालत एक स्थायी स्थापन नहीं है और न्यायालयों में लंबित मामलों को कम करने और मुकदमेबाजी पूर्व स्तर पर विवादों को निपटाने की दृष्टि से ऐसे अंतराल पर आयोजित की जाती है , जैसा अपेक्षित महसूस किया जाता है। तथापि, विधिक सेवा प्राधिकरण (एलएसए) अधिनियम की धारा 19 के अनुसार , अपेक्षा के अनुसार विधिक सेवा संस्थानों द्वारा लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है। राष्ट्रीय लोक अदालतें पूर्व निर्धारित तारीख पर सभी तालुकों , जिलों और उच्च न्यायालयों में एक साथ आयोजित की जाती हैं। इसके अतिरिक्त , विधिक सेवा

प्राधिकरण अधिनियम की धारा 22ख प्रत्येक राज्य प्राधिकरण द्वारा पूर्व-मुकदमेबाजी स्तर पर सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं के मामलों से निपटने के लिए स्थायी लोक अदालत की स्थापना का भी उपबंध करती है। 358 स्थायी लोक अदालतें वर्तमान में विभिन्न राज्यों और संघ राज्यक्षेत्र में कार्य कर रही हैं। राज्यवार ब्यौरे उपाबंध-क में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) : किसी भी प्रकार की लोक अदालत के आयोजन से पहले निर्दिष्ट किए गए या निपटान के लिए मामलों के लिए कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान लोक अदालतों द्वारा निपटान किए गए मामलों के ब्योरे नीचे दिए गए हैं ।

<u>राष्ट्रीय लोक अदालतें :</u>

विषय	2019		2020		2021 (सितंबर, 2021 तक)	
	न्यायपीठों द्वारा लिया गया	समाप्त/निपटान	न्यायपीठों द्वारा लिया गया	समाप्त/निपटान	न्यायपीठों द्वारा लिया गया	समाप्त/निपटान
पूर्व-मुकदमा	1,35,14,315	26,76,483	60,36,006	12,64,935	1,12,71,825	36,65,902
लंबित मामले	78,10,672	26,16,790	51,15,168	12,83,433	72,34,578	36,36,737
कुल	2,13,24,987	52,93,273	1,11,51,174	25,48,368	1,85,06,403	73,02,639

<u>राज्य लोक अदालतें :</u>

विषय	2019-20		2020-21		2021-22 (अक्टूबर 2021 तक)	
	न्यायपीठों द्वारा लिया गया	समाप्त/निपटान	न्यायपीठों द्वारा लिया गया	समाप्त/निपटान	न्यायपीठों द्वारा लिया गया	समाप्त/निपटान
पूर्व-मुकदमा	4,44,865	79,493	2,70,506	1,42,549	1,40,476	73,496
लंबित मामले	10,86,872	4,66,258	9,88,895	6,01,524	4,11,406	274,712
कुल	15,31,737	5,45,751	12,59,401	7,44,073	5,51,882	3,48,208

उपाबंध-क

लोक अदालत-श्री अनुभव मोहंती संसद सदस्य द्वारा लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1103 जिसका उत्तर 03.12.2021 को दिया जाना है, के लिए निर्दिष्ट विवरण।

विभिन्न राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में क्रियाशील स्थायी लोक अदालतों के ब्योरे को दर्शित करने वाला विवरण

क्र.सं.	**एसएलएसए**	**सितंबर, 2021 के अनुसार क्रियाशील स्थायी लोक अदालत**
1.	अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह	0
2.	आंध्र प्रदेश	9
3.	अरुणाचल प्रदेश	0
4.	असम	14
5.	बिहार	9
6.	छत्तीसगढ	5
7.	दादर और नागर हवेली	0
8.	दमन और दीव	0
9.	दिल्ली	3
10.	गोवा	1
11.	गुजरात	4
12.	हरियाणा	21
13.	हिमाचल प्रदेश	4
14.	जम्मू और कश्मीर	0
15.	झारखंड	24
16.	कर्नाटक	6
17.	केरल	3
18.	लक्षद्वीप	0
19.	मध्य प्रदेश	50
20.	महाराष्ट्र	4
21.	मणिपुर	0
22.	मेघालय	0
23.	मिजोरम	2
24.	नागालैंड	0
25.	ओडिशा	22
26.	पुद्दुचेरी	0
27.	पंजाब	22
28.	राजस्थान	35
29.	सिक्किम	0
30.	तमिलनाडु	32
31.	तेलंगाना	6
32.	त्रिपुरा	6
33.	चंडीगढ़	1
34.	उत्तर प्रदेश	71
35.	उत्तराखंड	4
36.	पश्चिमी बंगाल	0
37.	लद्दाख	0
	सकल योग	**358**

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1115
जिसका उत्तर शुक्रवार, 03 दिसम्बर, 2021 को दिया जाना है

न्यायाधीशों का स्थानान्तरण

1115. श्री बी. मणिक्कम टैगोर :
क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) क्या यह सच है कि मद्रास उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ताओं और वकीलों ने मद्रास उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश को मेघालय उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किए जाने का विरोध किया था ;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;
(ग) क्या यह भी सच है कि आंदोलनकारी वकीलों और उनसे संबंधित संघों ने आरोप लगाया है कि उक्त स्थानांतरण निर्धारित नियमों के अनुसार नहीं था, और
(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (घ) : जी हां, मद्रास उच्च न्यायालय के कुछ ज्येष्ठ अधिवक्ताओं और वकीलों के निकायों ने मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के रूप में स्थानांतरण का जो 15 नवंबर, 2021 को अधिसूचित किया गया था, विरोध किया था । उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति/न्यायाधीश के स्थानांतरण की सिफारिश भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और भारत के उच्चतम न्यायालय के चार ज्येष्ठतम अवर न्यायाधीशों द्वारा की जाती है । प्रक्रिया ज्ञापन के अनुसार भारत का मुख्य न्यायमूर्ति उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूतियों/न्यायाधीशों के स्थानांतरण का प्रस्ताव करने के लिए सशक्त है और इस संबंध में उसकी राय निर्णायक होती है । सरकार, भारत के राष्ट्रपति का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् स्थानांतरण को अधिसूचित करती है । सभी स्थानांतरण लोकहित में अर्थात् देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में बेहतर न्याय प्रशासन की अभिवृद्धि के लिए किए जाते हैं ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1118
जिसका उत्तर शुक्रवार, 03 दिसम्बर, 2021 को दिया जाना है

टेली-लॉ मोबाइल एप

1118. श्री पोचा ब्रह्मानंद रेड्डी :
डॉ. संजीव कुमार शिंगरी :
कुमारी गोड्डेति माधवी :
श्री एम. वी.वी. सत्यनारायण :
श्री श्रीधर कोटागिरी :
श्री तालारी रंगैय्या :
श्री बेल्लाना चन्द्रशेखर :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) क्या सरकार ने हाल ही में सिटीजन्स टेली-लॉ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है ;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और
(ग) नागरिकों के लिए इस ऐप के लाभों के साथ-साथ इस ऐप की मुख्य विशेषताएं क्या हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ग) : जी हां, टैली-विधि एक यूनिक ई-इंटरफेस प्लेटफार्म है जो विशेषकर गरीब और वंचित लोगों को सामान्य सेवा केन्द्रों (सीएससीएस) पर उपलब्ध वीडियो कांफ्रेंसिंग और टेलीफोन की सुविधाओं द्वारा पैनल अधिवक्ताओं के माध्यम से मुकदमा-पूर्व विधिक सलाह उपलब्ध कराता है । टैली-विधि को एक मजबूत, लोकप्रिय और बहुमुखी माध्यम बनाने के लिए सतत प्रयास किए जा रहे हैं । इस दिशा में एक कदम के रूप में सरकार ने हाल ही में सिटिजन्स टेली-विधि मोबाइल ऐप की शुरूआत की है । यह ऐप, किसी हिताधिकारी को मोबाइल ऐप के माध्यम से सीधे पैनल अधिवक्ता से परामर्श करके मुकदमा-पूर्व वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए समर्थ बनाता है । यह परामर्श, विधिक सेवा प्राधिकरण (एलएसए) अधिनियम, 1987 की धारा 12 के अधीन मुफ्त विधिक सहायता के हकदार हिताधिकारियों के लिए नि:शुल्क है, जबकि अन्य व्यक्ति इसे तीस रुपये प्रति परामर्श की मामूली फीस पर प्राप्त कर सकते हैं । वर्तमान में, यह ऐप छह भाषाओं अर्थात् मराठी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है ।

टैली-विधि वर्तमान में देश के 34 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के 633 जिलों को समाविष्ट करते हुए 51,434 सामान्य सेवा केन्द्रों (सीएससीएस) में प्रचालित है, जिसके अंतर्गत 115 आकांक्षी जिले भी हैं । 12,46,922 हिताधिकारी सलाह के लिए रजिस्ट्रीकृत किए गए हैं जिसमें से 12,31,746 मामलों में सलाह दी जा चुकी है । इसमें 3,81,791 महिलाएं, 3,74,294 अन्य पिछड़ा वर्ग, 3,25,413 अनुसूचित जातियों और 2,45,349 अनुसूचित जनजातियों के व्यक्ति सम्मिलित हैं । कोविड काल के दौरान टैली-विधि ने सामान्य नागरिकों की विभिन्न सरकारी

कल्याणकारी स्कीमों के अधीन अपने अधिकारों और हकदारी के लिए दावा करने में सहायता की

है ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1132
जिसका उत्तर शुक्रवार, 03 दिसम्बर, 2021 को दिया जाना है

द्वार पर न्याय सुविधा के लिए अभियान

1132. श्री नारणभाई काछड़िया :
श्री परबतभाई सवाभाई पटेल :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) क्या द्वार पर न्याय उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने कोई अभियान शुरू किया है ;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां इस प्रकार की सेवा उपलब्ध कराई जा रही है, और
(ग) गुजरात के किन जिलों और ग्राम पंचायतों में यह सेवा उपलब्ध कराई जाएगी ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) और (ख) : नागरिकों को उनके दरवाजे पर न्याय तक पहुंच प्रदान करने के लिए, केंद्रीय सरकार ने ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 अधिनियमित किया है। यह मध्यवर्ती पंचायत स्तर पर ग्राम न्यायालयों की स्थापना करने के लिए उपबंध करता है। राज्य सरकारें संबंधित उच्च न्यायालयों के परामर्श से ग्राम न्यायालयों की स्थापना के लिए उत्तरदायी हैं, यद्यपि अधिनियम के अनुसार ग्राम न्यायालय स्थापित करना आज्ञापक नहीं है।

केंद्रीय सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करके ग्राम न्यायालय स्थापित करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करती रही है। ग्राम न्यायालयों की स्थापना और प्रचालन के लिए राज्य सरकारों को सहायता के लिए स्कीम के अनुसार, केंद्रीय सरकार 18.00 लाख रु. प्रति ग्राम न्यायालय की सीमा के अधीन ग्राम न्यायालयों की स्थापना के लिए अनावर्ती व्यय के संबंध में राज्यों को एकमुश्त सहायता प्रदान करती है । केंद्रीय सरकार पहले तीन वर्षों के लिए प्रति ग्राम न्यायालय प्रति वर्ष 3.20 लाख रु. इन ग्राम न्यायालयों के संचालन के लिए आवर्ती खर्चों के लिए भी सहायता प्रदान करती है। केंद्रीय सरकार ने संबंधित राज्यों में ग्राम न्यायालय स्थापित करने के लिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों से अनुरोध किया है। उच्च न्यायालयों के महारजिस्ट्रार और राज्य सरकारों के विधि/गृह/वित्त सचिवों ने ग्राम न्यायालय स्थापित करने और स्कीम दिशानिर्देशों के अनुसार वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए आवधिक रूप से आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस बैठकों के माध्यम से भी अनुरोध किया है। राज्य सरकारों/उच्च न्यायालयों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार अब तक 15 राज्यों द्वारा 476 ग्राम न्यायालय अधिसूचित किए जा चुके हैं। इनमें से 256 वर्तमान में 10 राज्यों में चालू हैं।

ग्राम न्यायालय स्कीम को केंद्रीय सरकार द्वारा कुल बजट परिव्यय रु. 50.00 करोड़ 2021-22 से 2025-26 तक और 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है ।

(ग) : गुजरात राज्य में कोई ग्राम न्यायालय नहीं है।

****

भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

विधि कार्य विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं *82

जिसका उत्तर शुक्रवार, 03 दिसम्बर, 2021 को दिया जाना है

ऑनलाइन विवाद समाधान

***82. श्रीमती अपराजिता सारंगी :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ऑनलाइन विवाद समाधान के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए किसी कानून/दिशानिर्देश को बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार की योजना जन उपयोगिता सेवाओं के लिए ऑनलाइन विवाद समाधान को आरंभ करने की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ,

(ग) क्या सरकार की योजना लंबित मामलों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए कतिपय मामलों में मुकदमेबाजी से पहले ऑनलाइन विवाद समाधान को अनिवार्य किए जाने का है और यदि हां , तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं , तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या सरकार ने देश में ऑनलाइन विवाद समाधान के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिए उपाय किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याएय मंत्री

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (घ) : एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

'ऑनलाइन विवाद समाधान' से संबंधित लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *82 जिसका उत्तर तारीख 03 दिसम्बर, 2021 को दिया जाना है, के भाग (क) से (घ) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

(क) : भारत में आनलाइन विवाद समाधान की धारणा आरंभिक अवस्था में है । नीति आयोग ने, इसे आगे बढ़ाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था और समिति की "विवाद समाधान के भविष्य का रूपांकन : भारत की आनलाइन विवाद समाधान नीति योजना" नामक रिपोर्ट तारीख 29.11.2021 को जारी की गई थी । इसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, भारत में आनलाइन विवाद समाधान को मुख्य धारा में लाने के लिए एक ऐसी किफायती, सुविधाजनक, दक्ष प्रक्रिया के रूप में सिफारिश की गई है , जो विवाद की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए , पक्षकारों की विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं के अनुकूल हो सकती है ।

(ख) : जन उपयोगिता सेवाएं, अनन्य रूप से केंद्रीय सरकार के क्षेत्र में नहीं आती हैं, क्योंकि ये सेवाएं राज्य सरकारों द्वारा भी प्रदान की जाती हैं । इस मामलें में किसी नीति को आरंभ करने में व्यापक परामर्शों की आवश्यकता होती है । चूंकि , वर्तमान में, आनलाइन विवाद समाधान पारिस्थितिकी तंत्र अभी देश में औपचारिक रूप से आरंभ किया जाना है , वर्तमान में, जन सेवाओं में आनलाइन विवाद समाधान को आरंभ करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(ग) : जी, हां । मध्यकता संबंधी एकमात्र विधि के लिए प्रस्ताव , किसी न्यायालय में किसी पक्षकार द्वारा सिविल या वाणिज्यिक प्रकृति का कोई वाद या कार्यवाहियां फाइल करने से पहले मुकद्दमा-पूर्व मध्यकता के लिए उपबंध करता है । ऐसी मुकद्दमा-पूर्व मध्यकता भी आनलाइन आरंभ की जा सकती है ।

(घ) : नीति आयोग द्वारा 29.11.2021 को जारी की गई भारत की आनलाइन विवाद समाधान नीति योजना में आनलाइन विवाद समाधान के लिए जागरूकता का प्रसार करने के लिए विभिन्न उपायों की सिफारिश की गई है । तथापि, अभी तक कोई विधिक कार्यढ़ांचा प्रस्तुत नहीं किया गया है , वर्तमान में, आनलाइन विवाद समाधान संबंधी जागरूकता में वृद्धि करने के लिए उपाय , सरकार के स्तर पर उद्भूत नहीं होते हैं ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं *100
जिसका उत्तर शुक्रवार, 03 दिसम्बर, 2021 को दिया जाना है

फास्ट ट्रैक न्यायालय

***100. श्री रामचरण बोहरा :**

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में फास्ट ट्रैक न्यायालयों की संख्या में वृद्धि करने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) इन न्यायालयों की स्थापना के लिए गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई एवं उपयोग में लाई गई ; और (घ) क्या सरकार ने इन न्यायालयों की स्थापना तथा अधिक संख्या में न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु और अधिक धनराशि आबंटित की है और यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (घ) : एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

‘त्वरित निपटान न्यायालय’ से संबंधित लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या *100 जिसका उत्तर तारीख 03.12.2021 को दिया जाना है, के उत्तर के भाग (क) से (घ) में निर्दिष्ट विवरण

(क) से (घ) : त्वरित निपटान न्यायालयों (एफटीसी) की स्थापना करना और उनको निधियों का आबंटन करना संबंधित उच्च न्यायालयों के परामर्श से ऐसी राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है, जो अपनी आवश्यकता और संसाधनों के अनुसार ऐसे न्यायालयों की स्थापना करती है । त्वरित निपटान न्यायालय इस अध्ययन के निष्कर्षों के आधार पर लंबे समय से लंबित मामलों के निपटान के लिए 11वें वित्त आयोग के दौरान सृजित किए गए थे कि ऐसा प्रत्येक न्यायालय एक वर्ष में 168 तक मामलों का निपटान करेगा । केन्द्रीय निधियन 31.03.2015 के पश्चात् समाप्त कर दिया गया है । तत्पश्चात्, 14वें वित्त आयोग ने यह सिफारिश की थी कि स्थापित किए जाने वाले त्वरित निपटान न्यायालयों की संख्या, किसी राज्य के न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत पद संख्या का 10 प्रतिशत होनी चाहिए । 14वें वित्त आयोग ने वर्ष 2015-2020 के दौरान 1800 त्वरित निपटान न्यायालयों की स्थापना करने की सिफारिश की थी और राज्य सरकारों से इस प्रयोजन के लिए (32 प्रतिशत से 42 प्रतिशत) कर न्यायागम के माध्यम से उपलब्ध बढ़े हुए राजवितीय स्थान का उपयोग करने का अनुरोध किया था । उच्च न्यायालयों से प्राप्त सूचना के अनुसार 31.10.2021 तक कार्यरत त्वरित निपटान न्यायालयों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार संख्या **उपाबंध** पर दी गई है ।

राज्यों द्वारा त्वरित निपटान न्यायालयों के क्रियान्वयन के लिए आबंटित निधियों की सूचना केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती है । चूंकि, त्वरित निपटान न्यायालयों के लिए केन्द्रीय निधियन समाप्त कर दिया गया है, अत: राज्यों को केन्द्र द्वारा अधिक निधियों के आबंटन का प्रश्न ही नहीं उठता ।

****

उपाबंध

राज्य-वार- कार्यरत त्वरित निपटान न्यायालयों का विवरण (31/10/2021 तक)

क्र.सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम	कार्यरत न्यायालयों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	21
2	अंदमान निकोबार	0
3	अरुणाचल प्रदेश	0
4	असम	15
5	बिहार	0
6	चंडीगढ़	0
7	छत्तीसगढ	23
8	दादरा और नागर हवेली	0
9	दिल्ली	5
10	दीव और दमण	0
1 1	गोवा	3
12	गुजरात	35
13	हरियाणा	6
14	हिमाचल प्रदेश	0
15	जम्मू - कश्मीर	4
16	झारखंड	36
17	कर्नाटक	16
18	केरल	28
19	लद्दाख	0
20	लक्षद्वीप	0
21	मध्य प्रदेश	0
22	महाराष्ट्र	109
23	मणिपुर	2
24	मेघालय	0
25	मिजोरम	2
26	नागालैंड	0
27	उड़ीसा	18
28	पुडुचेरी	0
29	पंजाब	7
30	राजस्थान	0
31	सिक्किम	2
32	तमिलनाडु	74
33	तेलंगाना	34
34	त्रिपुरा	1 1
35	उत्तर प्रदेश	371
36	उत्तराखंड	4
37	पश्चिमी बंगाल	88
	कुल	**914**

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं 2072
जिसका उत्तर शुक्रवार, 10 दिसम्बर, 2021 को दिया जाना है

गांव के स्तर पर न्याय प्रणाली

2072. श्री संजय भाटिया :
श्री सत्यदेव पचौरी :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गांव के स्तर पर न्यायालय स्थापित करने हेतु कोई योजना बनाई है जिससे कि गांव के लोगों के लिए एक सुलभ न्याय प्रणाली विकसित हो सके और गांव की पंचायतों को सुदृढ बनाया जा सके ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत दो वर्षों में प्रत्येक और वर्तमान वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखण्ड सहित देशभर में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितने ग्रामीण न्यायालय स्थापित किए गए और कार्यरत हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने इन ग्रामीण न्यायालयों की व्यवहार्यता के संबंध में कोई आकलन कराया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) और (ख) : नागरिकों को उनके दरवाजे पर न्याय तक पहुंच प्रदान करने के लिए, केंद्रीय सरकार ने ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 अधिनियमित किया है। यह मध्यवर्ती पंचायत स्तर पर ग्राम न्यायालयों की स्थापना करने के लिए उपबंध करता है। राज्य सरकारें संबंधित उच्च न्यायालयों के परामर्श से ग्राम न्यायालयों की स्थापना के लिए उत्तरदायी हैं, यद्यपि अधिनियम के अनुसार ग्राम न्यायालय स्थापित करना आज्ञापक नहीं है। केंद्रीय सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करके ग्राम न्यायालय स्थापित करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करती रही है। केंद्रीय सरकार ने संबंधित राज्यों में ग्राम न्यायालय स्थापित करने के लिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों से अनुरोध किया है। उच्च न्यायालयों के महारजिस्ट्रार और राज्य सरकारों के विधि/गृह/वित्त सचिवों ने ग्राम न्यायालय स्थापित करने और स्कीम दिशानिर्देशों के अनुसार वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए आवधिक रूप से आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस बैठकों के माध्यम से भी अनुरोध किया है।

ग्राम न्यायालयों की स्थापना और प्रचालन के लिए राज्य सरकारों को सहायता के लिए स्कीम के अनुसार, केंद्रीय सरकार 18.00 लाख रु. प्रति ग्राम न्यायालय की सीमा के अधीन ग्राम न्यायालयों की स्थापना के लिए अनावर्ती व्यय के संबंध में राज्यों को एकमुश्त सहायता प्रदान करती है । केंद्रीय सरकार पहले तीन वर्षों के लिए प्रति ग्राम न्यायालय प्रति वर्ष 3.20 लाख रु. इन ग्राम न्यायालयों के संचालन के लिए आवर्ती खर्चों के लिए भी सहायता प्रदान करती है। जबकि उत्तराखण्ड राज्य ने कोई ग्राम न्यायालय स्थापित नहीं किया है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्य सहित पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में स्थापित और क्रियात्मक ग्राम न्यायालयों की संख्या **उपाबंध** में संलग्न है।

(ग) : ग्राम न्यायालय स्कीम का समय-समय पर मूल्यांकन किया गया है। स्कीम का तीसरा पक्ष हाल ही में मूल्यांकन नीति आयोग के माध्यम से किया गया था, जिसने स्कीम को जारी रखने की सिफारिश की थी। सरकार ने 50 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ उपरोक्त स्कीम को 01.04.2021 से 31.03.2026 तक पांच वर्षों की और अवधि के लिए बढ़ा दिया है।

****

उपाबंध

ग्राम स्तर पर न्याय प्रणाली के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2072 जिसका उत्तर 10 दिसंबर 2021 को को दिया जाना है, के भाग (क) और (ख) के उत्तर के लिए निर्दिष्ट विवरण।

क्र.सं.	राज्य	2019 में क्रियाशील ग्राम न्यायालयों की संख्या	2020 में क्रियाशील ग्राम न्यायालयों की संख्या	2021 में क्रियाशील ग्राम न्यायालयों की संख्या
1.	मध्य प्रदेश	89	87	89
2.	राजस्थान	45	45	45
3.	केरल	30	30	30
4.	महाराष्ट्र	24	24	23
5.	ओडिशा	14	16	19
6.	उत्तर प्रदेश	4	14	43
7.	कर्नाटक	-	-	2
8.	हरियाणा	2	2	2
9.	पंजाब	1	2	2
10.	झारखंड	1	1	1
		210	**221**	**256**

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं 2089
जिसका उत्तर शुक्रवार, 10 दिसम्बर, 2021 को दिया जाना है

जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति

2089. श्री विनसेंट एच. पाला :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रस्तावित अखिल भारतीय न्यायिक सेवाओं के तहत जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्तावित ढांचा क्या है ;

(ख) सरकार का उक्त ढांचे के तहत नियुक्तियों के मामले में न्यायपालिका की स्वतंत्रता को किस प्रकार बनाए रखने का विचार है ; और

(ग) क्या सरकार ने वित्तीय बोझ तथा इसकी भागीदारी एवं लंबित मामलों के निपटान के लिए आवश्यक न्यायिक अधिकारियों की संख्या के संबंध में इस तरह के प्रस्ताव की व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन किया है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (घ) : सरकार के विचार में, सम्पूर्ण न्याय परिदान प्रणाली को, सुदृढ करने के लिए उचित रुप से बनाई गई अखिल भारतीय न्यायिक सेवा महत्वपूर्ण है । यह एक उचित अखिल भारतीय योग्यता चयन प्रणाली के माध्यम से चयनित उपयुक्त रुप से अर्हित नए प्रतिभाशाली विधिक व्यक्तियों के प्रवेश का अवसर प्रदान करेगी, और साथ ही यह समाज के सीमांत और वंचित वर्गों के लिए उपयुक्त प्रतिनिधित्व को समर्थ बनाकर सामाजिक समावेशन के मुद्दे का समाधान करेगी ।

अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (एआईजेएस) के गठन के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव बनाया गया था और उसे नवम्बर, 2012 में सचिवों की समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था । देश की सर्वोत्तम प्रतिभाओं को आकर्षित करने के अतिरिक्त यह न्यायपालिका में सीमांत वर्ग के सक्षम व्यक्तियों और महिलाओं के समावेशन को भी सुकर बना सकेगा । अप्रैल, 2013 में आयोजित मुख्य मंत्रियों तथा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में इस प्रस्ताव को कार्यसूची मद के रुप में सम्मिलित किया गया था और यह विनिश्चय किया गया था कि इस मुद्दे पर और विचार-विमर्श तथा ध्यान देने की आवश्यकता है।

इस प्रस्ताव पर राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों से विचार मांगे गए थे । अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन पर राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों के बीच मत भिन्नता थी। जबकि, कुछ राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों ने प्रस्ताव का समर्थन किया, कुछ अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के सृजन के पक्ष में नहीं थे, जबकि कुछ अन्य, केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए प्रस्ताव में परिवर्तन चाहते थे।

जिला न्यायाधीशों के पद पर भर्ती और सभी स्तरों पर न्यायाधीशों/न्यायिक अधिकारियों के चयन प्रक्रिया के पुनर्विलोकन में सहायता करने के लिए न्यायिक सेवा आयोग के सृजन से संबंधित विषय मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन की कार्यसूची में भी सम्मिलित किया गया था जो 3 और 4 अप्रैल, 2015 को आयोजित किया गया था, जिसमें यह संकल्प किया गया था कि यह संबंधित उच्च न्यायालयों के लिए खुला छोड़ दिया जाए जिससे कि वे जिला न्यायाधीशों की शीघ्रतापूर्वक नियुक्ति के लिए रिक्तियों को भरने हेतु विद्यमान प्रणाली के भीतर समुचित पदधतियां विकसित कर सकें । अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन के लिए प्रस्ताव के साथ राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों से प्राप्त विचारों को 5 अप्रैल, 2015 को आयोजित मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों के संयुक्त सम्मेलन के लिए कार्यसूची में सम्मिलित किया गया था । तथापि, इस विषय पर कोई प्रगति नहीं हुई थी ।

अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की स्थापना के प्रस्ताव पर, 16 जनवरी, 2017 को विधि और न्याय राज्य मंत्री, भारत के महान्यायवादी, भारत के महासॉलिसिटर, न्याय विभाग, विधि कार्य विभाग तथा विधायी विभाग के सचिवों की उपस्थिति में विधि और न्याय मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में पात्रता, आयु, चयन मानदण्ड, अर्हता, आरक्षण आदि के बिन्दुओं पर पुन: चर्चा की गई थी। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा पर मार्च, 2017 में संसदीय परामर्श समिति और तारीख 22.02.2021 को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के कल्याण से संबंधित संसदीय समिति की बैठक में भी विचार-विर्मश किया गया था ।

पणधारियों के बीच विद्यमान मत भिन्नता को दृष्टिगत रखते हुए, सरकार एक समान आधार पर पहुंचने के लिए पणधारियों के साथ परामर्श की प्रक्रिया में लगी हुई है।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं 2098
जिसका उत्तर शुक्रवार, 10 दिसम्बर, 2021 को दिया जाना है

पश्चिमी बंगाल में न्यायाधीशों के रिक्त पद

2098. **डॉ. सुकान्त मजूमदार:**
श्री सौमित्र खान :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) पश्चिमी बंगाल के जिला न्यायालयों और उच्च न्यायालयों में वर्तमान में कितने न्यायाधीशों के पद रिक्त पड़े हैं और ये जिले-वार कब से रिक्त पड़े हैं ;
(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसी अदालतों में इन रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ;
(ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान उपरोक्त जिला न्यायालयों में कितने मामले लंबित हैं और ऐसे लंबित मामलों के वर्ष-वार और जिले-वार क्या कारण हैं ;
(घ) क्या सरकार राज्य सरकारों को रिक्तियों को भरने के लिए पहल कर रही है एवं यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन रिक्तियों को कब तक भरे जाने की संभावना है ; और
(ङ) जनता के लिए आसान और सुलभ न्यायिक प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए क्या निवारक कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) : कलकत्ता उच्च न्यायालय से प्राप्त सूचना के अनुसार तारीख 06.12.2021 तक कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के रिक्त पदों की संख्या 33 (तैंतीस) थी । तारीख 01.12.2021 तक पश्चिमी बंगाल के जिला न्यायालयों में रिक्त पदों की संख्या निम्नानुसार थी:-

क्र.सं.	कॉडर	कार्यरत पद संख्या	रिक्तियां
1	जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर)	255	16
2	अपर जिला न्यायाधीश (त्वरित निपटान न्यायालय)	81	07
3	सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ खंड)/मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट	213+1 (निलंबित)	04
4	सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ खंड)	374	32
5	कुल	923+1 (निलंबित)	59

(ख) : उच्च न्यायालयों में रिक्तियों का भरा जाना एक सतत, एकीकृत और सहयोगकारी प्रक्रिया है । इसमें राज्य और केन्द्रीय दोनों स्तरों पर विभिन्न संवैधानिक प्राधिकारियों से परामर्श करना और उनका अनुमोदन अपेक्षित होता है । यद्यपि, विद्यमान रिक्तियों को शीघ्रता से भरने के लिए प्रत्येक प्रयास किया जाता है, रिक्तियां न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र या उन्नयन तथा न्यायाधीशों की पद संख्या में वृद्धि, के कारण उद्भूत होती रहती है ।

वर्ष 01.08.2018 से 07.12.2001 के दौरान कलकत्ता उच्च न्यायालय में 26 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है । उसका वर्ष-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	अवधि	नियुक्ति किए गए न्यायाधीशों की संख्या
1	01.01.2018 से 31.12.2018	11
2	01.01.2019 से 31.12.2019	06
3	01.01.2020 से 31.12.2020	01
4	01.01.2021 से 31.12.2021	08

कलकत्ता उच्च न्यायालय से प्राप्त सूचना के अनुसार विभिन्न रैंक के न्यायिक अधिकारियों की रिक्तियां माननीय शीर्ष न्यायालय द्वारा मलिक मजहर सुल्तान मामले में विहित समय अनुसूची का पालन करते हुए भरी जाती है ।

(ग) : पिछले पांच वर्षों के दौरान पश्चिमी बंगाल के अधीनस्थ न्यायालयों में लम्बित मामलों की संख्या **उपाबंध** पर दी गई है ।

(घ) : संविधान के अधीन संघ सरकार जिला/अधीनस्थ न्यायपालिका के न्यायिक अधिकारियों के चयन और नियुक्ति में कोई भूमिका नहीं निभाती है । उच्चतम न्यायालय ने मलिक मजहर सुल्तान मामलें में अपने 4 जनवरी, 2007 के आदेश में अधीनस्थ न्यायापालिका की रिक्तियों को भरने के लिए अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और समय सीमा प्रकल्पित की है जो यह नियत करती है कि अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की भर्ती की प्रक्रिया कैलेण्डर वर्ष के 31 मार्च से प्रारंभ होगी और उसी वर्ष के 31 अक्तूबर तक समाप्त होगी । उच्चतम न्यायालय ने राज्य की विशिष्ट भौगोलिक और जलवायु स्थितियों या अन्य सुसंगत स्थितियों के आधार पर किन्हीं कठिनाइयों की दशा में समय अनुसूची में परिवर्तन करने के लिए राज्य सरकारों/उच्च न्यायालयों को अनुज्ञात किया है । कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पश्चिमी बंगाल राज्य की अधीनस्थ न्यायापालिका में न्यायाधीशों की चयन प्रक्रिया और नियुक्ति के लिए माननीय शीर्ष न्यायालय द्वारा मलिक मजहर सुल्तान मामले में यथा विहित समय अनुसूची का कुछ अवसरों को छोड़कर जब बाध्यकारी परिस्थितियों के अधीन ऐसी समय सीमा से विचलन हुआ था, कठोर रूप से पालन किया जाता है ।

इसके अतिरिक्त माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निदेशों के अनुपालन में न्याय विभाग ने सभी उच्च न्यायालयों के महारजिस्ट्रारों को आवश्यक कार्रवाई के लिए मलिक मजहर के निर्णय की एक प्रति भेजी थी । न्याय विभाग सभी उच्च न्यायालयों के महारजिस्ट्रारों को अधीनस्थ न्यायपालिका में रिक्ति को भरने में मलिक मजहर सुल्तान मामले द्वारा आज्ञापित तेजी लाने के लिए समय समय पर लिखता रहता है ।

सितंबर, 2016 में, संघीय विधि और न्याय मंत्री ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्तियों को जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की काडर संख्या में अभिवृद्धि करने और राज्य न्यायपालिका को भौतिक अवसंरचना प्रदान करने के लिए लिखा था । इसे मई,

2017 में पुन: दोहराया गया था । जिला और अधीनस्थ न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत पदसंख्या वर्ष 2014 में 19,518 से बढ़कर 30.11.2021 को 24,485 हो गई है ।

(ङ) : न्याय के परिदान और विधिक सुधार के लिए राष्ट्रीय मिशन का गठन अगस्त, 2011 में न्याय प्रणाली में विलम्ब और बकाया को कम करके और संरचनात्मक परिवर्तनों के माध्यम से जबावदेही बढ़ाकर तथा निष्पादन मानक और क्षमताओं को नियत करके दोहरे उद्देश्यों के साथ किया गया था । मिशन, न्याय प्रशासन में बकाया और लंबन को चरणवार कम करने के लिए एक समन्वित पहुंच अपना रहा है, जिसमें, अन्य बातों के साथ, न्यायालयों के लिए बेहतर अवसंरचना, जिसके अन्तर्गत कम्प्यूटरीकरण, अधीनस्थ न्यायपालिका की संख्या में वृद्धि, अत्यधिक मुकदमेबाजी वाले क्षेत्रों में नीतिगत और विधायी उपाय, मामलों के त्वरित निपटारे के लिए न्यायालय प्रक्रिया का पुनः प्रबंधन तथा मानव संसाधन का विकास भी है ।

विभिन्न पहलों के अधीन पिछले छह वर्षों में उठाए गए प्रमुख कदम निम्नानुसार हैं :-

(i) **जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों के लिए अवसंरचना में सुधार करना:** वर्ष 1993-94 में न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए केंद्रीकृत प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) के प्रारंभ से आज तक 8709.77 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं । इस स्कीम के अधीन, न्यायालय हालों की संख्या तारीख 30.06.2014 को 15,818 से बढ़कर तारीख 31.10.2021 तक 20,565 हो गई है और आवासीय इकाइयों की संख्या तारीख 30.06.2014 को 10,211 से बढ़कर तारीख 31.10.2021 तक 18,142 हो गई है । इसके अतिरिक्त, 2,841 न्यायालय हाल और 1,807 आवासीय ईकाइयां निर्माणाधीन हैं । न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास हेतु केंद्रीय प्रायोजित स्कीम 9000 करोड़ रुपये की कुल लागत के साथ 2025-26 तक बढ़ा दी गई है, जिसमें से केन्द्रीय हिस्सा 5307 करोड़ रुपये होगा। न्यायालय हालों और आवासीय ईकाइयों के संनिर्माण के अतिरिक्त, इसके अन्तर्गत अधिवक्ता हालों, शौचालय परिसरों और डिजिटल कम्प्यूटर कक्षों का संनिर्माण भी होगा।

(ii) **न्याय के परिदान में सुधार के लिए सूचना और संसूचना प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का लाभ उठाना :** सरकार, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के सूचना और संसूचना प्रौद्योगिकी समर्थकरण के लिए देशभर में ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना का कार्यान्वयन कर रही है । 01.07.2021 को कंप्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की संख्या बढ़कर 18,735 हो गई है । 98.7 प्रतिशत न्यायालय परिसरों को वॉन संयोजकता प्रदान की गई है । मामले की सूचना साफ्टवेयर का नया और उपयोक्ता अनुकूल संस्करण विकसित करके सभी कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में लगाया गया है । सभी पणधारी, जिनके अंतर्गत न्यायिक अधिकारी भी हैं, राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एन जे डी जी) पर कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों तथा उच्च न्यायालयों की न्यायिक कार्यवाहियों/निर्णयों से संबंधित सूचना प्राप्त कर सकते हैं । तारीख 01.11.2021 को यथाविद्यमान, वादी इन न्यायालयों से संबंधित 19.56 करोड़ मामलों तथा 15.72 करोड़ आदेशों/निर्णयों की प्रास्थिति जान सकते हैं । ई-न्यायालय सेवाएं जैसे कि मामला रजिस्ट्रीकरण के ब्यौरे, वाद सूची, मामला प्रास्थिति, दैनिक आदेश और अंतिम निर्णय ई-न्यायालय वैब पोर्टल, सभी कंप्यूटरीकृत न्यायालयों में न्यायिक सेवा केंद्र (जेएससी) के माध्यम से, ई-न्यायालय मोबाइल एप, ई-मेल सेवा, एसएमएस पुश और पुल सेवा के माध्यम से वादियों और अधिवक्ताओं को उपलब्ध हैं । 3240 न्यायालय परिसरों तथा 1272 तत्स्थानी कारागारों के बीच वीडियो कान्फरेंसिंग सुविधा को समर्थ बनाया गया है । कोविड-19 की चुनौतियों का बेहतर ढंग से

सामना करने तथा वर्चुअल सुनवाई में संक्रमण को अधिक आसान बनाने की दृष्टि से, मामले की प्रास्थिति से लेकर निर्णय/आदेशों को प्राप्त करने, न्यायालय/मामले संबंधित सूचना और ई-फाइलिंग सुविधाओं तक सहायता की आवश्यकता वाले अधिवक्ताओं तथा वादियों को सुविधा प्रदान करने के लिए न्यायालय परिसरों में 235-ई सेवा केन्द्रों का गठन करने के लिए निधियों की व्यवस्था की गई है । विभिन्न न्यायालय परिसरों में वीडियो कान्फ्रेंसिंग केबिनों में वर्चुअल सुनवाई की सुविधा प्रदान करने के लिए उपकरणों की व्यवस्था करने हेतु 5.01 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं । विभिन्न न्यायालय परिसरों में, ई-फाइलिंग हेतु 1732 हेल्प डेस्क काउंटरों के लिए 12.12 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं ।

यातायात संबंधी अपराधों के विचारण हेतु 11 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों अर्थात दिल्ली (2), हरियाणा, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल (2), महाराष्ट्र (2), असम, छतीसगढ़, जम्मू-कश्मीर (2), उत्तर प्रदेश, ओड़िशा में पंद्रह वर्चुअल न्यायालय गठित किए गए हैं । तारीख 01.11.2021 तक इन न्यायालयों ने 99 लाख मामले निपटाए तथा 193.15 करोड़ रुपए जुर्माने के रुप में वसूल किए ।

कोविड लॉकडाउन अवधि के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, न्यायालयों के सहारे के रूप में उभरा, क्योंकि सामूहिक ढंग से भौतिक सुनवाईयां और सामान्य न्यायालय कार्यवाहियां संभव नहीं थी । कोविड लॉकडाउन आरम्भ होने के समय से 31.10.2021 तक केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का प्रयोग करके जिला न्यायालयों ने 1,01,77,289 मामलों में सुनवाइयां और उच्च न्यायालयों ने 55,24,021 मामलों में सुनवाइयां (कुल 1.57 करोड़) की हैं । उच्चतम न्यायालय ने लॉकडाउन अवधि आरम्भ होने के समय से 29.10.2021 तक 1,50,692 सुनवाइयां कीं थी ।

(iii) **उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय तथा जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों की रिक्तियों को भरा जाना :** तारीख 01.05.2014 से 29.11. 2021 के दौरान उच्चतम न्यायालय में 44 न्यायमूर्ति नियुक्त किए गए थे । उच्च न्यायालयों में 688 नए न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे और 583 अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी किया गया था । उच्च न्यायालयों के न्यायमूर्तियों की स्वीकृत पद संख्या को मई, 2014 में 906 से बढ़ाकर वर्तमान में 1098 किया गया है । जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत और कार्यरत पद संख्या निम्न प्रकार बढ़ाई गई हैं :

तारीख को	स्वीकृत पद संख्या	कार्यरत पद संख्या
31.12.2013	19,518	15,115
06.12.2021	24,489	19,292

अधीनस्थ न्यायपालिका में रिक्तियों को भरना संबंधित राज्य सरकारों तथा उच्च न्यायालयों के कार्यक्षेत्र में है ।

(iv) **बकाया समितियों के माध्यम से/अनुसरण द्वारा लम्बित मामलों में कमी:** अप्रैल, 2015 में आयोजित मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में पारित संकल्प के अनुसरण में, उच्च न्यायालयों में पांच वर्ष से अधिक लम्बित मामलों के निपटान के लिए बकाया समितियां गठित की गई हैं। बकाया समितियां, जिला न्यायाधीशों के अधीन भी गठित की गई हैं। उच्च न्यायालयों तथा जिला न्यायालयों में लम्बित मामलों में कमी के लिए कदम प्रतिपादित के लिए उच्चतम न्यायालय में बकाया समिति गठित की गई है । पूर्व में विधि और न्याय मंत्री द्वारा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों तथा मुख्यमंत्रियों को, पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों तथा लंबन घटाने के अभियान की ओर उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए, संसूचित किया गया है । विभाग ने

मलिमथ समिति रिपोर्ट के बकाया उन्मूलन स्कीम मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसरण के संबंध में सभी उच्च न्यायालयों द्वारा रिपोर्ट करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया है ।

(v) **वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) पर जोर देना:** वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015, (20 अगस्त, 2018 को यथासंशोधित), वाणिज्यिक विवादों के निपटारे के लिए आज्ञापक पूर्व-संस्थान मध्यकता क्रियाविधि पर जोर देता है। माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 द्वारा माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 का समय-सीमा विहित करके विवादों के त्वरित निपटान समाधान को शीघ्र बनाने के लिए संशोधन किया गया है।

(vi) **विशेष प्रकार के मामलों के त्वरित निपटान के लिए पहल :** चौदहवें वित्त आयोग ने राज्यों में न्यायिक प्रणाली को मजबूत करने के सरकार के प्रस्ताव का समर्थन किया है जिसमें, अन्य बातों के साथ, जघन्य अपराधों के मामलों के लिए; वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बच्चों आदि को अंतर्वलित करने वाले मामलों के लिए त्वरित निपटान न्यायालयों की स्थापना भी सम्मिलित है और राज्य सरकारों से ऐसी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए 32% से 42% वर्धित कर विचलन के रूप में प्रदान किए गए अतिरिक्त राजवित्तीय स्थान का उपयोग करने का अनुरोध किया गया है। 31.10.2021 को यथाविद्यमान, जघन्य अपराधों, स्त्रियों और बच्चों के विरुद्ध अपराधों, आदि के लिए 914 त्वरित निपटान न्यायालय कार्यरत हैं। निर्वाचित सांसदों/विधान सभा सदस्यों को अंर्तवलित करने वाले त्वरित निपटान दांडिक मामलों के लिए नौ (9) राज्यों (मध्य-प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर-प्रदेश, पश्चिमी बंगाल में प्रत्येक में 1 और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र में 2) दस (10) विशेष न्यायालय स्थापित की गए हैं । इसके अतिरिक्त, भारतीय दंड संहिता के अधीन बलात्कार और पॉक्सो अधिनियम के अधीन अपराधों के लम्बित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए सम्पूर्ण देश में 1023 त्वरित निपटान विशेष न्यायालय (एफटीएससी) की स्थापना करने के लिए सरकार ने एक स्कीम का अनुमोदन किया है । आज तक 28 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र 842 एफटीएससी की स्थापना करने के लिए स्कीम में सम्मिलित हुए हैं, जिसके अन्तर्गत 363 'विशिष्ट पॉक्सो न्यायालय' भी हैं । इस स्कीम के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 में 140 करोड़ रुपए जारी किए गए और वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान 160.00 करोड़ रुपए जारी किए गए । वर्तमान में 381 अनन्य पॉक्सो न्यायालयों सहित 681 त्वरित निपटान न्यायालय कार्यरत हैं, जिन्होंने 30.10.2021 तक 64,217 मामलों का निपटान किया है । त्वरित निपटान न्यायालय स्कीम को 971.70 करोड़ रुपए के केन्द्रीय अंश सहित कुल 1572.86 करोड़ रुपए की लागत से दो और वर्षों (2021-23) के लिए जारी रखने का अनुमोदन किया गया है ।

(vii) इसके अतिरिक्त, न्यायालयों में लम्बन और अवरोध को कम करने के लिए, सरकार ने विभिन्न विधियों जैसे परक्राम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2018, वाणिज्यिक न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2018, विनिर्दिष्ट अनुतोष (संशोधन) अधिनियम, 2018, माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 तथा दांडिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 को हाल ही में संशोधित किया है ।

****

उपाबंध

पश्चिमी बंगाल में न्यायाधीशों के रिक्त पद से संबंधित लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2098 जिसका उत्तर तारीख 10.12.2021 को दिया जाना है, के भाग (ग) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

जिले का नाम	2016 के अंत में लंबित मामले		
	सिविल	दांड़िक	(सिविल+दांड़िक)
1. बर्दवान	36845	180396	217241
2. बीरभूम	13877	35415	49292
3. बांकुरा	9178	29916	39094
4. पश्चिमी मिदनापुर	25970	78382	104352
5. पूर्ब मिदनापुर	23968	112552	136520
6. हुगली	27335	48685	76020
7. हावड़ा	40214	101526	141740
8. पुरुलिया	9038	19898	28936
9. दक्षिण 24 परगना	141202	695474	836676
10. उत्तर 24 परगना	68560	131770	200330
11. नादिया	21806	128175	149981
12. मुर्शिदाबाद	32484	101715	134199
13. उत्तर दिनाजपुर	6059	22271	28330
14. दक्षिण दिनाजपुर	4612	17273	21885
15. मालदा	9656	27692	37348
16. जलपाईगुड़ी	9697	42682	52379
17. दार्जिलिंग	5388	10642	16030
18. कूच बिहारी	2993	44759	47752
19. सीएमएम न्यायालय	0	334874	334874
20. नगर सिविल न्यायालय	65982	0	65982
21. नगर सत्र न्यायालय	0	1296	1296
22. एमएनएल एमएजीआईएस न्यायालय	0	2676	2676
23. लघु वाद न्यायालय	5820	0	5820
योग	**560684**	**2168069**	**2728753**
24. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	3507	5260	8767
कुल योग	**564191**	**2173329**	**2737520**

जिले का नाम	2017 के अंत में लंबित मामले		
	सिविल	दांड़िक	(सिविल+दांड़िक)
1. बर्दवान	38689	221530	260219
2. बीरभूम	13956	35068	49024
3. बांकुरा	9181	28722	37903
4. पश्चिमी मिदनापुर	24032	81542	105574
5. पूर्ब मिदनापुर	22542	114071	136613
6. हुगली	28810	57676	86486
7. हावड़ा	31832	61004	92836
8. पुरुलिया	6782	16072	22854
9. दक्षिण 24 परगना	111280	209965	321245
10. उत्तर 24 परगना	62599	129141	191740
11. नादिया	18210	126637	144847
12. मुर्शिदाबाद	32356	111916	144272
13. उत्तर दिनाजपुर	6171	23572	29743
14. दक्षिण दिनाजपुर	4952	17429	22381
15. मालदा	10321	29061	39382
16. जलपाईगुड़ी	9908	49704	59612
17. दार्जिलिंग	5364	17746	23110
18. कूच बिहारी	3120	47531	50651
19. सीएमएम न्यायालय	0	276362	276362
20. नगर सिविल न्यायालय	35979	0	35979
21. नगर सत्र न्यायालय	0	1427	1427
22. एमएनएल एमएजीआईएस न्यायालय	0	2955	2955
23. लघु वाद न्यायालय	6039	0	6039
योग	**482123**	**1659131**	**2141254**
24. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	3405	5822	9227
कुल योग	**485528**	**1664953**	**2150481**

जिले का नाम	2018 के अंत में लंबित मामले		
	सिविल	दांड़िक	(सिविल+दांड़िक)
1.पूरबा बर्दवान	20878	35314	56192
2.पश्चिमी बर्दवान	15470	48926	64396
3. बीरभूम	13849	36547	50396
4. बांकुरा	8919	20042	28961
5. पश्चिमी मिदनापुर	26854	48192	75046
6. पूर्ब मिदनापुर	23803	54787	78590
7. हुगली	29110	61700	90810
8. हावड़ा	31255	66595	97850
9. पुरुलिया	7233	16794	24027
10. दक्षिण 24 परगना	112206	220638	332844
11. उत्तर 24 परगना	66497	147652	214149
12. नादिया	19419	78901	98320
13. मुर्शिदाबाद	33189	120436	153625
14. उत्तर दिनाजपुर	5980	23671	29651
15. दक्षिण दिनाजपुर	5348	17739	23087
16. मालदा	9930	36144	46074
17. जलपाईगुड़ी	10497	56040	66537
18. दार्जिलिंग	5990	18124	24114
19. कलिम्पोंग	191	578	769
20. कूच बिहारी	3388	23551	26939
21. सीएमएम न्यायालय	0	320841	320841
22. नगर सिविल न्यायालय	37070	0	37070
23. नगर सत्र न्यायालय	0	1371	1371
24. एमएनएल एमएजीआईएस न्यायालय	0	2888	2888
25.लघु वाद न्यायालय	5945	0	5945
योग	**493021**	**1457471**	**1950492**
26. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	3769	6460	10229
कुल योग	**496790**	**1463931**	**1960721**

जिले का नाम	2019 के अंत में लंबित मामले		
	सिविल	दांड़िक	(सिविल+दांड़िक)
1.पूरबा बर्दवान	21151	38633	59784
2.पश्चिमी बर्दवान	15832	51974	67806
3. बीरभूम	13987	38581	52568
4. बांकुरा	9694	30210	39904
5. पश्चिमी मिदनापुर	26749	55174	81923
6. झारग्राम	140	111	251
7. पूर्ब मिदनापुर	23806	58367	82173
8. हुगली	29491	66840	96331
9. हावड़ा	32280	70465	102745
10. पुरुलिया	7741	17308	25049
11. दक्षिण 24 परगना	115004	227157	342161
12. उत्तर 24 परगना	68931	167711	236642
13. नादिया	20939	84329	105268
14. मुर्शिदाबाद	33746	128659	162405
15. उत्तर दिनाजपुर	6383	25791	32174
16. दक्षिण दिनाजपुरी	5566	18632	24198
17. मालदा	10220	42443	52663
18. जलपाईगुड़ी	11343	59093	70436
19. दार्जिलिंग	6468	18514	24982
20. कलिम्पोंग	169	662	831
21. कूच बिहारी	3561	25038	28599
22. सीएमएम न्यायालय	0	314274	314274
23. नगर सिविल न्यायालय	35846	0	35846
24. नगर सत्र न्यायालय	0	1514	1514
25. एमएनएल एमएजीआईएस न्यायालय	0	2049	2049
26.लघु वाद न्यायालय	6121	0	6121
योग	505168	1543529	2048697
27. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	3841	5954	9795
कुल योग	509009	1549483	2058492

जिले का नाम	2020 के अंत में लंबित मामले		
	सिविल	दांड़िक	(सिविल+दांड़िक)
बांकुड़ा	10627	31050	41677
बीरभूम	15524	41525	57049
सीएमएमसी	0	325919	325919
सिटी सिविल न्यायालय	37613	0	37613
सिटी सेशंस न्यायालय	0	1756	1756
कूच बिहारी	4150	26914	31064
दक्षिण दिनाजपुर	6124	19587	25711
दार्जिलिंग	6844	19619	26463
हुगली	31915	70906	102821
हावड़ा	34892	73107	107999
जलपाईगुड़ी	12502	62510	75012
झारग्राम	2983	9760	12743
कलिम्पोंग	214	810	1024
मालदा	11426	45425	56851
एमएनएल। मजिस्ट्रेट सी.टी.	0	1864	1864
मुर्शिदाबाद	36361	136728	173089
नादिया	23824	89738	113562
उत्तर 24 परगना	73710	176669	250379
पीएससी कोर्ट	6228	0	6228
पश्चिमी बर्दवान	17866	55414	73280
पश्चिमी मेदिनीपुर	26115	50975	77090
पुरबा बर्दवान	23228	41509	64737
पूर्ब मेदिनीपुर	26042	63647	89689
पुरुलिया	8588	18844	27432
दक्षिण 24 परगना	122777	232355	355132
उत्तर दिनाजपुर	7402	27202	34604
कुल	546955	1623833	2170788
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	4207	5632	9839
कुल (डब्ल्यूबी+ ए और एन)	551162	1629465	2180627

`

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं 2102
जिसका उत्तर शुक्रवार, 10 दिसम्बर, 2021 को दिया जाना है

सुलभ एवं वहनीय न्यायिक प्रणाली

+2102. श्री सी. पी. जोशी :

श्री रोड़मल नागरः

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए मंत्रालय द्वारा सरल, सुलभ और वहनीय न्यायिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रयास किए जा रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) और (ख) : विधिक सेवा प्राधिकरण (एल एस ए) अधिनियम, 1987 की धारा 12 के अधीन आने वाले हिताधिकारियों सहित समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त और सक्षम विधिक सेवा प्रदान करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आर्थिक और अन्य अक्षमताओं के कारण किसी भी नागरिक को न्याय सुनिश्चित करने के अवसरों से वंचित नहीं किया गया है, और समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा देने के लिए विधिक प्रणाली का प्रचालन सुनिश्चित करने के लिए लोक अदालत का आयोजन किया जाता है ।

इस प्रयोजन के लिए, तालुका न्यायालय स्तर से उच्चतम न्यायालय तक विधिक सेवा संस्थानों की स्थापना की गई है । अप्रैल, 2021 से सितंबर, 2021 की अवधि के दौरान 3.10 लाख व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान की गईं है और 75.41 लाख मामलों (न्यायालयों में लंबित और मुकदमेबाजी-पूर्व प्रकम पर विवाद) का लोक अदालत के माध्यम से निपटान किया गया है ।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने न्याय बंधु वकीलों के साथ विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 के अधीन निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्तियों के साथ जोड़ने के लिए न्याय बंधु (निःशुल्क विधिक सहायता) कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है । 3583 न्याय बंधु अधिवक्ता इस कार्यक्रम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किए गए हैं और 1436 मामले हिताधिकारियों द्वारा रजिस्ट्रीकृत किए गए हैं । टैली-विधि कार्यक्रम जनता के लिए, जिसके अंतर्गत विधिक सेवा प्राधिकरण (एल एस ए) अधिनियम, 1987 की धारा 12 के अधीन निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के हकदार व्यक्ति भी हैं, पंचायतों में विधिक परामर्श मुकदमेबाजी पूर्व प्रक्रम पर पैनल

वकीलों द्वारा सामान्य सेवा केन्द्र (सी एस सी) के माध्यम से उपलब्ध कराने के लिए आरंभ की गई है । टैली-विधि आजतक 12.5 लाख से अधिक हिताधिकारियों की सेवा कर चुकी है ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं 2120
जिसका उत्तर शुक्रवार, 10 दिसम्बर, 2021 को दिया जाना है

पोक्सो मामले

2120. **श्री सी. एन. प्रथापन:**
श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात का संज्ञान लिया है कि देश में न्यायालयों की कमी के कारण हजारों मामले लंबित पड़े हैं और यदि हां, तो सरकार द्वारा मामले के समाधान हेतु क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं ;

(ख) आवंटित न्यायालयों की संख्या कितनी है और वर्तमान में राज्य-वार कितने न्यायालय कार्य कर रहे हैं ;

(ग) क्या सरकार का देश भर में बलात्कार और पोक्सो मामलों पर मुकदमा चलाने के लिए फास्ट ट्रैक न्यायालय स्थापित करने का विचार है और यदि हां, तो ऐसे न्यायालयों की संख्या कितनी है और विचाराधीन मामलों की संख्या कितनी है ;

(घ) क्या सरकार ने इन न्यायालयों की संख्या बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो अब तक स्थापित नए न्यायालयों का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो राज्य/संघ राज्यक्षेत्र वार इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) क्या सरकार का कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए सरकारी अभियोजकों की संख्या बढ़ाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) : देश के विभिन्न न्यायालयो में लंबित मामलों की संख्या निम्नानुसार हैं:-

क्र. सं.	न्यायालय का नाम	लम्बन और तारीख
1	भारत का उच्चतम न्यायालय	70,038 (08.11.2021)*
2	उच्च न्यायालय	56,45,617 (06.12.2021)**
3	जिला और अधीनस्थ न्यायालय	4,09,34,646 (06.12.2021)**

स्रोत

*भारत के उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट

**राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी)

विभिन्न न्यायालयों में लम्बित मामलों का निपटारा न्यायपालिका के कार्यक्षेत्र में है । न्यायालयों में मामलों के निपटारे में सरकार की कोई भूमिका नहीं है। न्यायालयों में मामलों का समय पूर्ण निपटारा बहुत से कारकों पर निर्भर करता है जिसमें, अन्य बातों के साथ, न्यायाधीशों और न्यायिक

अधिकारियों, सहायक न्यायालय कर्मचारिवृन्द की पर्याप्त संख्या में उपलब्धता और भौतिक अवसंरचना की उपलब्धता, अंतर्वलित तथ्यों की जटिलता, साक्ष्य की प्रकृति, पणधारियों अर्थात् बार, अन्वेषण अभिकरणों, साक्षियों तथा मुवक्किलों का सहयोग और नियमों और प्रक्रियाओं का समुचित उपयोजन, सम्मिलित है । ऐसे कई कारक हैं जिनके कारण मामलों के निपटारे में विलम्ब होता है । इनके अन्तर्गत, अन्य बातों के साथ, न्यायाधीशों की रिक्तियां, बारंबार स्थगन तथा सुनवाई के लिए मामलों को मॉनिटर, निगरानी और इकठ्ठा करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था का अभाव है । केन्द्रीय सरकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार मामलों के त्वरित निपटारे तथा बकाया को कम करने के लिए पूर्णतया प्रतिबद्ध है । सरकार ने न्यायपालिका द्वारा मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए एक पारिस्थितिक प्रणाली प्रदान करने के लिए कई कदम उठाए हैं । न्याय के परिदान और विधिक सुधार के लिए राष्ट्रीय मिशन का गठन अगस्त, 2011 में न्याय प्रणाली में विलम्ब और बकाया को कम करके और संरचनात्मक परिवर्तनों के माध्यम से जबावदेही बढ़ाकर तथा निष्पादन मानक और क्षमताओं को नियत करके दोहरे उद्देश्यों के साथ दिया गया था । मिशन, न्याय प्रशासन में बकाया और लंबन के चरणवार कम करने के लिए एक समन्वित पहुंच अपना रहा है, जिसमें, अन्य बातों के साथ, न्यायालयों के लिए बेहतर अवसंरचना, जिसके अन्तर्गत कम्प्यूटरीकरण, अधीनस्थ न्यायपालिका की संख्या में वृद्धि, अत्यधिक मुकदमेबाजी वाले क्षेत्रों में नीतिगत और विधायी उपाय, मामलों के त्वरित निपटारे के लिए न्यायालय प्रक्रिया का पुनः प्रबंधन तथा मानव संसाधन का विकास भी है ।

(ख) : राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एन जे डी जी) पर उपलब्ध जिला और अधीनस्थ न्यायिक परिसरों की सूची दर्शाने वाले विवरण उपाबंध में उपलब्ध है ।

(ग) से (ड.) : न्याय विभाग ने बलात्कार और पोक्सो अधिनियम से संबंधित मामलों के त्वरित विचारण और निपटान के लिए 389 विशेष पोक्सो न्यायालयों सहित त्वरित निपटान विशेष न्यायालयों (एफ टी एस सी) की स्थापना के लिए एक योजना लागू कर रहा है । यह केन्द्र प्रायोजित योजना अक्तूबर, 2019 में प्रारंभ हुई थी, जिसे 1572.86 करोड़ रुपए की कुल लागत के साथ जिसमें केन्द्रीय हिस्सा 971.70 करोड़ रुपए है और दो वर्ष के लिए बढ़ाकर 31.03.2023 तक कर दिया गया । अक्तूबर 2021 के महीने के लिए उच्च-न्यायालय द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, 381 विशेष पॉक्सो न्यायालयों सहित कुल 681 त्वरित निपटान-न्यायालय संपूर्ण देश के 27 राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों में कार्यरत हैं । अक्तूबर, 2021 तक, ये न्यायालय 64217 मामलों का निपटान कर दिया है, जबकि 181689 मामले अभी भी लंबित हैं ।

त्वरित निपटान न्यायालयों (एफटीसी) सहित अधीनस्थ न्यायालयों की स्थापना और इसकी कार्यप्रणाली संबंधित उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आती है । भारतीय दंड संहिता और अन्य विशेष विधियों के अधीन अपराधित विचारणों के संचालन के लिए लोक अभियोजक की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है । यद्यपि सितंबर, 2019 में विधि कार्य विभाग ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया कि पोक्सो संबंधित मामलों को संभालने के लिए स्थापित किए जा रहे विशेष न्यायालयों में पर्याप्त संख्या में विशेष लोक अभियोजक हैं, जो द.प्र.स. की धारा 24(8) के अधीन उनकी योग्यता के साथ साथ बाल अधिकारों के प्रति उन्मुखीकरण को सम्यक् ध्यान में रखते हुए नियुक्त किया गया है ।

****

उपाबंध

पोक्सो मामले से संबंधित लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2120, जिसका उत्तर 10.12.2021 को दिया जाना है, में निर्दिष्ट विवरण

क्र. सं.	राज्य संघ राज्य क्षेत्र	कुल जिले	कुल न्यायिक परिसर
1	अंडमान और निकोबार	1	4
2	आंध्र प्रदेश	13	187
3	असम	30	71
4	बिहार	37	79
5	चंडीगढ़	1	2
6	छत्तीसगढ़	23	89
7	दिल्ली	11	12
8	दीव और दमन	2	2
9	सिलवासा स्थित दादरा और नागर हवैली	1	2
10	गोआ	2	16
11	गुजरात	32	332
12	हरियाणा	21	58
13	हिमाचल प्रदेश	11	50
14	जम्मू - कश्मीर	20	81
15	झारखंड	24	24
16	कर्नाटक	30	205
17	केरल	15	165
18	लद्दाख	2	3
19	मध्य प्रदेश	50	225
20	महाराष्ट्र	40	478
21	मणिपुर	9	20
22	मेघालय	9	10
23	मिजोरम	3	9
24	नागालैंड	4	5
25	उड़ीसा	30	122
26	पुडुचेरी	4	0
27	पंजाब	22	68
28	राजस्थान	36	311
29	सिक्कम	4	9
30	तमिलनाडु	32	265
31	तेलंगाना	10	110
32	त्रिपुरा	8	24
33	उत्तर प्रदेश	74	170
34	उत्तराखंड	13	61
35	पश्चिमी बंगाल	22	89
	कुल योग	**646**	**3358**

स्रोत : राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी)

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं 2133
जिसका उत्तर शुक्रवार, 10 दिसम्बर, 2021 को दिया जाना है

प्रति मिलियन आबादी पर न्यायाधीश

2133 **श्रीमती पूनम महाजन :**
श्री सत्यदेव पचौरी :
श्री राजेश नारणभाई चुड़ासमा :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश सहित देश में प्रति मिलियन आबादी पर न्यायाधीशों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र वार संख्या कितनी है ;

(ख) उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार, प्रति मिलियन आबादी पर न्यायाधीशों की संख्या कितनी है ;

(ग) उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अनुपालन करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं/ उठाने का प्रस्ताव है और उक्त प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि की आवश्यकता है ;

(घ) क्या पर्याप्त संख्या में फास्ट ट्रैक न्यायालयों की कमी और ऐसे न्यायालयों में रिक्तियों की संख्या अधिक होने के कारण मामलो के समयबद्ध निस्तारण में समस्या आ रही है ;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन न्यायालयों में रिक्तियों को कब तक भरे जाने की संभावना है ; और

(च) क्या सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय के सुझाव के संदर्भ में न्यायाधीशों के पदों में वृद्धि करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) : 31.10.2021 को न्यायाधीश के लिए न्यायाधीशों की अनुमोदित पदसंख्या के संबंध में जनसंख्या अनुपात (न्यायाधीश/प्रति मिलियन जनसंख्या) 21.03 है। किसी विशेष वर्ष में प्रति मिलियन जनसंख्या के लिए न्यायाधीश-जनसंख्या अनुपात की गणना करने के लिए, विभाग 2011 की जनगणना के अनुसार और उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की अनुमोदित पदसंख्या के बारे में उपलब्ध जानकारी के अनुसार जनसंख्या का उपयोग करने के मानदंड का उपयोग करता है । राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार प्रति मिलियन जनसंख्या पर न्यायाधीशों की संख्या से संबंधित आंकड़ा का रखरखाव नहीं किया जाता है।

(ख) और (ग) : इम्तियाज अहमद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में, उच्चतम न्यायालय ने अगस्त 2014 में, राष्ट्रीय न्यायालय प्रबंधन प्रणाली समिति (एनसीएमएस समिति) को विधि आयोग द्वारा अपनी 245वीं रिपोर्ट (2014) में की गई सिफारिशों की जांच करने और इस संबंध में सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए कहा। विधि आयोग ने देश में न्यायाधीश पद संख्या की पर्याप्तता को अवधारित करने के लिए न्यायाधीश जनसंख्या अनुपात को वैज्ञानिक मानदंड नहीं माना। विधि

आयोग ने पाया कि देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में डाटा संग्रह के लिए पूर्ण और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की अनुपस्थिति में, मामलों के बैकलॉग को समाप्त करने के साथ यह सुनिश्चित करने के लिए कि नया बैकलॉग नहीं बनाया गया है,के लिए अपेक्षित अतिरिक्त न्यायाधीशों की संख्या की गणना करने के लिए "निपटान की दर" पद्धति, अधिक व्यावहारिक और उपयोगी है।

एनसीएमएस समिति ने मार्च, 2016 में उच्चतम न्यायालय को अपनी रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट, में अन्य बातों के साथ यह संप्रेक्षण किया गया है कि लंबी अवधि में, अधीनस्थ न्यायालयों की न्यायाधीश पद संख्या प्रत्येक न्यायालय के मामला भार के निपटान के लिए अपेक्षित "न्यायिक घंटे" की कुल संख्या निर्धारित करने के लिए एक वैज्ञानिक विधि द्वारा आकलन किया जाना होगा। अंतरिम में, समिति ने "भारित" निपटान दृष्टिकोण का प्रस्ताव किया है अर्थात् निपटान स्थानीय परिस्थितियों में मामलों की प्रकृति और जटिलता से भारित होता है ।

माननीय उच्चतम न्यायालय के तारीख 07.07.2021 के आदेश निर्देश के अनुसार, यह निर्देश दिया गया कि एनसीएमएस की अंतिम रिपोर्ट की सुसंगत प्रति आवश्यक कार्रवाई के लिए उच्चतम न्यायालय रजिस्ट्री द्वारा सभी उच्च न्यायालयों को परिचालित की जाए। आगे की कार्रवाई के लिए रिपोर्ट सभी उच्च न्यायालयों को भेज दी गई है। न्यायाधीशों की संख्या और न्यायिक अवसंरचना में वृद्धि कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक सतत और सहयोगी प्रक्रिया है। इसके लिए विभिन्न संवैधानिक प्राधिकरणों से परामर्श और अनुमोदन की आवश्यकता होती है।

(घ) और (ङ) : न्यायालयों में मामलों का निपटान करना न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। संबंधित न्यायालयों द्वारा विभिन्न प्रकार के मामलों के निपटान के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है।सरकार की न्यायालयों में मामलों के निपटान में कोई भूमिका नहीं है । न्यायालयों में मामलों का समय से निपटान करना विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है जिसमें अन्य बातों के साथ न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों की पर्याप्त संख्या की उपलब्धता, सहायक न्यायालय कर्मचारिवृंद तथा भौतिक अवसंरचना, तथ्यों की जटिलता भी सम्मिलित है जिसके अंर्तगत साक्ष्य की प्रकृति, पणधारियों का सहयोग अर्थात बार, अन्वेषण अभिकरण, साक्षियों और वादकारियों तथा नियमों और प्रक्रियाओं का उचित आवेदन सम्मिलित है। कई अन्य कारक हैं जो मामलों के निपटान में देरी का कारण बन सकते हैं। इनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, न्यायाधीशों की रिक्तियां, बार-बार स्थगन और सुनवाई के लिए मामलों की निगरानी, ट्रैक और मामले की बहुलता के लिए पर्याप्त व्यवस्था की कमी सम्मिलित हैं।

फास्ट ट्रैक न्यायालय (एफटीसी) सहित अधीनस्थ न्यायालयों की स्थापना करना और इसकी कार्यप्रणाली संबंधित उच्च न्यायालयों के परामर्श से राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आती है। त्वरित न्याय प्रदान करने के लिए, 14वें वित्त आयोग ने जघन्य अपराधों के विशिष्ट प्रकृति के मामलों, महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों, समाज के अन्य कमजोर वर्गों से संबंधित सिविल मामलों आदि और 5 वर्ष से अधिक लंबित संपत्ति से संबंधित मामले को देखने के लिए 2015-2020 के दौरान 1800 फास्ट ट्रैक न्यायालय (एफटीसी) की स्थापना के प्रस्ताव सहित भारत संघ के प्रस्ताव का समर्थन किया था। अक्टूबर, 2021 तक उच्च न्यायालयों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, 23 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में कुल 914 फास्ट ट्रैक न्यायालय क्रियाशील हैं।

न्याय विभाग बलात्संग और पाक्सो अधिनियम से संबंधित मामलों के त्वरित विचारण और निपटान के लिए 389 विशेष पाक्सो न्यायालयों सहित 1023 फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय (एफटीसी) की स्थापना के लिए एक योजना लागू कर रहा है। यह केंद्र प्रायोजित योजना अक्टूबर, 2019 में 1 वर्ष की अवधि के लिए शुरू हुई । अब इसे 971.70 करोड़ रुपए के केंद्रीय हिस्से के साथ 1572.86 करोड़ रुपए के कुल लागत पर दो वर्षों के लिए बढ़ाकर 31.03.2023 तक कर दिया गया है । अक्टूबर मास 2021 के लिए उच्च न्यायालयों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के

अनुसार, देश भर के 27 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 381 विशेष पॉक्सो न्यायालय सहित कुल 681 फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय क्रियाशील हैं।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं 2148
जिसका उत्तर शुक्रवार, 10 दिसम्बर, 2021 को दिया जाना है

समता न्याय केंद्र

2148. **श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा:**

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 'समता न्याय केंद्र के बारे में पता है, जिसका उद्घाटन हाल ही में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए कानूनी जागरूकता, प्रशिक्षण और सेवाएं दान करने के लिए केंद्र के रूप में किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार कानूनी जागरूकता को अधिक व्यापक बनाने के लिए ट्रांसजेंडर समुदाय के लिये और आम जनता के लिए भी ऐसे और केंद्र खोलने पर विचार कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो देश में कानूनी जागरूकता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या वैकल्पिक उपाय किए गए हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ग) : जी हां । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (विधिक सेवा क्लीनिक) विनियमन, 2011 के अधीन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र ने चंडीगढ़ राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी और एसोसिएशन औफ प्रोफेशनल सोशल वर्कर्स और डैवल्पमेंट प्रैक्टिशनर्स (एपीएसडब्ल्यूडीपी) के सहयोग से विशेष रूप से उभयलिंगी समुदाय को विधिक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए विधिक सेवा क्लीनिक खोला है जिसका नाम “समता न्याय केंद्र” है, ।

इस केंद्र का उद्देश्य उभयलिंगी व्यक्तियों को उनकी विधिक शिकायतों के निवारण में सहायता और परामर्श उपलब्ध कराना है और डीएलएसए द्वारा पैनल वकील तथा परा-विधिक स्वयंसेवियों को आवश्यकता के आधार पर कार्य पर लगाया जाता है । समावेशी वातावरण में उभयलिंगी समुदाय के सदस्यों में से ही परा-विधिक स्वयंसेवियों के माध्यम से विधिक सेवाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है । उक्त केंद्र, उभयलिंगी व्यक्तियों के भिन्न-भिन्न अधिकारों और हकों के संबंध में विधिक जागरुकता का प्रसार भी कर रहे हैं ।

तमिलनाडु के पांच जिलों अर्थात् नमक्कल, तिरुवल्लुर, तिरुनेलवेली, मदुरै और तंजावुर में प्रमुख उभयलिंगी समुदाय वाले पाँच स्थानों पर ऐसे अनन्य विधिक सेवा क्लीनिक भी स्थापित किए गए हैं । इसके अतिरिक्त, देश भर में 12,467 विधिक सेवा केंद्र कार्य कर रहे हैं जो परा-विधिक

स्वयंसेवियों और पैनल वकीलों द्वारा चलाये जाते हैं । इन क्लीनिकों में वंचित लोगों को उनकी विधिक समस्याओं का समाधान प्राप्त करने में सहायता की जाती है । विधिक परामर्श के अतिरिक्त, अन्य सेवाएं जैसे विभिन्न आवेदनों, याचिकाओं आदि का प्रारुपण भी ऐसे क्लीनिकों में उपलब्ध कराया जाता है ।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने वर्ष 2012 से 2021 तक पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू-कश्मीर और लद्दाख संघ राज्यक्षेत्रों में विधिक साक्षरता और विधिक जागरुकता कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया है । इस कार्यक्रम के अधीन, विधिक साक्षरता/विधिक जागरुकता और विधिक सहायता क्लीनिक, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों, राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, राज्य महिला आयोग, राज्य संसाधन केंद्र आदि के सहयोग से आयोजित किए गए थे । 4390 विधिक जागरुकता/विधिक साक्षरता कार्यक्रम जिसके अंतर्गत 158 विधिक सहायता क्लीनिक भी हैं, 4.8 लाख फायदाग्राहियों, तक पहुंचने के लिए संचालित किए गए हैं । यह कार्यक्रम 2021 से अखिल भारतीय स्तर तक विस्तारित किया गया है ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं 2150
जिसका उत्तर शुक्रवार, 10 दिसम्बर, 2021 को दिया जाना है

ई-लोक अदालत

2150. **श्री राजन बाबूराव विचारे :**

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में वर्ष 2020 के दौरान ई-लोक अदालतों का आयोजन किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो महाराष्ट्र सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान ऐसी अदालतों के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) और (ख) : जी हां । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) के तत्वावधान में विधिक सेवा प्राधिकरणों ने लोक अदालत को ई-लोक अदालत के नाम से जाने जाने वाले आभासी प्लेटफार्म पर स्थानांतरित कर दिया । पहली ई-लोक अदालत 27.06.2020 को मध्य प्रदेश में आयोजित की गई थी । महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में वर्ष 2020 के दौरान आयोजित ई-लोक अदालतों का विवरण उपाबंध-क में है ।

(ग) : लोक अदालत और ई-लोक अदालत के आयोजित करने में होने वाले खर्च सहित सभी गतिविधियो के लिए राज्य /संघ राज्य क्षेत्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को धन का आबंटन किया जाता है । लोक अदालत और ई-लोक अदालत के आयोजन के लिए अलग से निधि आबंटित नहीं की जाती है । चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, लोक अदालतों सहित उनकी विभिन्न गतिविधियों के संचालन के लिए बी ई स्तर पर नालसा को 100 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं ।

****

उपाबंध-क

श्री राजन विचारे, संसद सदस्य द्वारा उठाये गए "ई-लोक अदालत" से संबंधित लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2150 जिसका उत्तर तारीख 10.12.2021 को दिया जाना है, के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

वर्ष 2020 के दौरान आयोजित ई-लोक अदालतों का विवरण दर्शित करने वाले कथन

क्र.सं.	राज्य प्राधिकारी का नाम	ई-लोक अदालत आयोजित करने की तारीख	पूर्व-मुकदमेबाजी मामले		न्यायालयों में लंबित मामले		कुल	
			स्वीकार किए गए	निपटाए गए	स्वीकार किए गए	निपटाए गए	स्वीकार किए गए	निपटाए गए
1	मध्य प्रदेश	27.06.2020	0	0	94	91	94	91
2	छत्तीसगढ़	11.07.2020	0	0	5067	2270	5067	2270
3	मध्य प्रदेश	25.07.2020	2529	148	14893	2085	17422	2233
4	दिल्ली	08.08.2020	0	0	8112	5838	8112	5838
5	राजस्थान	22.08.2020	17724	4395	54366	29151	72090	33546
6	जम्मू - कश्मीर और लद्दाख	22.08.2020	502	395	5255	3878	5757	4273
7	पश्चिमी बंगाल	22.08.2020	0	0	120	59	120	59
8	मध्य प्रदेश	08.08.2020 & 29.08.2020	694	52	6122	1841	6816	1893
9	मणिपुर	02.09.2020	0	0	12	7	12	7
10	उड़ीसा	12.09.2020	3870	171	16910	2061	20780	2232
11	उत्तराखंड	12.09.2020	398	217	5067	1787	5465	2004
12	हरियाणा	18.09.2020	3755	3625	9412	4913	13167	8538
13	पश्चिमी बंगाल	19.09.2020	5577	1363	6890	5911	12467	7274
14	कर्नाटक	19.09.2020	12613	7383	218752	108555	231365	115938
15	दिल्ली	20.09.2020	0	0	14856	13491	14856	13491
16	गुजरात	26.09.2020	881	803	16169	10142	17050	10945
17	मध्य प्रदेश	26.09.2020	130	77	6445	1326	6575	1403
18	अरुणाचल प्रदेश	26.09.2020	78	13	24	11	102	24
19	झारखंड	26.09.2020	9700	9700	1648	1019	11348	10719
20	मणिपुर	29.09.2020	20	14	0	0	20	14
21	हिमाचल प्रदेश	19.09.2020, 26.09.2020 & 30.09.2020	130	59	416	244	546	303
22	मध्य प्रदेश	23 & 31.10.2020	254	32	5860	1696	6114	1728
23	झारखंड	17.10.2020	19389	19389	8716	6940	28105	26329
24	उत्तर प्रदेश	01.11.2020	0	0	5423	2763	5423	2763
25	तेलंगाना	07.11.2020	809	807	10419	9116	11228	9923
26	उत्तराखंड	07.11.2020	0	0	3161	469	3161	469
27	मध्य प्रदेश	07.11.2020	0	0	830	188	830	188
28	झारखंड	26.11.2020	36000	35115	96	18	36096	35133
29	मध्य प्रदेश	28.11.2020	54	3	1378	569	1432	572
30	पश्चिमी बंगाल	28.11.2020	1389	89	2195	1121	3584	1210
31	आंध्र प्रदेश	12.12.2020	213	37	7053	5640	7266	5677
32	बिहार	12.12.2020	57903	17296	7727	2387	65630	19683
33	चंडीगढ़	12.12.2020	0	0	70	12	70	12

34	छत्तीसगढ़	12.12.2020	566	55	4244	2473	4810	2528
35	दिल्ली	12.12.2020	0	0	14785	12956	14785	12956
36	गुजरात	12.12.2020	9607	1580	21569	10803	31176	12383
37	हरियाणा	12.12.2020	0	0	153	72	153	72
38	झारखंड	12.12.2020	41887	17206	12489	7504	54376	24710
39	मध्य प्रदेश	12.12.2020	0	0	970	589	970	589
40	महाराष्ट्र	12.12.2020	0	0	654	653	654	653
41	मणिपुर	12.12.2020	132	79	37	17	169	96
42	पंजाब	12.12.2020	3226	417	4495	2826	7721	3243
43	राजस्थान	12.12.2020	19001	2043	3499	523	22500	2566
44	सिक्किम	12.12.2020	11	11	0	0	11	11
45	तेलंगाना	12.12.2020	6	6	63	25	69	31
46	उत्तराखंड	12.12.2020	3000	128	341	106	3341	234
47	पश्चिमी बंगाल	12.12.2020	2036	100	164	86	2200	186
48	कर्नाटक	19.12.2020	1837	250	27026	18840	28863	19090
49	उड़ीसा	19.12.2020	6840	305	3589	892	10429	1197
	योग		262761	123363	537636	283964	800397	407327

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं 2156
जिसका उत्तर शुक्रवार, 10 दिसम्बर, 2021 को दिया जाना है

लम्बित मामलों का शीघ्रता से निपटान

+2156. श्री बालक नाथ :

श्री शंकर लालवानी :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लम्बित न्यायालयी मामलों के निस्तारण की गति को बढ़ाने के लिए सरकार कोई योजना बना रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार ने पूरे देश में लम्बित मामलों के निस्तारण के लिए कोई समय-सीमा तय की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं ;

(घ) क्या सरकार देश में न्यायिक स्वतंत्रता और स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए कोई नीति बना रही है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ग) : न्यायालयों में लम्बित मामलों का निपटारा न्यायपालिका के कार्यक्षेत्र में है । संबंधित न्यायालयों द्वारा विभिन्न प्रकार के मामलों के निपटारे के लिए कोई समय-सीमा विहित नहीं की गई है । न्यायालयों में मामलों के निपटारे में सरकार की कोई भूमिका नहीं है । न्यायालयों में मामलों का समय पूर्ण निपटारा बहुत से कारकों पर निर्भर करता है जिसमें, अन्य बातों के साथ, न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों, सहायक न्यायालय कर्मचारिवृन्द की पर्याप्त संख्या और भौतिक अवसंरचना की उपलब्धता, अंतर्वलित तथ्यों की जटिलता, साक्ष्य की प्रकृति, पणधारियों अर्थात् बार, अन्वेषण अभिकरणों, साक्षियों तथा मुवक्किलों का सहयोग और नियमों और प्रक्रियाओं का समुचित उपयोजन, सम्मिलित है । ऐसे कई अन्य कारक हैं जिनके कारण मामलों के निपटारे में विलम्ब होता है । इनके अन्तर्गत, अन्य बातों के साथ, न्यायाधीशों की रिक्तियां, बारंबार स्थगन तथा सुनवाई के लिए मामलों को मॉनिटर, निगरानी और इकठ्ठा करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था का अभाव है । केन्द्रीय सरकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार मामलों के त्वरित निपटारे तथा बकाया को कम करने के लिए पूर्णतया प्रतिबद्ध है । सरकार ने न्यायपालिका

द्वारा मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए एक पारिस्थितिक प्रणाली प्रदान करने के लिए कई कदम उठाए हैं ।

न्याय के परिदान और विधिक सुधार के लिए राष्ट्रीय मिशन का गठन अगस्त, 2011 में न्याय प्रणाली में विलम्ब और बकाया को कम करके और संरचनात्मक परिवर्तनों के माध्यम से जबावदेही बढ़ाकर तथा निष्पादन मानक और क्षमताओं को नियत करके दोहरे उद्देश्यों के साथ दिया गया था । मिशन, न्याय प्रशासन में बकाया और लंबन के चरणवार कम करके के लिए एक समन्वित पहुंच अपना रहा है, जिसमें, अन्य बातों के साथ, न्यायालयों के लिए बेहतर अवसंरचना, जिसके अन्तर्गत कम्प्यूटरीकरण, अधीनस्थ न्यायपालिका की संख्या में वृद्धि, अत्यधिक मुकदमेबाजी वाले क्षेत्रों में नीतिगत और विधायी उपाय, मामलों के त्वरित निपटारे के लिए न्यायालय प्रक्रिया का पुनः प्रबंधन तथा मानव संसाधन के विकास पर जोर भी है ।

विभिन्न पहलों के अधीन पिछले छह वर्षों में उठाए गए प्रमुख कदम निम्नानुसार हैं :-

(i) **जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों के लिए अवसंरचना में सुधार करना:** वर्ष 1993-94 में न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए केंद्रीकृत प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) के प्रारंभ से आजतक 8709.77 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं । इस स्कीम के अधीन, न्यायालय हालों की संख्या, जो तारीख 30.06.2014 को 15,818 थी, बढ़कर तारीख 31.10.2021 तक 20,565 हो गई है और आवासीय इकाइयों की संख्या जो तारीख 30.06.2014 को 10,211 थी, से बढ़कर तारीख 31.10.2021 तक 18,142 हो गई है । इसके अतिरिक्त, 2,841 न्यायालय हाल और 1,807 आवासीय ईकाइयां निर्माणाधीन हैं । न्यायपालिका हेतु अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास हेतु केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम 9000 करोड़ रुपए की कुल लागत के साथ 2025-26 तक बढ़ा दी गई है जिसमें से केन्द्रीय हिस्सा 5307 करोड़ रुपए होगा । न्यायालय हालों तथा आवासीय इकाइयों के संनिर्माण के अतिरिक्त, इसके अन्तर्गत अधिवक्ता हालों, शौचालय परिसरों तथा डिजीटल कम्प्यूटर कक्षों का संनिर्माण भी ।

(ii) **न्याय के परिदान में सुधार के लिए सूचना और संसूचना प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का लाभ उठाना :** सरकार, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के सूचना और संसूचना प्रोद्योगिकी समर्थकरण के लिए देशभर में ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना का कार्यान्वयन कर रही है । 01.07.2021 तक कंप्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की संख्या में 18,735 की वृद्धि हुई है । 98.7% न्यायालय परिसरों में डब्ल्यूएएन कनेक्टिविटी प्रदान की गई है । मामले की सूचना का साफ्टवेयर का नया और उपयोक्ता अनुकूल संस्करण विकसित करके सभी कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में लगाया गया है । सभी पणधारी, जिनके अंतर्गत न्यायिक अधिकारी भी हैं, राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एन जे डी जी) पर कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों तथा उच्च न्यायालयों की न्यायिक कार्यवाहियों/निर्णयों से संबंध सूचना प्राप्त कर सकते हैं । तारीख 01.11.2021 तक इन न्यायालयों से संबंधित 19.56 करोड़ मामलों तथा 15.72 करोड़ आदेशों/निर्णयों की प्रास्थिति जान सकते हैं । ई-न्यायालय सेवाएं जैसे कि मामला रजिस्ट्रीकरण के ब्यौरे, वाद सूची, मामला प्रास्थिति, दैनिक आदेश और अंतिम निर्णय, ई-न्यायालय वैब पोर्टल, सभी कंप्यूटरीकृत न्यायालयों में न्यायिक सेवा केंद्र (जेएससी), ई-न्यायालय मोबाइल एप, ई-मेल सेवा, एसएमएस पुश और पुल सेवा के माध्यम से मुवक्किलों और अधिवक्ताओं को उपलब्ध हैं । 3240

न्यायालय परिसरों तथा 1272 सादृश्य कारागारों के बीच वीडियो कान्फरेंसिंग सुविधा को समर्थ बनाया गया है । कोविड-19 की चुनौतियों का बेहतर ढंग से सामना करने तथा आगामी सुनवाई में संक्रमण को अधिक आसान बनाने की दृष्टि से, मामले की प्रास्थिति से लेकर निर्णय/आदेशों को प्राप्त करने, न्यायालय/मामले संबंधित सूचना और ई-फाइलिंग सुविधाओं तक सहायता की आवश्यकता वाले अधिवक्ताओं तथा मुवक्किलों को सुविधा प्रदान करने के लिए न्यायालय परिसरों में 235-ई सेवा केन्द्रों का गठन करने के लिए निधियों की व्यवस्था की गई है । विभिन्न न्यायालय परिसरों में वीडियो कान्फ्रेंसिंग केबिनों में आभासी सुनवाई की सुविधा प्रदान करने के लिए उपकरणों की व्यवस्था करने हेतु 5.01 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं । विभिन्न न्यायालय परिसरों में, ई-फाइलिंग के हेतु 1732 हेल्प डेस्क काउंटरों के लिए 12.12 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं ।

यातायात संबंधी अपराधों के विचार हेतु 11 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों अर्थात् दिल्ली (2), हरियाणा, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल (2), महाराष्ट्र (2), असम, छत्तीसगढ़, जम्मू-कश्मीर (2), उत्तर प्रदेश और ओडिशा में पन्द्रह आभासी न्यायालय गठित किए गए हैं । तारीख 01.11.2021 तक इन न्यायालयों ने 99 लाख से अधिक मामले निपटाए तथा 193.15 करोड़ रुपए जुर्माने के रुप में वसूल किए ।

कोविड लॉकडाउन अवधि के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, न्यायालयों के सहारे के रूप में उभरा, क्योंकि सामूहिक ढंग से भौतिक सुनवाईयां और सामान्य न्यायालय कार्यवाहियां संभव नहीं थी । कोविड लॉकडाउन आरम्भ होने के समय से 31.10.2021 तक केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का प्रयोग करके जिला न्यायालयों ने 1,01,77,289 सुनवाइयां और उच्च न्यायालयों ने 55,24,021 (कुल 1.57 करोड़) सुनवाइयां की हैं । उच्चतम न्यायालय ने लॉकडाउन अवधि आरम्भ होने के समय से 29.10.2021 तक 1,50,692 सुनवाइयां कीं ।

(iii) **उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय तथा जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में रिक्तियों को भरा जाना :** तारीख 01.05.2014 से 29.11.2021 तक उच्चतम न्यायालय में 44 न्यायमूर्ति नियुक्त किए गए थे । उच्च न्यायालयों में 688 नए न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे और 583 अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी किया गया था । उच्च न्यायालयों के न्यायमूर्तियों की स्वीकृत पद संख्या जो मई, 2014 में 906 थी, को बढ़ाकर वर्तमान में 1098 किया गया है । जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत और कार्यरत पद संख्या निम्न प्रकार बढ़ाई गई हैं :

तारीख को	स्वीकृत पदसंख्या	कार्यरत पदसंख्या
31.12.2013	19,518	15,115
06.12.2021	24,489	19,292

तथापि, अधीनस्थ न्यायपालिका में रिक्तियों को भरना संबंधित राज्य सरकारों तथा उच्च न्यायालयों के कार्यक्षेत्र में है ।

(iv) बकाया समिति के माध्यम से/अनुसरण द्वारा लम्बित मामलों में कमी: अप्रैल, 2015 में आयोजित मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में पारित संकल्प के अनुसरण में, उच्च न्यायालयों में पांच वर्ष से अधिक लम्बित मामलों के निपटान के लिए बकाया समितियां गठित की गई है। बकाया

समितियां, जिला न्यायाधीशों के अधीन भी गठित की गई है। उच्चतम न्यायालय में उच्च न्यायालयों तथा जिला न्यायालयों में लम्बित मामलों में कमी के लिए कदम प्रतिपादित के लिए बकाया समिति गठित की गई है । भूतकाल में विधि और न्याय मंत्री द्वारा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों तथा मुख्यमंत्रियों को, पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों तथा लंबन घटाने के अभियान की ओर उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए, मामले को उठाया गया है । विभाग ने मलिमथ समिति की रिपोर्ट के बकाया उन्मूलन स्कीम मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुपालन पर सभी उच्च न्यायालयों द्वारा रिपोर्ट करने के लिए एक आनलाइन पोर्टल विकसित किया है ।

(v) वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) पर जोर देना: वाणिज्यिक न्यायालय, अधिनियम, 2015, (20 अगस्त, 2018 को यथासंशोधित) वाणिज्यिक विवादों के निपटारे के लिए आज्ञापक पूर्व-संस्थान मध्यकता क्रियाविधि पर जोर देता है। माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 द्वारा माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 का विहित समय-सीमा में विवादों के त्वरित निपटान समाधान को शीघ्र बनाने के लिए संशोधन किया गया है।

(vi) विशेष प्रकार के मामलों के त्वरित निपटान के लिए पहल : चौदहवें वित्त आयोग ने राज्यों में न्यायिक प्रणाली को मजबूत करने के सरकार के प्रस्ताव का समर्थन किया है जिसमें, अन्य बातों के साथ, जघन्य अपराधों के मामलों के लिए; ज्येष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बच्चों आदि को अंर्तवलित करने वाले मामलों के लिए त्वरित निपटान न्यायालयों की स्थापना भी सम्मिलित है और राज्य सरकारों से ऐसी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए 32% से 42% वर्धित कर विचलन के रूप में प्रदान किए गए अतिरिक्त राजवित्तीय स्थान का उपयोग करने का अनुरोध किया गया है। 31.10.2021 तक जघन्य अपराधों, स्त्रियों और बच्चों के विरुद्ध अपराधों, आदि के लिए 914 त्वरित निपटान न्यायालय कार्यरत हैं । निर्वाचित सांसदों/विधान सभा सदस्यों को अंर्तवलित करने वाले त्वरित निपटान अपराधिक मामलों के लिए नौ (9) राज्यों (मध्य-प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर-प्रदेश, पश्चिमी बंगाल में प्रत्येक में 1 और राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, दिल्ली में 2) दस (10) विशेष न्यायालय स्थापित किए गए हैं । इसके अतिरिक्त, भारतीय दंड संहिता के अधीन बलात्कार और पॉक्सो अधिनियम के अधीन अपराधों के लम्बित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए सम्पूर्ण देश में 1023 त्वरित निपटान विशेष न्यायालय (एफटीएससी) की स्थापना करने के लिए सरकार ने एक स्कीम का अनुमोदन किया है । आज तारीख तक 28 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र 842 एफटीएससी की स्थापना करने के लिए स्कीम में सम्मिलित हुए हैं, जिसके अन्तर्गत 363 'विशिष्ट पॉक्सो न्यायालय' भी हैं । इस स्कीम के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 में 140 करोड़ रुपए जारी किए गए और वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान 160.00 करोड़ रुपए जारी किए गए । वर्तमान में, 681 एफटीएससी कार्यरत हैं जिनमें 381 'विशिष्ट पॉक्सो न्यायालय' भी हैं, जिन्होंने 31.10.2021 तक 64217 मामले निपटाए । एफटीएससी की स्कीम को और दो वर्षों (2021-23) तक 1572.86 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय हिस्से के रूप में 971.70 करोड़ रुपए हैं, निरन्तर रखने के लिए अनुमोदित किया गया है ।

(vii) इसके अतिरिक्त, न्यायालयों में लम्बन और अवरोध को कम करने के लिए, सरकार ने विभिन्न विधियों जैसे परक्राम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2018, वाणिज्यिक न्यायालय (संशोधन)

अधिनियम, 2018, विनिर्दिष्ट अनुतोष (संशोधन) अधिनियम, 2018, माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 तथा दांडिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 को हाल ही में संशोधित किया है ।

(घ) और (ङ) : न्यायपालिका की स्वतंत्रता भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है, जैसा कि एस. पी. गुप्ता बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा अधिकथित किया गया है । संविधान में कई उपबंध हैं जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता तथा स्वशासन सुनिश्चित करते हैं जैसे कार्यकाल की सुरक्षा; उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश के न्यायिक आचरण पर क्रमशः संसद् और राज्य विधायिका में चर्चा नहीं की जा सकती सिवाय उन्हें हटाने के मामले में और वह भी सिद्ध कदाचरण और अक्षमता के आधार पर; उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की, स्वयं की अवमानना के लिए दण्ड देने की शक्ति आदि । इसके अतिरिक्त, राज्य की नीति के निदेशक तत्व अधिकथित करते हैं कि राज्य की लोक सेवाओं में, न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक् करने के लिए राज्य कदम उठाएगा ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं 2157
जिसका उत्तर शुक्रवार, 10 दिसम्बर, 2021 को दिया जाना है

उच्च न्यायालयों में हिंसा की घटनाएं

2157. श्री राजीव प्रताप रूडी :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या चार वर्षों के दौरान उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में हुई हिंसा/मारपीट/संघर्ष की घटनाओं का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है ;

(ख) उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में निगरानी और सुरक्षा के उद्देश्य से स्थापित अवसंरचना का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है ;

(ग) उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों के जजों को उपलब्ध कराई गई सुरक्षा का राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है ; और

(घ) जजों की सुरक्षा के लिए न्यायालयों में सुरक्षा बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (घ) : गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार "पुलिस" और "पुलिस व्यवस्था" भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अधीन राज्य का विषय है और राज्य सरकारें/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन अपराध की रोकथाम पता लगाने, रजिस्ट्रीकरण और अनुसंधान के लिए तथा अपने विधि प्रवर्तन अभिकरणों के माध्यम से अपराधियों का अभियोजन करने के लिए उत्तरदायी है । इसके अतिरिक्त न्यायालय परिसरों में व्यवस्था बनाए रखना साथ ही साथ न्यायाधीशों की रक्षा और सुरक्षा भी राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों प्रशासनों का उत्तरदायित्व है । राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी), उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में हिंसा/मारपीट/संघर्ष के संबंध में डाटा नहीं रखता है ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं 2174
जिसका उत्तर शुक्रवार, 10 दिसम्बर, 2021 को दिया जाना है

एकसमान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफार्म

2174. कुमारी राम्या हरिदास :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) क्या यह सच है कि देश भर के विभिन्न जिला न्यायालय वर्तमान में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई करने के लिए अलग-अलग प्लेटफार्म का उपयोग कर रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ख) क्या मंत्रालय की देश के सभी जिला न्यायालयों में न्याय तक पहुंच को आसान बनाने के लिए राज्यों को उपलब्ध कराए जा सकने वाले एकसमान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म की शुरुआत करके इसमें एकरूपता लाने की योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) : जी हां । देश के संपूर्ण जिला न्यायालय वीडियो-कांफ्रेंसिंग (वी.सी.) के माध्यम से सुनवाइयां संचालित करने के लिए विभिन्न प्लेटफार्मों का उपयोग कर रहे हैं । ब्यौरे उपाबद्ध पर दिए गए हैं ।

(ख) : न्यायालयों में सामान्य वी.सी. प्लेटफार्म की शुरुआत, प्लेटफार्म की ईष्टतम रूप से कार्य करने की क्षमता के अध्यधीन रहते हुए एकरूपता साथ ही साथ डाटा सुरक्षा प्रोटोकॉल की दृष्टि से वांछनीय है । वर्तमान में, एनआईसी द्वारा संचालित भारत वीसी नामित वीसी प्लेटफार्म का सामान्य समाधान केवल सरकारी विभागों के लिए उपलब्ध है ।

****

उपाबंध

"एकसमान विडियो कांफ्रेंसिंग प्लेटफार्म" से संबंधित लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2174 जिसका उत्तर तारीख 10 दिसंबर, 2021 को दिया जाना है, के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

क्र.सं.	उच्च न्यायालय	जिला न्यायालयों में प्रयुक्त वीडियो कांफ्रेंसिंग उपयोजन
1.	इलाहाबाद	जित्सी मीट
2.	आंध्र प्रदेश	ब्ल्यू जींस
3.	बॉम्बे	जूम, सिस्को वेबएक्स, जित्सी मीट, गूगल मीट, वाट्सएप
4.	कलकत्ता	जूम, माइक्रोसाफ्ट टीम, गूगल मीट, वाट्स एप
5.	छत्तीसगढ़	वीडियो कनेक्ट, जित्सी मीट, गूगल मीट
6.	दिल्ली	
7.	गुवाहाटी-अरुणाचल प्रदेश	जित्सी मीट
8.	गुवाहाटी-असम	जित्सी मीट, गूगल मीट

9.	गुवाहाटी-मिजोरम	वीडियो कनेक्ट, जित्सी मीट, माइक्रोसाफ्ट टीम, गूगल मीट
10.	गुवाहाटी-नागालैंड	जित्सी मीट, गूगल मीट
11.	गुजरात	जूम
12.	हिमाचल प्रदेश	वीडियो कनेक्ट, जूम, सिस्को वेबएक्स, जित्सी मीट, गूगल मीट
13.	जम्मू-कश्मीर और लद्दाख संघ राज्य के लिए सामान्य उच्च न्यायालय	जूम, वाट्स एप
14.	झारखंड	वीडियो कनेक्ट, सिस्को वेबएक्स, जित्सी मीट, गूगल मीट
15.	कर्नाटक	वीडियो कनेक्ट, जूम, जित्सी मीट, माइक्रोसाफ्ट टीम
16.	केरल	गूगल मीट, वाट्स एप, कारगार विभाग, केरल सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले प्रतिप्रेषण विस्तार के लिए लोक सहबद्ध उपयोजन, गूगल डियो
17.	मध्य प्रदेश	सिस्को वेबएक्स, जित्सी मीट
18.	मद्रास	माइक्रोसाफ्ट टीम
19.	मणिपुर	सिस्को वेबएक्स, जित्सी मीट
20.	मेघालय	वीडियो कनेक्ट, जित्सी मीट, वाट्स एप, भारत वी.सी.
21.	उड़ीसा	वीडियो कनेक्ट, गूगल मीट, वाट्स एप, स्काइपी
22.	पटना	माइक्रोसाफ्ट टीम
23.	पंजाब और हरियाणा	वीडियो या वीडियो कनेक्ट
24.	राजस्थान	माइक्रोसाफ्ट टीम
25.	सिक्किम	वीडियो कनेक्ट, जित्सी मीट
26.	तेलंगाना	सिस्को वेबएक्स, जित्सी मीट
27.	त्रिपुरा	वीडियो कनेक्ट, जूम, गूगल मीट
28.	उत्तराखंड	वीडियो कनेक्ट, जित्सी मीट, गूगल मीट

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं 2195
जिसका उत्तर शुक्रवार, 10 दिसम्बर, 2021 को दिया जाना है

आपराधिक मामलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग

2195. **श्री खगेत मुर्मु :**

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह समझने के लिए कोई अध्ययन कराया है कि आपराधिक मामलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ने न तो मुकदमे को छोटा किया है और न ही मुकदमे की प्रतीक्षा कर रहे लोगों की संख्या को कम किया है और न ही उक्त प्रयोजन असमान डिजिटल एक्सेसर की समस्या का समाधान कर पाया है ;

(ख) यदि हां, तो इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मोबाइल फोन का व्यापक उपयोग किया जाता है और केवल शहरी प्रयोक्ताओं तक इंटरनेट की पहुंच होती है और कनेक्टिविटी के मुद्दे तथा इस तरीके से काम करने से अनभिज्ञ होने के कारण अर्द्ध शहरी तथा ग्रामीण जिलों के वकीलों को ऑनलाइन सुनवाई में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, सरकार द्वारा उठाए गए निवारक कदमों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) : जी नहीं।

(ख) और (ग) : कोविड लॉकडाउन अवधि के दौरान सामूहिक पद्धति में वास्तविक सुनवाई और सामान्य न्यायालय की कार्यवाही संभव नहीं थी। आरंभिक तकनीकी त्रुटियों को धीरे-धीरे दूर किया गया और न्यायालयों के मुख्य आधार के रूप में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का आविर्भाव हुआ । वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम जैसे विद्या कनेक्ट, जित्सी मीट, जूम, सिस्को वेबएक्स, गूगल मीट, व्हाट्सएप, माइक्रोसॉफ्ट टीम आदि से सुनवाई करने के लिए विभिन्न प्लेटफार्मों का उपयोग किया जा रहा है । जबसे कोविड लॉकडाउन शुरू हुआ, जिला न्यायालयों ने 1,01,77,289 मामलों की सुनवाई की, जबकि उच्च न्यायालय ने 31.10.2021 तक केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग करके 55,24,021 मामलों (कुल 1.57 कोर) की सुनवाई की। भारत के उच्चतम न्यायालय ने इस अवधि के दौरान 29.10.2021 तक 1,50,692 सुनवाई की, जिससे यह विश्व अग्रणी बन गया।

वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग प्रसुविधाओं का और सुधार करने के लिए, तालुक स्तर की न्यायालयों सहित सभी न्यायालय परिसरों में एक-एक वीडियो कॉन्फ्रेंस उपकरण प्रदान किए गए हैं और 14,443 न्यायालय कक्ष के लिए अतिरिक्त वीसी उपकरण के लिए निधियां मंजूर की गई है। उच्च न्यायालयों को 2506 वीसी केबिन स्थापित करने के लिए निधियां उपलब्ध करा दी गई हैं। अतिरिक्त 1500 वीसी अनुज्ञप्तियाँ अपेक्षित हैं। 3240 न्यायालय परिसरों और तत्स्थानी 1272 जेलों के बीच वीसी सुविधाएं पहले से ही सक्षम हैं। 1732 दस्तावेज़ विज़ुअलाइज़र के उपापन के लिए उच्च न्यायालयों को निधियां जारी की गई हैं।

न्यायालय इको-प्रणाली में पण धारियों के मध्य आईसीटी एक्सेस डिवाइड को सेतु बनाने के लिए, सभी उच्च न्यायालयों और प्रत्येक राज्य में एक जिला न्यायालय में 235 ई-सेवा केंद्र स्थापित करने के लिए निधियां जारी की गई हैं। वीसी प्रसुविधाओं के साथ सभी ई-सुविधाएं प्रदान करने के लिए नागपुर में एक न्याय कौशल केंद्र शुरू किया गया है। वाई-फाई और कंप्यूटर से लैस मामलों के त्वरित निपटान के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए मोबाइल ई-न्यायालय वाहन तेलंगाना और उत्तराखंड में शुरू किए गए थे। ओएफसी, आरएफ, वीसैट जैसी उपलब्ध वैकल्पिक तकनीकों का उपयोग करके देश भर में सभी जिला और अधीनस्थ न्यायालय परिसरों को जोड़ने के उद्देश्य से ई- न्यायालय परियोजना के अधीन वाइड एरिया नेटवर्क (डब्ल्यूएएन) परियोजना को तैयार किया गया था। अब तक, 2992 साइटों में से 2956 साइटों को 10 एमबीपीएस से 100 एमबीपीएस बैंडविड्थ गति (98.7% साइटों को पूरा करने) के साथ चालू किया गया है। यह संपूर्ण के न्यायालयों में डाटा संयोजकता को सुनिश्चित करने के लिए ई-न्यायालय परियोजना की रीढ़ है।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं 2221
जिसका उत्तर शुक्रवार, 10 दिसम्बर, 2021 को दिया जाना है

ई-कोर्ट

2221. श्री अनुभव मोहंती :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जबलपुर, गुवाहाटी, जोधपुर और रायपुर ने में ई-कोर्ट स्थापित किया है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे ई-कोर्ट की स्थिति क्या है ;

(ग) क्या वे दक्षता से काम कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या सरकार की ओडिशा सहित अन्य शहरों/राज्यों में ऐसे ई-कोर्ट की स्थापना की कोई योजना है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ग) : ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना के अधीन जबलपुर**,** गुवाहाटी, जोधपुर और रायपुर जिला और तालुका न्यायालय कंप्यूटरीकृत किए गए हैं और राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) से जोड़े गए हैं । राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) के अनुसार जबलपुर**,** गुवाहाटी, जोधपुर और रायपुर जिलों में मामलों की प्रास्थिति निम्नानुसार है:

राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड के अनुसार 03.12.2021 तक मामले				
क्र.सं.	**जिला**	**सिविल मामले**	**आपराधिक मामले**	**कुल मामले**
क	**ख**	**ग**	**घ**	**ङ=ग+घ**
1	जबलपुर	38759	93864	132623
2	जोधपुर	5646	20094	25740
3	जोधपुर मेट्रो	25720	76475	102195
4	रायपुर	12562	61715	74277
5	कामरूप	3687	8708	12395
6	कामरूप मेट्रो	22880	44156	67036

(घ) से (ङ): सरकार, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के सूचना और संसूचना प्रौद्योगिकी समर्थकरण के लिए ओड़िशा सहित देशभर में ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना का कार्यान्वयन कर रही है । 01.12.2021 तक ओड़िशा को सम्मिलित करते हुए कंप्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की संख्या बढ़कर 18,735 हो गई है । 98.7 प्रतिशत जिला परिसरों को वॉन संयोजकता प्रदान की गई है । मामले की सूचना साफ्टवेयर का नया और उपयोक्ता अनुकूल संस्करण विकसित किया गया है और सभी कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में लगाया गया है । सभी पणधारी, जिनके अंतर्गत न्यायिक अधिकारी भी हैं, राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एन जे डी जी) पर कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों तथा उच्च न्यायालयों की न्यायिक कार्यवाहियों/निर्णयों से संबंधित सूचना प्राप्त कर सकते हैं । तारीख 03.12.2021 को यथाविद्यमान, वादी इन न्यायालयों से संबंधित 19.76 करोड़ मामलों तथा 15.99 करोड़ आदेशों/निर्णयों की

प्रास्थिति जान सकते हैं । ई-न्यायालय सेवाएं जैसे कि मामला रजिस्ट्रीकरण के ब्यौरे, वाद सूची, मामला प्रास्थिति, दैनिक आदेश और अंतिम निर्णय ई-न्यायालय वैब पोर्टल, सभी कंप्यूटरीकृत न्यायालयों में न्यायिक सेवा केंद्र (जेएससी) के माध्यम से, ई-न्यायालय मोबाइल एप, ई-मेल सेवा, एसएमएस पुश और पुल सेवा के माध्यम से वादियों और अधिवक्ताओं को उपलब्ध हैं। वर्ष 2018 में प्रारंभ ई-फाईलिंग प्रणाली उन्नत और प्रयोक्ता मित्र विशेषताओं के साथ 3.0 संस्करण से उन्नत की गई है। 3240 न्यायालय परिसरों तथा 1272 तत्स्थानी कारागारों के बीच वीडियो कान्फरेंसिंग सुविधा को चालू किया गया है । कोविड-19 की चुनौतियों का बेहतर ढंग से सामना करने तथा वर्चुअल सुनवाई में संक्रमण को अधिक आसान बनाने की दृष्टि से, मामले की प्रास्थिति से लेकर निर्णय/आदेशों को प्राप्त करने, न्यायालय/मामले संबंधित सूचना और ई-फाइलिंग सुविधाओं तक सहायता की आवश्यकता वाले अधिवक्ताओं तथा वादियों को सुविधा प्रदान करने के लिए न्यायालय परिसरों में 235-ई सेवा केन्द्रों की स्थापना करने के लिए निधियों की व्यवस्था की गई है । विभिन्न न्यायालय परिसरों में वीडियो कान्फ्रेंसिंग केबिनों में वर्चुअल सुनवाई की सुविधा प्रदान करने के लिए उपस्करों की व्यवस्था करने हेतु 5.01 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं । विभिन्न न्यायालय परिसरों में, ई-फाइलिंग हेतु 1732 हेल्प डेस्क काउंटरों के लिए 12.12 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं ।

यातायात संबंधी अपराधों के विचारण हेतु 11 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों अर्थात दिल्ली (2), हरियाणा, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल (2), महाराष्ट्र (2), असम, छतीसगढ़, जम्मू-कश्मीर (2), उत्तर प्रदेश, ओड़िशा में पंद्रह वर्चुअल न्यायालय गठित किए गए हैं । तारीख 03.12.2021 तक इन न्यायालयों ने 1.07 करोड़ मामले निपटाए तथा 201.96 करोड़ रुपए जुर्माने के रुप में वसूल किए । उड़ीसा में वर्चुअल न्यायालय अगस्त, 2021 में प्रारंभ किए गए थे ।

कोविड लॉकडाउन अवधि के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, न्यायालयों के सहारे के रूप में उभरा, क्योंकि सामूहिक ढंग से भौतिक सुनवाईयां और सामान्य न्यायालय कार्यवाहियां संभव नहीं थी । कोविड लॉकडाउन आरम्भ होने के समय से 31.10.2021 तक केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का प्रयोग करके जिला न्यायालयों ने 1,01,77,289 मामलों में सुनवाइयां और उच्च न्यायालयों ने 55,24,021 मामलों में सुनवाइयां (कुल 1.57 करोड़) की हैं । उच्चतम न्यायालय ने लॉकडाउन अवधि आरम्भ होने के समय से 29.10.2021 तक 1,50,692 सुनवाइयां कीं थी । उड़ीसा उच्च न्यायालय में 23.03.2020 से 31.10.2021 तक 2,18,073 मामलों की सुनवाई की है जबकि उड़ीसा जिला न्यायालयों में 01.03.2020 से 31.10.2021 तक 1,81,653 मामलों की सुनवाई की है (कुल 3,99,726) ।

उड़ीसा उच्च न्यायालय में 02.08.2021 से लाइव स्ट्रीमिंग मामले क्रियाशील हैं । उच्च न्यायालय ई-सेवा मोबाइल एप, अधिवक्ताओं और मुवक्किलों की उनके स्मार्ट फोन सुविधा से मामलों और न्यायालयों संबंधी सूचना उपलब्ध कराने में सहायता करने के लिए 02.08.2021 को प्रारंभ की गई थी । मामला प्रास्थिति, वाद सूची, फाइल किए गए नए मामले, निर्णय/आदेश, त्रुटिपूर्ण प्रास्थिति, प्रमाणित प्रति प्रास्थिति प्रदान करने के अतिरिक्त इस मोबाइल एप में सभी न्याय पीठों के लिए सीधा प्रदर्शन बोर्ड की और न्यायालय के डिजिटल नोटिस बोर्ड की विशेषताएं भी हैं । उच्च न्यायालय के निर्णयों और आदेशों को खोजने के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति द्वारा संकल्पित सुविधा "फ्री टैक्स्ट सर्च" सुविधाजनक पहुंच के लिए उच्च न्यायालय मोबाइल एप के साथ एकीकृत की गई है ।

उड़ीसा उच्च न्यायालय ने पत्राचार की परंपरागत पद्धतियों में लगने वाले संसाधनों और प्रयुक्त समय को बचाने के लिए उच्च न्यायालय के आदेशों और निर्णयों को कागज विहीन पर्यावरण में सुरक्षित और तात्कालिक संसूचना सुकर बनाने के लिए आर्डर कम्युनिकेशन पोर्टल (ओसीपी) नाम से ज्ञात साफ्टवेयर मॉड्यूल प्रारंभ किया है ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं 2226
जिसका उत्तर शुक्रवार, 10 दिसम्बर, 2021 को दिया जाना है

विधि आयोग की 277वीं रिपोर्ट

2226. **श्रीमती मेनका संजय गांधी:**

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के अनुरोध पर सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों ने विधि आयोग की 277वीं रिपोर्ट की सिफारिशों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने इस संबंध में राज्यों को अनुवर्ती स्मरण-पत्र भेजे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या सरकार ने विधि आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ड.) : गृह मंत्रालय ने सूचित किया है कि उसने विधि आयोग की 277वीं रिपोर्ट, राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों को 16.10.2018 को उनकी टिप्पणियों के लिए परिचारित की थी क्योंकि विषय समवर्ती सूची में आता है । आज तक, 14 राज्यों ने अपनी टिप्पणियां दी हैं । गृह मंत्रालय पर विभाग संबद्ध संसदीय स्थायी समिति ने अपनी 146वीं रिपोर्ट, तारीख 23.6.2010, में सिफारिश की थी कि देश में दांडिक न्याय तंत्र की व्यापक पुनर्विलोकन की आवश्यकता है । पूर्व में, संसदीय स्थायी समिति ने अपनी 111वीं और 128वीं रिपोर्ट में भी संबंधित अधिनियमों में अलग-अलग संशोधनों को करने के बजाय संसद में एक व्यापक विधान पुर:स्थापित करके देश की दांडिक विधि को युक्तिसंगत बनाने और सुधार की आवश्यकता पर बल दिया था । सरकार, गृह मंत्रालय पर विभाग संबद्ध संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों से सहमत है ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं 2265
जिसका उत्तर शुक्रवार, 10 दिसम्बर, 2021 को दिया जाना है

लंबित मामले

+2265. **श्री राजेन्द्र धेड्या गावित :**

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के सभी न्यायालयों में लाखों मामले वर्षों से लंबित है ;

(ख) यदि हा, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) अब तक सभी स्तरों पर कितनी त्वरित न्यायालयों की स्थापना की गई है ;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने मामलों में अंतिम फैसला सुनाया गया है ;

(ङ) क्या सरकार का विचार ग्राम स्तर पर किसानों के लिए त्वरित न्यायालय स्थापित करने का है ; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) और (ख) : देश में विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या निम्नानुसार हैः-

क्र. सं.	न्यायालय का नाम	लंबित और तारीख
1	भारत का उच्चतम न्यायालय	70,038 (08.11.2021)*
2	उच्च न्यायालय	56,45,617 (06.12.2021)**
3	जिला और अधीनस्थ न्यायालय	4,09,34,646 (06.12.2021)**

स्रोत

*भारत के उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट

**राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी)

(ग) : त्वरित निपटान न्यायालय (एफटीसी) सहित अधीनस्थ न्यायालयों की स्थापना करना और इसकी कार्यप्रणाली, संबंधित उच्च न्यायालयों के परामर्श से राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आती है। त्वरित न्याय प्रदान करने के लिए, 14वें वित्त आयोग ने जघन्य अपराधों के विशिष्ट प्रकृति के मामलों, महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों, समाज के अन्य कमजोर वर्गों से संबंधित सिविल

मामलों आदि और 5 वर्ष से अधिक लंबित संपत्ति से संबंधित मामले को निपटाने के लिए 2015-2020 के दौरान 1800 त्वरित निपटान न्यायालयों (एफटीसी) की स्थापना के प्रस्ताव सहित, भारत संघ के प्रस्ताव का समर्थन किया था। अक्टूबर, 2021 तक उच्च न्यायालयों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, 23 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में कुल 914 त्वरित निपटान न्यायालय क्रियाशील हैं।

(घ) : उच्च न्यायालयों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार विगत तीन वर्षों के दौरान त्वरित निपटान न्यायालयों द्वारा निपटाए गए मामले निम्नानुसार हैं :-

क्र. सं.	वर्ष	निपटाए गए मामलों की संख्या
1	2019	4,79,425
2	2020	2,39,956
3	2021 (जनवरी से अक्तूबर)	3,18,491

(च) और (ङ) : त्वरित निपटान न्यायालय (एफटीसी) सहित अधीनस्थ न्यायालयों की स्थापना करना और इसकी कार्यप्रणाली, संबंधित उच्च न्यायालयों के परामर्श से राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आती है। उपलबंध सूचना के अनुसार, ग्राम स्तर पर किसानों के लिए कोई त्वरित निपटान न्यायालय नहीं है ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं 2274
जिसका उत्तर शुक्रवार, 10 दिसम्बर, 2021 को दिया जाना है

न्यायिक जवाबदेही

2274 श्री श्याम सिंह यादव :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उच्च न्यायपालिका की न्यायिक जवाबदेही के लिए कानून लाने की योजना बना रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार न्यायाधीशों के लिए नियमित कार्य निष्पादन मूल्यांकन प्रणाली लागू करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ख) : जी नहीं । उच्चतम न्यायपालिका में जवाबदेही "इन-हाउस तंत्र" के माध्यम से रखी जाती है । भारत के उच्चतम न्यायालय ने तारीख 7 मई, 1997 की अपनी पूर्ण न्यायालय बैठक में दो संकल्प अंगीकृत किए थे, अर्थात्: (i) "न्यायिक जीवन में मूल्यों का पुनर्स्थापन" जो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा पालन और अनुसरण किए जाने वाले कतिपय न्यायिक मानकों और सिद्धांतों को अधिकथित करता है, (ii) उन न्यायाधीशों, जो न्यायिक जीवन में सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत मूल्यों जिसके अंतर्गत न्यायिक जीवन के मूल्यों का पुनर्स्थापन भी सम्मिलित है का अनुसरण नहीं करते हैं, के विरुद्ध उपयुक्त उपचारात्मक उपाय करने के लिए "इन-हाउस प्रक्रिया" ।

उच्चतर न्यायपालिका के लिए स्थापित "इन-हाउस प्रक्रिया" के अनुसार भारत का मुख्य न्यायमूर्ति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और उच्च न्यायालयों के न्यायमूर्तियों के आचरण के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त करने के लिए सक्षम हैं । इसी प्रकार, उच्च न्यायालयों के न्यायमूर्ति, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त करने के लिए सक्षम हैं । प्राप्त शिकायतें/अभ्यावेदन समुचित कार्रवाई के लिए यथास्थिति भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या संबद्ध उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति को अग्रेषित की जाती है । राज्य की अधीनस्थ न्यायपालिका के सदस्यों के ऊपर प्रशासनिक नियंत्रण संबद्ध उच्च न्यायालय में निहित होता है ।

(ग) से (घ) : जी नहीं । न्यायपालिका, भारत के संविधान के अधीन एक स्वतंत्र अंग होते हुए अपने आंतरिक मामलों को निपटाने में सक्षम है । सरकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्ध है और उसके कृत्यों में हस्तक्षेप नहीं करती और ना ही करना चाहिए ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं *185
जिसका उत्तर शुक्रवार, 10 दिसम्बर, 2021 को दिया जाना है

ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना

+*185. श्री ज्योतिर्मय सिंह महतो :

डॉ. मनोज राजोरिया :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना का कार्यान्वयन कर रही है और यदि हां, तो इस संबंध में निर्धारित किए गए लक्ष्यों एवं प्राप्त की गई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है और उक्त परियोजना के अंतर्गत पश्चिम बंगाल सहित राज्य वार कितने न्यायालयों का डिजिटलीकरण किया गया है ;

(ख) पश्चिम बंगाल सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार अधीनस्थ न्यायालयों के डिजिटलीकरण में की गई प्रगति की स्थिति क्या है ; और

(ग) केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा ई-न्यायालय व्यवस्था को तीव्रता से अपनाए जाने हेतु पश्चिम बंगाल सहित देशभर में क्या कदम उठाए गए हैं और भावी योजनाएं क्या हैं?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ग) : एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

"ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना" से संबंधित लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *185, जिसका उत्तर तारीख 10 दिसंबर, 2021 को दिया जाना है, के भाग (क) से (ग) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

(क) और (ख) : ई-न्यायालय एकीकृत मिशन मोड परियोजना देश के जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में कार्यान्वित की जा रही राष्ट्रीय ई-शासन परियोजनाओं में से एक है । उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति, ई-न्यायालय परियोजना के क्रियान्वयन के लिए नीति योजना, सामरिक निर्देश और मार्गदर्शक सिद्धांतों के लिए उत्तरदायी है तथा इस संबंध में न्याय विभाग की सहयोगकारी भागीदारी से कार्य करती है ।

ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) का पहला चरण 2011-15 के दौरान कार्यान्वित किया गया था । सरकार ने ई-न्यायालय एमएमपी के चालू चरण को जुलाई, 2015 में अनुमोदित किया था । आज तक कुल 18,735 न्यायालय कंप्यूटरीकृत किए जा चुके हैं । पश्चिमी बंगाल सहित कंप्यूटरीकृत न्यायालयों की सूची **उपाबंध-1** पर संलग्न है ।

परियोजना के दूसरे चरण में 1670 करोड़ रुपये की वित्तीय लागत के विरुद्ध सरकार ने परियोजना के कार्यान्वयन में अंतवर्लित विभिन्न अभिकरणों को तारीख 03.12.2021 तक 1611.19 करोड़ रुपये की राशि जारी की है । इसमें विभिन्न उच्च न्यायालयों को इस प्रयोजन के लिए जारी की गई 1151.84 करोड़ रुपये की राशि सम्मिलित है ।

परियोजना का दूसरा चरण न्यायालयों को आईटीसी समर्थ बनाने की अभिवृद्धि सुनिश्चित करने के लिए है और इसकी मुख्य पहलें निम्नानुसार सूचीबद्ध है:

i. ई-न्यायालय परियोजना के अधीन वाइड एरिया नेटवर्क (वॉन) का उद्देश्य संपूर्ण देश के जिला और अधीनस्थ न्यायालय परिसरों को विभिन्न प्रौद्योगिकियों जैसे कि ओएफसी (ऑप्टीकल फाइबर केबल), आरएफ (रेडियो फ्रिक्वेंसी) वीएसएटी (वेरी स्मॉल एपरेटर टर्मिनल) का प्रयोग करते हुए जोड़ना है । अभी तक 2992 स्थलों में से 2956 स्थलों को 10 एमबीपीएस से 100 एमबीपीएस बैंड विड्थ स्पीड के साथ जोड़ा गया है (98.7 प्रतिशत स्थलों को पूरा करते हुए) । यह देश के संपूर्ण न्यायालयों में डाटा संयोजकता सुनिश्चित करते हुए ई-न्यायालय परियोजना के लिए मेरुदंड का निर्माण करती है ।

ii. मामला सूचना साफ्टवेयर (सीआईएस) जो ई-न्यायालय सेवाओं के लिए आधार का निर्माण करता है, स्वनिर्धारित फ्री एंड ओपन सोर्स साफ्टवेयर (एसओएस) पर आधारित है जिसे एनआईसी द्वारा विकसित किया गया है । वर्तमान में जिला न्यायालयों में सीआईएस नेशनल कोर वर्जन 3.2 कार्यान्वित किया जा रहा है और उच्च न्यायालय में सीआईएस नेशनल कोर वर्जन 1.0 कार्यान्वित किया जा रहा है ।

iii. कोविड-19 प्रबंधन के लिए एक साफ्टवेयर पैच और यूजर मेन्यूअल विकसित किया गया है । यह उपकरण मामलों के स्मार्ट अनुसूचन में सहायता करता है ।

iv. अधिवक्ताओं/मुवक्किलों को एसएमएस पुश और पुल (2,00,000 एसएमएस रोज भेजे गए), ई-मेल (2,50,000 रोज भेजे गए), बहु-भाषीय और स्पृशय ई-न्यायालय सेवा पोर्टल (35 लाख हिट रोज), जेएससी (न्यायिक सेवा केन्द्र) और सूचना कियोस्क के माध्यम से मामला प्रास्थिति, वाद सूची, निर्णय आदि पर वास्तविक समय सूचना प्रदान करने के लिए सात प्लेटफार्म सृजित किए गए हैं । इसके अतिरिक्त, अधिवक्ताओं के लिए मोबाइल एप से (1 नवंबर, 2021 तक कुल

डाउनलोड 68.04 लाख) और न्यायाधीशों के लिए जस्ट आईएस एप से (2 दिसंबर, 2021 तक डाउनलोड 16,751) इलैक्ट्रानिक केस मैनेजमेंट टूल (ईसीएमटी) सृजित किए गए हैं ।

v. नेशनल सर्विस एंड ट्रेकिंग ऑफ इलेक्ट्रानिक प्रोसेस (एनएसटीईपी) समनों की तामील करने और जारी करने की प्रक्रिया को प्रौद्योगिकी समर्थ बनाने के लिए प्रारंभ किया गया है । यह वर्तमान में सत्रह उच्च न्यायालयों में कार्यान्वित है ।

vi. राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी), ई-न्यायालय परियोजना के अधीन ऑन-लाइन प्लेटफार्म के रूप में सृजित 18,735 कंप्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों, निर्णयों और मामले के ब्यौरों का एक डाटा बेस है । यह देश के सभी कंप्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की न्यायिक कार्यवाहियों/विनिश्चयों से संबंधित सूचना प्रदान करता है । वर्तमान में मुवक्किल ई-न्यायालय सेवा प्लेटफार्म के माध्यम से इन कंप्यूटरीकृत न्यायालयों से संबंधित 19.76 करोड़ मामलों और 15.99 से अधिक आदेशों/निर्णयों की बाबत मामला प्रास्थिति सूचना (तारीख 03.12.2021 को विद्यमान) तक पहुंच सकते हैं । ओपन एपीआईएस वर्ष 2020 में सरकारी मुकदमों की खोज करने में सहायता के लिए और लंबित मामलों की मानीटरी और अनुपालन में सुधार के लिए एनजेडीजी डाटा तक केन्द्रीय और राज्य सरकारों तथा संस्थागत मुवक्किलों को अनुज्ञात करने के लिए प्रारंभ किया गया था । वर्तमान में विलंब के कारण एनजेडीजी में सम्मिलित किए गए हैं ।

vii. यातायात चालान के मामलों निपटाने के लिए ग्यारह राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में पंद्रह वर्चुअल न्यायालय प्रचालित किए गए हैं । तारीख 03.12.2021 तक इन पंद्रह न्यायालयों द्वारा 1.07 करोड़ से अधिक मामले निपटाए गए हैं और 201 करोड़ रुपये का ऑनलाइन जुर्माना वसूला गया है । दिल्ली उच्च न्यायालय ने परक्राम्य लिखत के मामलों को निपटाने के लिए 34 डिजिटल न्यायालय स्थापित किए हैं ।

viii. भारत का उच्चतम न्यायालय (लॉक डाउन की अवधि के प्रारंभ से तारीख 29.10.2021 तक) 1,50,692 वर्चुअल सुनवाई संचालित करके वैश्विक नेता के रूप में उभरा है । तारीख 31 अक्तूबर, 2021 तक उच्च न्यायालय ने (55,24,021 सुनवाइयां) और अधीनस्थ न्यायालयों ने (1,01,77,289 सुनवाइयां) कुल 1.57 करोड़ वर्चुअल सुनवाइयां संचालित की हैं । 2506 वीडियो कांफ्रेंसिंग (वी.सी.) केबीनो के लिए और 14,443 न्यायालय कक्षों के लिए वी सी उपस्कर के लिए भी निधियां जारी की है । वर्चुअल सुनवाई की प्रौन्नति के लिए 1500 वी सी अनुज्ञप्तियां उपाप्त की हैं ।

ix. कार्यवाहियों की वीडियो कांफ्रेंसिंग की लाइव स्ट्रीमिंग गुजरात, उड़ीसा और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में प्रारंभ की गई हैं । मॉडल लाइव स्ट्रीमिंग नियम देश के सभी उच्च न्यायालयों में न्यायालय की कार्यवाहियों की लाइव स्ट्रीमिंग के बेहतर क्रियान्वयन हेतु उनके सुझाव, इनपुट और पूरी जानकारी के लिए परिचालित किए गए हैं ।

x. नई ई-फाइलिंग प्रणाली (वर्जन 3.0) उन्नत विशेषताओं जैसे कि वकालतनामें का ऑन-लाइन प्रस्तुतीकरण, ई-हस्ताक्षरण, शपथ की ऑन-लाइन वीडियो रिकार्डिंग, ऑन-लाइन संदाय बहु-आईए/आवेदन का फाइल किया जाना, पोर्ट फोलियो प्रबंधन और द्विभाषीय रीति आदि के साथ विधिक कागज इलैक्ट्रानिक रूप से दाखिल करने के लिए संचालित किया गया है ।

xi. डिजिटल विभाजन को पाटने के लिए सभी उच्च न्यायालयों और प्रत्येक राज्य के एक जिला न्यायालय में 235 ई-सेवा केंद्र स्थापित करने के लिए निधियां जारी की गई हैं । भारत के पहले ई-संसाधन केंद्र का महाराष्ट्र के नागपुर में उद्घाटन किया गया था । ई-संसाधन केंद्र "न्याय कौशल" भारत के उच्चतम न्यायालय, संपूर्ण देश के उच्च न्यायालयों तथा जिला न्यायालयों में ई-फाइलिंग और वी सी को सुकर बनाएंगे । तेलंगाना और उत्तराखंड में वाई-फाई और कंप्यूटरों से सुसज्जित मोबाइल ई-न्यायालय यान प्रारंभ किए गए हैं ।

xii. "निर्णय और आदेश की खोज" पोर्टल उसके पणधारियों की आसानी से निर्णय खोजने में सुविधा के लिए प्रारंभ किया गया है । निर्णयों की खोज के लिए नया पोर्टल उच्च न्यायालयों के निर्णयों और अंतिम आदेशों के लिए कोष का उपबंध करने के लिए स्थापित किया गया है ।

xiii. राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड के माध्यम से सुज्जित डाटा बेस का प्रभावी उपयोग करने के लिए और जनसाधारण को सूचना उपलबध कराने के लिए जस्टिस लॉक नाम से ज्ञात 29 डिस्पले मैसेज साइन बोर्ड प्रणाली 19 उच्च न्यायालयों में संस्थापित की गई हैं ।

(ग): सरकार और उच्च न्यायालय की ई-समिति द्वारा पश्चिमी बंगाल सहित संपूर्ण देश में ई-न्यायालय प्रणाली के अंगीकरण को गति देने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित है:

i. ई-फाइलिंग और ई-न्यायालय सेवाओं के लिए बड़े पैमाने पर जागरुकता लाने और परिचितीकरण के लिए तथा कौशल विभाजन के मुद्दे को संबोधित करने के लिए ई-फाइलिंग पर एक मैन्यूअल तथा "ई-फाइलिंग के लिए कैसे रजिस्टर करें" विवरणिका हिंदी, अंग्रेजी और बंगाली सहित 12 क्षेत्रीय भाषाओं में अधिवक्ताओं के प्रयोग के लिए उपलब्ध कराई गई है।

ii. ई-फाइलिंग पर वीडियो शिक्षकीय के साथ ई-न्यायालय सेवाओं के नाम से एक यू-ट्यूब चैनल सृजित किया गया है । इस चैनल पर 1,70,881 व्यूज के साथ 15,300 सब्सक्राइबर हो गए हैं । इसने अधिवक्ताओं की आसानी से डिजिटल प्लेटफार्म प्रचालन के लिए अपेक्षित कौशल को अर्जित करने में सहायता की है ।

iii. भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति ने आईसीटीसी सेवाओं पर प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम संचालित किया है । इन कार्यक्रमों में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जिला न्यायापालिका के न्यायाधीश, न्यायालय कर्मचारिवृंद, न्यायाधीशों/जिला प्रणाली प्रशासक (डीएसए) में से मुख्य प्रशिक्षक, उच्च न्यायालयों के तकनीकी कर्मचारिवृंद और मई, 2020 से नवंबर, 2021 तक 67 प्रशिक्षण/बाहरी कार्यक्रमों के माध्यम से अधिवक्ताओं सहित लगभग 3,02,614 पणधारी समाविष्ट हैं ।

iv. एक वृत्तिक संसूचना परामर्श अभिकरण, प्रभावी संसूचना कौशल और कार्रवाई के लिए सुसंगत मीडिया योजना का विकास करने और उसका क्रियान्वयन करने में ई-न्यायालय ईएमयू की सहायता करने के लिए, विभिन्न प्रचार उपकरणों का प्रभावी उपयोग करने के लिए और परियोजना उत्पाद तथा ई-न्यायालय सेवा के बारे में जागरूकता में सुधार के लिए वर्ष, 2018-19 में नियोजित किया गया था । पोस्टर, विवरणिका और उपयोगकर्ता मेन्यूअल परिकल्पित, मुद्रित और संपूर्ण देश के सभी पणधारियों में वितरित किए गए थे ।

v. जुलाई-नवंबर, 2018 के दौरान एनआईसीएनईटी ई-मेल डाटा बेस पर सूचना और लोक सेवा मैसेज साझा करने के लिए ई-संपर्क, एनआईसी प्लेटफार्म के माध्यम से चार ई-न्यायालय अभियान संचालित किए गए थे ।

vi. नवंबर, 2018 में हिंदी और अंग्रेजी में दो अखबार छापने का अभियान पूरा किया गया था । अंग्रेजी, हिंदी और 16 क्षेत्रीय भाषाओं में अखबार छापने का अभियान नवंबर, 2018-जनवरी, 2019 के दौरान पूरा किया गया था ।

vii. ई-न्यायालय सेवाओं पर जागरूकता का प्रसार करने के लिए हिंदी और दस क्षेत्रीय भाषाओं में तीस सेकंड के श्रव्य विज्ञापन गीत के माध्यम से रेडियो अभियान जनवरी-मार्च 2019 के दौरान पूरा किया गया था ।

viii. ई-न्यायालय सेवाओं के बारे में सूचना प्रसारित करने के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान लगभग 3.90 लाख पोस्टर 20 भाषाओं मुद्रित किए गए थे और सामान्य सेवा केंद्रों को वितरित किए गए थे । अक्तूबर, 2019 में, एप और पोर्टल पर ई-न्यायालय सेवाओं के बारे में सूचित करने के क्रम में लगभग 32 करोड़ नागरिकों तक पहुंचाने के लिए एसएमएस अभियान पूरा किया गया था । मुवक्किलों और अधिवक्ताओं द्वारा उनके ई-मेल और मोबाइल नंबर न्यायालय में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए 20 भारतीय भाषाओं में लगभग 35,000 पोस्टर मुद्रित किए गए थे । ये जनसाधारण साथ ही साथ अधिवक्ताओं जो ऐसे परिसरों का भ्रमण करते हैं की सूचना के लिए अधीनस्थ न्यायालयों में प्रदर्शित किए गए थें ।

****

उपाबंध-1

ई-न्यायालय मिशन मोड़ परियोजना से संबंधित लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *185 जिसका उत्तर तारीख 10 दिसम्बर, 2021 को दिया जाना है, के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण । डिजीटल न्यायालयों की उच्च न्यायालय-वार और राज्यवार सूची निम्न प्रकार है:

क्र.सं.	उच्च न्यायालय	राज्य	न्यायालय परिसर	न्यायालय
1	इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश	180	2222
2	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश	218	617
3	मुम्बई	दादरा और नागर हवेली	1	3
		दमण और दीव	2	2
		गोवा	17	39
		महाराष्ट्र	471	2157
4	कलकत्ता	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	4	14
		पश्चिमी बंगाल	89	827
5	छत्तीसगढ	छत्तीसगढ	93	434
6	दिल्ली	दिल्ली	6	681
7	गुवाहाटी	अरुणाचल प्रदेश	14	28
		असम	74	408
		मिजोरम	8	69
		नागालैंड	1 1	37
8	गुजरात	गुजरात	376	1268
9	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश	50	162
10	जम्मू और कश्मीर	जम्मू - कश्मीर	86	218
1 1	झारखंड	झारखंड	28	447
12	कर्नाटक	कर्नाटक	207	1031
13	केरल	केरल	158	484
		लक्षद्वीप	1	3
14	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश	213	1363
15	मद्रास	पुडुचेरी	4	24
		तमिलनाडु	263	1124
16	मणिपुर	मणिपुर	17	38
17	मेघालय	मेघालय	7	42
18	ओडिशा	उड़ीसा	185	686
19	पटना	बिहार	84	1142
20	पंजाब और हरियाणा	चंडीगढ़	1	30
		हरियाणा	53	500
		पंजाब	64	541
21	राजस्थान	राजस्थान	247	1240
22	सिक्किम	सिक्किम	8	23
23	तेलंगाना	तेलंगाना	129	476
24	त्रिपुरा	त्रिपुरा	14	84
25	उत्तराखंड	उत्तराखंड	69	271
	कुल		**3452**	**18735**

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं *191
जिसका उत्तर शुक्रवार, 10 दिसम्बर, 2021 को दिया जाना है

अखिल भारतीय न्यायिक सेवाएं

*191. **श्री बिद्युत बरन महतो :**

एडवोकेट अद्दूर प्रकाश :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार सिविल सेवाओं की तर्ज पर न्यायाधीशों की भर्ती करने हेतु प्रस्तावित अखिल भारतीय न्यायिक सेवाओं (एआईजेएस) के पुनः प्रवर्तन पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और रूपरेखा क्या है ;

(ग) क्या सरकार इस संबंध में विभिन्न राज्य सरकारों के साथ आम सहमति बनाने की दिशा में कार्य कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या सरकार को कुछ राज्य सरकारों तथा उच्च न्यायालयों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में आम सहमति बनाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (घ) : एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

‘अखिल भारतीय न्यायिक सेवाएं’ से संबंधित लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या *191 जिसका उत्तर तारीख 10.12.2021 को दिया जाना है, के उत्तर के भाग (क) से (घ) में निर्दिष्ट विवरण

सरकार के विचार में, सम्पूर्ण न्याय परिदान प्रणाली को, सुदृढ करने के लिए उचित रुप से बनाई गई अखिल भारतीय न्यायिक सेवा महत्वपूर्ण है । यह एक उचित अखिल भारतीय योग्यता चयन प्रणाली के माध्यम से चयनित उपयुक्त रुप से अर्हित नए प्रतिभाशाली विधिक व्यक्तियों के प्रवेश का अवसर प्रदान करेगी, और साथ ही यह समाज के सीमांत और वंचित वर्गों के लिए उपयुक्त प्रतिनिधित्व को समर्थ बनाकर सामाजिक समावेशन के मुद्दे का समाधान करेगी ।

अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (एआईजेएस) के गठन के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव बनाया गया था और उसे नवम्बर, 2012 में सचिवों की समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था । देश की सर्वोत्तम प्रतिभाओं को आकर्षित करने के अतिरिक्त यह न्यायपालिका में सीमांत वर्ग के सक्षम व्यक्तियों और महिलाओं के समावेशन को भी सुकर बना सकेगा । अप्रैल, 2013 में आयोजित मुख्य मंत्रियों तथा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में इस प्रस्ताव को कार्यसूची मद के रुप में सम्मिलित किया गया था और यह विनिश्चय किया गया था कि इस मुद्दे पर और विचार-विमर्श तथा ध्यान देने की आवश्यकता है।

इस प्रस्ताव पर राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों से विचार मांगे गए थे । अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन पर राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों के बीच मत भिन्नता थी। जबकि, कुछ राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों ने प्रस्ताव का समर्थन किया, कुछ अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के सृजन के पक्ष में नहीं थे, जबकि कुछ अन्य, केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए प्रस्ताव में परिवर्तन चाहते थे। जहां तक कि राज्यों का संबंध है, दो राज्य अखिल भारतीय सेवाओं के गठन के पक्ष में हैं, आठ राज्य उसके पक्ष में नहीं हैं, पांच राज्य प्रस्ताव में परिवर्तन चाहते हैं और तेरह राज्यों से उत्तर प्रतिक्षित है **(उपाबंध-1)** । जहां तक उच्च न्यायालय का संबंध है, दो उच्च न्यायालय अखिल भारतीय सेवाओं के गठन के पक्ष में हैं, तेरह राज्य उसके गठन के पक्ष में नहीं हैं, छह राज्य प्रस्ताव में परिवर्तन चाहते हैं और दो राज्यों से अभी तक उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं **(उपाबंध-2)**।

जिला न्यायाधीशों के पद पर भर्ती और सभी स्तरों पर न्यायाधीशों/न्यायिक अधिकारियों के चयन प्रक्रिया के पुनर्विलोकन में सहायता करने के लिए न्यायिक सेवा आयोग के सृजन से संबंधित विषय मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन की कार्यसूची में भी सम्मिलित किया गया था जो 3 और 4 अप्रैल, 2015 को आयोजित किया गया था, जिसमें यह संकल्प किया गया था कि यह संबंधित उच्च न्यायालयों के लिए खुला छोड़ दिया जाए जिससे कि वे जिला न्यायाधीशों की शीघ्रतापूर्वक नियुक्ति के लिए रिक्तियों को भरने हेतु विद्यमान प्रणाली के भीतर समुचित पदधतियां विकसित कर सकें । अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन के लिए प्रस्ताव के साथ राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों से प्राप्त विचारों को 5 अप्रैल, 2015 को आयोजित मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों के संयुक्त सम्मेलन के लिए कार्यसूची में सम्मिलित किया गया था । तथापि, इस विषय पर कोई प्रगति नहीं हुई थी ।

अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की स्थापना के प्रस्ताव पर, 16 जनवरी, 2017 को विधि और न्याय राज्य मंत्री, भारत के महान्यायवादी, भारत के महासॉलिसिटर, न्याय विभाग, विधि कार्य विभाग तथा विधायी विभाग के सचिवों की उपस्थिति में विधि और न्याय मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में पात्रता, आयु, चयन मानदण्ड, अर्हता, आरक्षण आदि के बिन्दुओं पर पुन: चर्चा की गई थी। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा पर मार्च, 2017 में संसदीय परामर्श समिति और तारीख 22.02.2021 को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के कल्याण से संबंधित संसदीय समिति की बैठक में भी विचार-विर्मश किया गया था ।

पणधारियों के बीच विद्यमान मत भिन्नता को दृष्टिगत रखते हुए, सरकार एक समान आधार पर पहुंचने के लिए पणधारियों के साथ परामर्श की प्रक्रिया में लगी हुई है।

****

उपाबंध-1

क. ए आई जे एस के गठन के विषय में राज्य सरकार की प्रतिक्रिया

ए आई जे एस के गठन के पक्ष में राज्य	
(i) हरियाणा (प्रस्ताव न्यायोचित प्रतीत होता है) (ii) मिजोरम	2
राज्य जो ए आई जे एस के गठन के पक्ष में नहीं हैं	
(i) अरुणाचल प्रदेश (ii) हिमाचल प्रदेश (iii) कर्नाटक (iv) मध्य प्रदेश (v) महाराष्ट्र (vi) मेघालय (vii) नागालैंड (viii) पंजाब	8
राज्य, जो प्रस्ताव में बदलाव चाहते हैं ।	
(i) बिहार (बड़ा बदलाव चाहता है) (ii) छत्तीसगढ़ (ए आई जे एस के माध्यम से केवल 15% ए डी जे की रिक्तियां भरी जानी चाहिए) (iii) मणिपुर (कतिपय परिवर्तन चाहता है) (iv) उड़ीसा (प्रस्ताव में परिवर्तन चाहता है) (v) उत्तराखंड	5
राज्य जिन्हें ए आई जे एस के गठन पर प्रतिक्रिया देनी है	
(i) गुजरात (ii) झारखंड (iii) राजस्थान (iv) तमिलनाडु (v) असम (vi) आंध्रप्रदेश (vii) केरल (viii) उत्तर प्रदेश (ix) पश्चिमी बंगाल (x) तेलंगाना (xi) गोआ (xii) सिक्किम (xiii) त्रिपुरा	13
कुल	28

अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (ए आई जे एस) के सृजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रस्ताव तैयार करने पर राज्य सरकारों के विचार/ प्रतिक्रियाएं

क्र.सं.	राज्य का नाम	टिप्पणियां
ए आई जे एस के गठन के पक्ष में राज्य		
1.	हरियाणा	अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (ए आई जे एस) के सृजन के लिए प्रस्ताव न्यायोचित प्रतीत होता है ।
2.	मिजोरम	मिजोरम की सरकार आई ए एस, आई पी एस और अन्य केन्द्रीय सेवाओं की तरह ए आई जे एस के सृजन का समर्थन करती है ।
राज्य जो ए आई जे एस के गठन के पक्ष में नहीं हैं ।		
1.	अरुणाचाल	राज्य का विचार है कि इस तथ्य पर विचार करते हुए कि अरुणाचल प्रदेश विशुद्ध रुप से

	प्रदेश	एक आदिवासी राज्य है जिसकी अपनी विलक्षण और विशिष्ट आदिवासी रीति-रिवाज और लोकाचार है और न्याय प्रदान करने के तरीके अलग अलग जनजातियों में परिवर्तित होते रहते हैं, सामान्य न्यायिक सेवा होने का प्रस्ताव सही प्रस्ताव नहीं होना चाहिए और यह उनके न्याय प्रशासन में अव्यवस्था और अस्थिरता पैदा करेगा ।
2.	हिमाचल प्रदेश	जमीनी हकीकत को ध्यान में रखते हुए अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का होना उचित नहीं होगा । जैसा कि, हिमाचल प्रदेश राज्य अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के सृजन के पक्ष में नहीं है ।
3.	कर्नाटक	कर्नाटक की सरकार अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के सृजन के लिए सहमत नहीं है ।
4.	मध्य प्रदेश	राज्य सरकार ने पहले ही मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की टिप्पणियों को अग्रेषित कर दिया था । उच्च –न्यायालय अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के सृजन के पक्ष में नहीं है ।
5	महाराष्ट्र	राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार के प्रस्ताव से सहमत नहीं है । वे चाहते हैं कि जे एम एफ सी स्तर पर भर्ती की जाय ।
6.	मेघालय	राज्य सरकार की राय है कि ए आई जे एस का सृजन वांछनीय नहीं है ।
7.	नागालैंड	नागालैड के न्यायिक अधिकारी उच्च न्यायालय द्वारा भर्ती किए जाते हैं। इसलिए, वे आई ए एस/ आई पी एस के बराबर नहीं हो सकते हैं । अखिल भारतीय, न्यायिक सेवा (ए आई जे एस) के सृजन पर नागालैंड सरकार को संदेह है ।
8.	पंजाब	राज्य सरकार (ए आई जे एस) के सृजन के पक्ष में नहीं है ।
राज्य जो प्रस्ताव में बदलाव चाहते हैं ।		
1.	बिहार	राज्य सरकार ए आई जे एस के सृजन के लिए तैयार है, लेकिन केन्द्रीय सरकार द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव में बड़े बदलाब चाहती है ।
2.	छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार चाहती है कि केवल 15% अपर जिला जज और उसके ऊपर की रिक्तियों को ए आई जे एस के माध्यम से बार में से भरी जाएं ।
3.	मणिपुर	राज्य सरकार ए आई जे एस के लिए तैयार है लेकिन केन्द्रीय सरकार में तैयार किए गए प्रस्ताव में कतिपय बदलाव चाहती है ।
4.	उड़ीसा	राज्य सरकार प्रस्ताव में बदलाव चाहती है । यह न्यूनतम दस साल के अनुभव और अधिकतम चालीस वर्ष की आयु सीमा पर जोर दे रही है ।
5.	उत्तराखंड	राज्य सरकार उत्तराखंड उच्च न्यायालय के विचारों से सहमत है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए प्रस्ताव में बदलाव की आवश्यकता है ।
राज्य जिन्हे ए आई जे एस के सृजन पर प्रतिक्रिया देनी शेष है ।		
1.	गुजरात	कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है ।
2.	झारखंड	कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है ।
3.	राजस्थान	कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है ।
4.	तमिलनाडु	कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है ।
5.	असाम	कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है ।
6.	आंध्र प्रदेश	कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है ।
7.	केरल	कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है ।
8.	उत्तर प्रदेश	कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है ।
9.	पश्चिमी बंगाल	कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है ।
10.	तेलंगाना	कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है ।
11.	गोआ	कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है ।
12	त्रिपुरा	कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है ।
13.	सिक्किम	कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है ।

उपाबंध-2

ख. एआईजेएस के गठन के संबंध में उच्च न्यायालयों का प्रतिउत्तर

ऐसे उच्च न्यायालय जो एआईजेएस के गठन के पक्ष में हैं	
(i) सिक्किम (ii) त्रिपुरा	2
ऐसे उच्च न्यायालय जो एआईजेएस के गठन के पक्ष में नहीं हैं	
(i) आंध्र प्रदेश (ii) बॉम्बे (iii) दिल्ली (iv) गुजरात (v) कर्नाटक (vi) केरल (vii) मद्रास (viii) पटना (ix) पंजाब और हरियाणा (x) कलकत्ता (xi) झारखंड (xii) राजस्थान (xiii) ओडिशा	13
ऐसे उच्च न्यायालय, जो प्रस्ताव में परिवर्तन चाहते हैं	
(i) इलाहाबाद (आयु और अहर्ता में परिवर्तन) (ii) छत्तीसगढ़ (बार से कुल रिक्तियों का 15%) (iii) हिमाचल प्रदेश (शेट्टी आयोग की सिफारिशों के अनुरूप चयन) (iv) मेघालय (एआईजेएस के अधिकारियों को तीन राज्यों के उच्च न्यायालयों में प्रोन्नति के लिए विकल्प दिया जाए) (v) उत्तराखंड (आयु में परिवर्तन, प्रवेश स्तर, भर्ती निकाय, योग्यता, राज्यों को आवंटन, कोटा, प्रशिक्षण) (vi) मणिपुर (काडर और भाषा के आवंटन के अधीन)।	6
ऐसे उच्च न्यायालय, जिन्हें प्रतिउत्तर देना है	
(i) गुवाहाटी (ii) मध्य प्रदेश	2
कुल	23

अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (एआईजेएस) के सृजन के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव पर उच्च न्यायालयों के विचार/प्रतिउत्तर

क्र.सं.	उच्च न्यायालय का नाम	उच्च न्यायालय की टिप्पणियाँ/विचार
ऐसे उच्च न्यायालय जो एआईजेएस के पक्ष में हैं		
1.	सिक्किम	सिक्किम उच्च न्यायालय प्रस्ताव और केंद्रीय सरकार द्वारा सुझाई गई विशेषताओं से भी **सहमत** है।
2.	त्रिपुरा	त्रिपुरा उच्च न्यायालय अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के पक्ष में है।
ऐसे उच्च न्यायालय जो एआईजेएस के पक्ष में नहीं हैं		
1.	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के अधिकांश माननीय न्यायाधीशों ने अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (एआईजेएस) के निर्माण के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है।
2.	बॉम्बे	अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन का मुद्दा 20.09.2014 को पूर्ण न्यायालय की बैठक में रखा गया था, जब यह **विनिश्चय** लिया गया था कि अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन की सिफारिश **नहीं** की जाएगी।
3.	दिल्ली	दिल्ली उच्च न्यायालय को अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के बारे में विशेष संदेह है।
4.	गुजरात	गुजरात उच्च न्यायालय अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के **पक्ष में नहीं** है।
5.	कर्नाटक	कर्नाटक उच्च न्यायालय अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के निर्माण के लिए **सहमत नहीं** है।
6.	केरल	पूर्ण न्यायालय ने स्थानीय भाषा में प्रवीणता के संबंध में अपनी चिंता व्यक्त की, जो अभ्यर्थी को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय होनी चाहिए।पूर्ण न्यायालय ने आगे कहा कि पदस्थापन के पश्चात, अधिकारी **भारत के संविधान के अनुच्छेद 235 के अधीन संबंधित उच्च न्यायालय के नियंत्रण** में होंगे और चयन के लिए, अनुच्छेद 233 (2) के अधीन आवश्यक यथा अपेक्षित अर्हता जारी रहेगा।
7.	मद्रास	मद्रास उच्च न्यायालय अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के पक्ष में नहीं है
8.	पटना	माननीय उच्च न्यायालय की राय है कि न्यायिक सेवा की **तुलना** सिविल सेवा से **नहीं** की जा सकती है। इसलिए, न्यायालय प्रस्तावित के रूप में अखिल भारतीय न्यायिक सेवाओं के गठन का **समर्थन नहीं करता** है।
9.	पंजाब और हरियाणा	अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन संविधान द्वारा परिकल्पित संघीय ढांचे को **वास्तिवक रूप से नष्ट** कर देगी। राष्ट्रपति (केन्द्रीय सरकार) द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई की शक्ति के साथ 'अखिल भारतीय न्यायिक सेवा' का गठन संविधान के अनुच्छेद 235 के अधीन उच्च न्यायालय में निहित जिला न्यायालयों के नियंत्रण और पर्यवेक्षण को पूरी तरह से हटा देता है।
10.	कलकत्ता	कलकत्ता उच्च न्यायालय ने तारीख 24.06.2020 के पत्र के द्वारा कहा है कि संवैधानिक स्कीम ऐसी सेवा की अनुमति नहीं देती है और यह भारत के संविधान में निहित संघवाद के सिद्धांत का विरोध करेगी।
11.	झारखंड	झारखंड उच्च न्यायालय अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के **पक्ष में नहीं** है।
12.	राजस्थान	राजस्थान उच्च न्यायालय अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के **पक्ष में नहीं** है
13.	उड़ीसा	उड़ीसा उच्च न्यायालय अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के **पक्ष में नहीं** है
ऐसे उच्च न्यायालय जो प्रस्ताव में परिवर्तन चाहते हैं		
1.	इलाहाबाद	इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के लिए आयु और योग्यता के संबंध में परिवर्तन का सुझाव दिया है। इसके अतिरिक्त, यह प्रस्ताव किया गया है कि जिस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के अधिकारी तैनात हैं, वह भारत के संविधान के अनुच्छेद 235 के अनुसार अधिकारी पर पूर्ण नियंत्रण का प्रयोग करे।
2.	छत्तीसगढ़	**बार से कुल रिक्ति के 15% की सीमा तक** अखिल भारतीय उच्च न्यायिक सेवाएं हो ।
3.	हिमाचल प्रदेश	उच्च न्यायालय शेट्टी आयोग की सिफारिशों के अनुरूप अखिल भारतीय आधार पर राष्ट्रीय आयोग द्वारा बनाई जा रही उच्चतर न्यायिक सेवा में 25% सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के चयन को सौंपने के लिए **सैद्धांतिक रूप से सहमत** है।
4.	मेघालय	मेघालय उच्च न्यायालय अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के लिए खुला है परंतु सेवा के अधिकारियों को तीन राज्यों के उच्च न्यायालयों में उन्नति का विकल्प दिया जाए।
5.	उत्तराखंड	उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने प्रवेश स्तर पर आयु, भर्ती निकाय, अहर्ता, राज्यों को

		आबंटन, कोटा, प्रशिक्षण, न्यायालय की भाषा आदि में परिवर्तन के लिए सुझाव दिए हैं।
6.	मणिपुर	अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का कार्यान्वयन कतिपय मुद्दों के समाधान के अधीन होना चाहिए, जैसे काडर का आबंटन और भाषा का आवंटन आदि।
ऐसे उच्च न्यायालय जिन्होंने अभी तक प्रतिउत्तर नहीं दिया है		
1.	गुवाहाटी	कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।
2.	मध्य प्रदेश	म.प्र. उच्च न्यायालय ने तारीख 16.09.2014 के पत्र द्वारा सूचित किया गया है कि मामला पूर्ण न्यायालय के समक्ष रखा जाएगा।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं 3231
जिसका उत्तर शुक्रवार, 17 दिसम्बर, 2021 को दिया जाना है

उच्च न्यायालय की खंडपीठ

+3231. श्री बसंत कुमार पंडा :

श्री सप्तगिरी शंकर उलाका :

प्रॉ. सौगत रायः

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में उच्च न्यायालयों की नई खंड पीठे स्थापित करने का कोई विचार है और यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में विभिन्न राज्यों से क्या अनुरोध प्राप्त हुए हैं ;

(ख) क्या मंत्रालय को अविभाजित कोरापुट जिले में उच्च न्यायालय की नई खंडपीठ स्थापित करने के लिए ओडिशा सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ;

(ग) यदि हा, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है ;

(घ) क्या सरकार ने उक्त उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ङ) : उच्च न्यायालय की खंडपीठें, जसवंत सिंह आयोग द्वारा की गई सिफारिशों और वर्ष 2000 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 379 में शीर्ष न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार और उस राज्य सरकार, जिसे आवश्यक व्यय और अवसंरचना प्रसुविधाएं प्रदान करनी हैं के किसी पूर्ण प्रस्ताव पर विचार करने के पश्चात् और संबंधित उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जिसके द्वारा उच्च न्यायालय के दिन प्रतिदिन का प्रशासन किया जाना अपेक्षित है, स्थापित की जाती है । पूर्ण किए जाने वाले प्रस्ताव पर संबंधित राज्य के राज्यपाल की सहमति भी होनी चाहिए ।

उड़ीसा राज्य सरकार ने उड़ीसा के पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्र में उड़ीसा उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित करने का अनुरोध किया है । केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा राज्य सरकार से अनुरोध

किया है कि वह उड़ीसा के उच्च न्यायालय के परामर्श से प्रस्तावित खंडपीठ के अवस्थान सहित इसका संपूर्ण विवरण तैयार करे । तथापि, अभी तक कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है ।

वर्तमान में, उड़ीसा उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना से संबंधित कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष लंबित नहीं है ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं 3235
जिसका उत्तर शुक्रवार, 17 दिसम्बर, 2021 को दिया जाना है

'टेली-लॉ' योजना

3235. श्री अनुराग शर्मा :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विशेष रूप से उत्तर प्रदेश (यूपी) में 'टेली-लॉ' योजना शुरू की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं ;

(ख) क्या सरकार की इस योजना को पूरे देश में विस्तारित करने की योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार की गरीबों तक आसानी से पहुंच हेतु कानूनी प्रक्रिया के बारे में जागरूकता फैलाने और सरल भाषा में बताने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) 'टेली-लॉ' पैरालीगल' योजना से जुड़े स्वयंसेवकों की उत्तर प्रदेश सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ख) : जी हां । टैली-विधि कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सहित देश के 11 राज्यों के 170 जिलों में 1800 सामान्य सेवा केन्द्रों (सीएससी) के माध्यम से प्रारंभ किया गया था । टैली विधि कार्यक्रम का उद्देश्य पंचायत स्तर के सामान्य सेवा केन्द्रों पर उपलब्ध वीडियो कांफ्रेंसिंग और टेलीफोन सुविधाओं के माध्यम से लाभार्थियों को पैनल अधिवक्ताओं से जोड़कर विधिक सलाह प्रदान करना है । यह सेवा विधिक सेवा प्राधिकरण (एलएसए) अधिनियम, 1987 की धारा 12 के अधीन हकदार व्यक्तियों के लिए मुफ्त है और अन्य व्यक्ति इसे 30 रुपए प्रति परामर्श देकर प्राप्त कर सकते हैं । वर्तमान में, टैलीविधि 36 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के 669 जिलों की 75,000 ग्राम पंचायतों में सामान्य सेवा केन्द्रों के माध्यम से चलाया जा रहा है । वर्तमान में उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के 12,952 सामान्य सेवा केन्द्र इसके अंतर्गत आते हैं । वर्ष 2026 तक 2.5 लाख ग्राम पंचायतों तक पहुंच बनाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 50,000 सामान्य सेवा केन्द्र/ग्राम पंचायत सम्मिलित किए जाएंगे । आज तक, टेली-विधि ने उत्तर प्रदेश राज्य के 2.07 लाख लाभार्थियों सहित 12.5 लाख से अधिक लाभार्थियों को सेवा प्रदान की है ।

(ग) : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नाल्सा) द्वारा सम्पूर्ण देश में लोगों को अपने विधिक हकदारी साथ ही साथ अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने के लिए विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

कर रहा है । विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा अप्रैल, 2021 से सितंबर, 2021 तक 79,000 विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किए गए थे जिनमें 48.80 लाख नागरिक उपस्थित हुए थे । हाल ही में मनाए जा रहे आजादी का अमृत महोत्सव के भाग के रूप में देश के प्रत्येक ग्रामीण/शहरी क्षेत्र में पहुंचने के क्रम में नाल्सा द्वारा छह सप्ताह का अखिल भारतीय विधिक जागरूकता और आउटरिच अभियान चलाया गया था । अभियान का उद्देश्य जन समूह को उपलब्ध मुफ्त विधिक सेवाओं के संबंध में जागरूकता फैलाने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण की आउटरिच को अधिकतम करना था । 17.98 लाख गांवों में घर-घर दौरा किया गया था जिसमें 83.67 करोड़ नागरिकों तक पहुंचा गया था ।

इसके अतिरिक्त सरकार ने 2012 से 2021 तक "पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू-कश्मीर और लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र में न्याय तक पहुंच" कार्यक्रम चलाया था । 4.8 लाख से अधिक लाभार्थियों तक पहुंच बनाने के लिए विधिक जागरूकता/विधिक साक्षरता कार्यक्रम चलाए गए थे । सामान्य नागरिकों की आसान समझ और परिज्ञान के लिए 26 भाषाओं/उपभाषाओं में 69 विधियों पर सरलीकृत आईईसी सामग्री की 8.3 लाख प्रतियां बांटी गई थीं ।

(घ) : उत्तर प्रदेश राज्य सहित टैली-विधि के अधीन पैरा विधि स्वयंसेवकों की राज्यवार सूचना **उपाबंध क** पर दी गई है ।

****

उपाबंध-क

'टेली-लॉ' योजना' के संबंध में संसद सदस्य, श्री अनुराग शर्मा द्वारा पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3235 जिसका उत्तर तारीख 17.12.2021 को दिया जाना है, के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

पराविधिक स्वंम सेवकों के राज्यवार ब्यौरे की सूचना को अंतर्विष्ट करता हुआ विवरण ।

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	कुल
1.	अंदमान निकोबार	0
2.	आंध्र प्रदेश	1119
3.	अरुणाचल प्रदेश	4
4.	असम	2116
5.	बिहार	4090
6.	चंडीगढ़	0
7.	छत्तीसगढ़	2734
8.	दादरा और नगर हवेली और दमण तथा दीव	0
9.	दिल्ली	0
10.	गोवा	0
11.	गुजरात	1710
12.	हरियाणा	2639
13.	हिमाचल प्रदेश	586
14.	जम्मू-कश्मीर	966
15.	झारखंड	2799
16.	कर्नाटक	590
17.	केरल	408
18.	लद्दाख	13
19.	लक्षद्वीप	0
20.	मध्य प्रदेश	3980
21.	महाराष्ट्र	2595
22.	मणिपुर	106
23.	मेघालय	210
24.	मिजोरम	112
25.	नागालैंड	114
26.	ओडिशा	1798
27.	पुडुचेरी	8
28.	पंजाब	1097
29.	राजस्थान	815
30.	सिक्किम	32
31.	तमिलनाडु	579
32.	तेलंगाना	676
33.	त्रिपुरा	268
34.	उत्तर प्रदेश	7616
35.	उत्तराखंड	898
36.	पश्चिमी बंगाल	981
कुल		**41,659**

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं 3239
जिसका उत्तर शुक्रवार, 17 दिसम्बर, 2021 को दिया जाना है

टेली-लॉ ऑन व्हील्स

3239. श्री भर्तृहरि महताब :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने लोगों को उनकी पात्रता का सही प्रकार से दावा करने और उनकी कठिनाइयों के समय पर निवारण के लिए वाद-पूर्व सलाह के माध्यम से सशक्त बनाने के लिए हाल ही में 'टेली लॉ ऑन व्हील्सा अभियान शुरू किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) उक्त अभियान के अंतर्गत कितने राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को कवर किए जाने की संभावना है और इसके तहत कितने लाभार्थियों के लाभान्वित होने की संभावना है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार नागरिक टेली-लॉ मोबाइल ऐप शुरू करने का भी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त प्रयोजनार्थ पैनलबद्ध कितने वकील कानूनी सलाह और परामर्श दे रहे है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ग) : जी हां । सरकार ने 08 से 14 नवंबर, 2021 तक "टैली-लॉ ऑन व्हील" अभियान प्रारंभ किया था जिसके दौरान पुस्तिकाओं के वितरण, टैली-विधि रेडियो तुकबंदी के प्रसारण और उन व्यक्तियों को जिन्हें टैली और वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से विधिक सलाह और परामर्श की आवश्यकता है टैली-लॉ सेवाएं प्रदान करने वाले निकटतम सामान्य सेवा केन्द्रों (सीएससी) पर जाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु वीडियो के माध्यम से टैली विधि पर सूचना प्रदान करने के लिए विशेष टैली-विधि ब्रांडेड मोबाइल वैनों ने प्रतिदिन 30-40 किलोमीटर की यात्रा की थी । टैली-विधि ऑन व्हील अभियान 16 राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में चलाया गया था । शेष राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 4,250 जागरूकता और सामुदायिक मोबलाइजेशन सत्र संचालित किए गए थे । एक सप्ताह के दौरान अभियान 52,000 प्रतिभागियों तक पहुंचा था और मुकदमा पूर्व सलाह तथा परामर्श से 17,000 लाभार्थी लाभान्वित हुए थे । टैली-लॉ ऑन व्हील: रीचिंग द अनरीच कार्यक्रम, टैली-विधि के अधीन मुकदमा पूर्व सलाह की उन्नति और पहुंच को बढ़ावा देने वाले विभिन्न प्रयासों में से एक है

और वर्तमान में देश के 36 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के 669 जिलों में 12.5 लाख लाभार्थी मुकदमा पूर्व सलाह से लाभान्वित हुए हैं ।

(घ) : सरकार ने तारीख 13.11.2021 को सिटिजन्स टैली-लॉ मोबाइल एप प्रारंभ किया है । यह मोबाइल एप्लीकेशन लाभार्थियों को पैनल अधिवक्ताओं से सीधे मुफ्त मुकदमा पूर्व सलाह और परामर्श तक पहुंच प्रदान करती है । यह एप्लीकेशन छह भाषाओं में उपलब्ध है जो अंग्रेजी, हिंदी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और मराठी हैं । यह एप्लीकेशन एंड्रायड वर्जन पर उपलब्ध है और गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड की जा सकती है । अभी तक टैली-विधि के अधीन 124 पैनल अधिवक्ताओं का पैनल बनाया जा चुका है ।,

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं 3248
जिसका उत्तर शुक्रवार, 17 दिसम्बर, 2021 को दिया जाना है

न्याय मित्र योजना

3248. डॉ. सुजय विखे पाटील :
डॉ. हिना विजयकुमार गावीत :
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे :
श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे :
श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र सहित देश में न्याय मित्र योजना शुरू की है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इसके लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं एवं महाराष्ट्र सहित उक्त योजना के तहत निपटाए गए मामलों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या और इनका ब्यौरा क्या है ;
(ख) क्या सरकार ने देश के अन्य राज्यों में इस योजना का विस्तार करने के लिए कोई कदम उठाया है ;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजन के लिए निर्धारित समय-सीमा, यदि कोई हो, का ब्यौरा क्या है ;
(घ) क्या इस योजना ने उस उद्देश्य को प्राप्त कर लिया है जिसके लिए इसे बनाया गया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां इसे लागू किया गया है ; और
(ङ) सरकार द्वारा हाशिए पर रह रहे लोगों को मुफ्त कानूनी सलाह प्रदान करने के लिए कौन-कौन से अन्य कदम उठाए गए हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (घ) : जी, हां । न्याय मित्र का उद्देश्य उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों में दशक पुराने लंबित मामलों के शीघ्र निपटान को सुकर बनाना है । अप्रैल, 2017 से, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल, राजस्थान, ओड़िशा और महाराष्ट्र राज्यों में कुल संख्या में 27 न्यायमित्रों को लगाया गया था, जिन्होने 2019 पुराने मामलों के निपटान में संबंधित न्यायालयों की सहायता की थी । न्याय मित्र द्वारा राज्य वार मामला निपटान के ब्योरे **उपाबंध 'क'** पर हैं । न्यायालयों के बंद होने और कोविड महामारी द्वारा कारित सामाजिक दूरी प्रोटोकाल के कारण वर्ष 2020-2021 के दौरान किसी भी न्याय मित्र को नहीं लगाया जा सका । वर्ष 2021-2026 तक सम्पूर्ण देश में 80 न्याय मित्रों को लगाया जाएगा । ऐसे न्याय मित्रों ने, जिनको लगाया था, उन 2019 पुराने मामलों के निपटान में सहायता की है, जिनके अंतर्गत वैवाहिक मामले, दुर्घटना दावा मामले जैसे सिविल मामले और दांडिक मामले भी हैं ।

(ङ) : विधिक सेवा प्राधिकरण (एलएसए) अधिनियम, 1987 समाज के दुर्बल वर्गों के लिए नि:शुल्क और सक्षम विधिक सेवाएं, जिनमें अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत आने वाले फायदाग्राही भी हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराता है कि आर्थिक या अन्य निर्योग्यताओं के कारण कोई भी नागरिक न्याय प्राप्त करने के लिए अवसरों से वंचित न रह जाए और यह सुनिश्चित करने के लिए

लोक अदालतें आयोजित कराना कि विधिक प्रणाली का प्रचालन समान अवसरों के आधार पर न्याय का संवर्धन करे ।

इस प्रयोजन के लिए, विधिक सेवा संस्थाओं की स्थापना तालुक स्तर से लेकर उच्चतम न्यायालय तक की गई है । अप्रैल, 2021 से सितम्बर, 2021 तक की अवधि के दौरान, 3.10 लाख व्यक्तियों को नि:शुल्क विधिक सेवाएं प्रदान की गई हैं और 75.41 लाख मामले (न्यायालयों में और पूर्व मुकदमा प्रक्रम पर विवादों में लंबित) लोक अदालतों के माध्यम से निपटाए गए हैं ।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के अधीन नि:शुल्क विधिक सहायता का लाभ लेने के लिए पात्र व्यक्तियों को प्रो-बोनो वकीलों से जोड़ने के लिए न्याय बंधु (प्रो-बोनो विधिक सेवाएं) कार्यक्रम आरंभ किया है । इस कार्यक्रम के अंतर्गत 3603 प्रो-बोनो अधिवक्ताओं को रजिस्ट्रीकृत किया गया है और 1448 मामलों को फायदाग्राहियों द्वारा रजिस्ट्रीकृत किया गया है । 36 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में पूरे 669 जिलों में सरकार द्वारा चलाए जा रहे टेली-विधि कार्यक्रम, पंचायतों में 75,000 सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) के माध्यम से पैनल वकीलों द्वारा पूर्व-मुकदमा प्रक्रम पर, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 के अधीन नि:शुल्क विधिक सहायता के लिए हकदार व्यक्तियों सहित जनता को विधिक सहायता उपलब्ध कराता है । टेली-विधि ने आज की तारीख तक 12.5 लाख से अधिक फायदाग्राहियों को सलाह दी है ।

****

उपाबंध 'क'

डॉ. सुजय राधाकृष्ण विखे पाटील, डॉ. हिना विजयकुमार गावीत, डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे, श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे, श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल द्वारा उठाया गया लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं0 3248, जिसका उत्तर 17-12-2021 को दिया जाना है, के भाग (क) के उत्तर में विनिर्दिष्ट विवरण :

न्याय मित्रों द्वारा निपटाए गए मामलों की संख्या को अंतर्विष्ट करने वाला राज्यवार विवरण

क्र. सं0	**राज्य**	**निपटाए गए मामलों की संख्या**
1	बिहार	44
2	महाराष्ट्र	313
3	ओड़िशा	169
4	राजस्थान	1360
5	उत्तर प्रदेश	111
6	पश्चिमी बंगाल	22
	कुल योग	**2019**

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं 3257
जिसका उत्तर शुक्रवार, 17 दिसम्बर, 2021 को दिया जाना है

ऑनलाइन गेमिंग उद्योग

3257. एडवोकेट डीन कुरियाकोस :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) क्या सरकार ने देश में ऑनलाइन गेमिंग उद्योग को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए कोई विधान पारित किया है ;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;
(ग) क्या सरकार द्वारा पारित किया गया कोई विधान अथवा नियम और विनियमन ऐसे गेमों के बच्चों और किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव का शमन करते हैं ;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;
(ङ) क्या सरकार का इस मुद्दे को हल करने के लिए कोई नया विधान पारित करने का विचार है ; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (च) : जी नहीं । शिक्षा मंत्रालय द्वारा सूचना के अनुसार, ऑनलाइन गेमिंग से होने वाली कमियों को दूर करने और बालकों को होने वाले मानसिक और शारीरिक तनाव को रोकने के लिए, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार ने बालकों के सुरक्षित ऑनलाइन गेमिंग पर माता-पिता और शिक्षकों के लिए क्या करें और क्या न करें, को अंतर्विष्ट करने वाले सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के राज्य प्राधिकारियों को एक परामर्शिका जारी की है। परामर्शिका https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1780177 पर उपलब्ध है ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं 3264
जिसका उत्तर शुक्रवार, 17 दिसम्बर, 2021 को दिया जाना है

सरकारी वकील

3264. श्री प्रतापराव जाधव :
श्री सुधीर गुप्ता :
श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक :
श्री बिद्युत बरन महतो :
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा लोगों को कानूनी सहायता प्रदान करने हेतु सरकारी वकील की नियुक्ति के लिए निर्धारित प्रक्रिया क्या है ;

(ख) वर्तमान में देश में सरकारी वकीलों की संख्या कितनी है ;

(ग) क्या सरकारी वकीलों के पद रिक्त हैं या और अधिक सरकारी वकीलों को नियुक्त करने की आवश्यकता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या सरकार का विचार सभी को न्याय दिलाने के लिए प्रत्येक जिले या तहसील में निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने के साथ-साथ आपसी सहमति से मामलों को सुलझाने के लिए एक केंद्र स्थापित करने का है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवाएं) विनियम, 2010, जनसंख्या के पात्र वर्गों को विधिक सहायता प्रदान करने के लिए पैनल अधिवक्ताओं के पैनलीकरण हेतु मानदंड और प्रक्रिया का उपबंध करते हैं । पैनल अधिवक्ताओं का चयन [उच्चतम न्यायालय के लिए] भारत के महान्यायवादी, [उच्च न्यायालय के लिए] महाधिवक्ता, [जिला और तालुक स्तर पर] जिला अटर्नी या सरकारी अधिवक्ता तथा संस्थान की मानीटरी और मार्गदर्शी समिति के परामर्श से विधिक सेवा संस्था के कार्यकारी अध्यक्ष या अध्यक्ष द्वारा किया जाता है । तथापि, विधिक सेवा संस्था के कार्यकारी अध्यक्ष या अध्यक्ष स्वप्रेरणा से भी विधि व्यवसायी को पैनलित कर सकते हैं ।

(ख) : सम्पूर्ण देश में उन लोगों को विधिक सहायता प्रदान करने के लिए जो ऐसी सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं, राज्य और जिला स्तर पर विधिक सेवा संस्थाओं में 50,168 अधिवक्ताओं की कुल संख्या को पैनलित किया गया है ।

(ग) : विधिक सहायता प्रदान करने के लिए पैनल अधिवक्ताओं की नियुक्ति हेतु पदों की कोई विनिर्दिष्ट संख्या नहीं है क्योंकि पैनलित अधिवक्ता विधिक सेवा प्राधिकारियों की नियमित पंजी पर नहीं होते । पैनलित अधिवक्ताओं की संख्या विधिक सहायता मामलों की संख्या, विधिक सेवा क्रियाकलापों तथा अन्य समनुषंगी कार्यों पर निर्भर करती है । अब तक, पैनलित अधिवक्ताओं की अपेक्षित संख्या विधिक सेवा संस्थाओं के पास पहले से ही उपलब्ध है ।

(घ) और (ङ) : विधिक सेवा संस्थाओं ने (लम्बित के साथ-साथ मुकदमापूर्व अवस्था वाले) विवादों के पारस्परिक समझौते के लिए मध्यकता, केन्द्र स्थापित किए हैं । मध्यकता विवादों के समझौते के लिए एक लोकप्रिय और उपयोगी पद्धति के रूप में उभरा है । 31.10.2021 तक, देशभर में 572 मध्यकता केन्द्र स्थापित किए गए हैं । वर्ष 2020-21 के दौरान, 28,000 से अधिक मामले सौहार्दपूर्ण ढंग से मध्यकता के द्वारा सुलझाए गए हैं । 2021-22 के दौरान, 21,000 से अधिक मामले अक्तूबर, 2021 तक सुलझाए जा चुके हैं ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं 3267
जिसका उत्तर शुक्रवार, 17 दिसम्बर, 2021 को दिया जाना है

न्यायपालिका में कर्मियों की कमी

+3267. श्री दीपक बैजः

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की जनसंख्या के अनुपात में न्यायपालिका में कर्मियों की कमी के कारण मामले सामान्य समय से अधिक समय से न्यायालय/न्यायिक प्रणाली में हल होते हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान न्यायपालिका के विभिन्न स्तरों पर रिकियों की संख्या कितनी रही है और सरकार द्वारा इन रिक्तियों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

उत्तर
विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) और (ख) : न्यायालयों में लम्बित मामलों का निपटारा न्यायपालिका के कार्यक्षेत्र में है । संबंधित न्यायालयों द्वारा विभिन्न प्रकार के मामलों के निपटारे के लिए कोई समय-सीमा विहित नहीं की गई है । न्यायालयों में मामलों के निपटारे में सरकार की कोई भूमिका नहीं है । न्यायालयों में मामलों का समय पूर्ण निपटारा बहुत से कारकों पर निर्भर करता है जिसमें, अन्य बातों के साथ, न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों, सहायक न्यायालय कर्मचारिवृन्द की पर्याप्त संख्या और भौतिक अवसंरचना की उपलब्धता, अंतर्वलित तथ्यों की जटिलता, साक्ष्य की प्रकृति, पणधारियों अर्थात् बार, अन्वेषण अभिकरणों, साक्षियों तथा मुवक्किलों का सहयोग और नियमों और प्रक्रियाओं का समुचित उपयोजन, सम्मिलित है । ऐसे कई अन्य कारक हैं जिनके कारण मामलों के निपटारे में विलम्ब होता है । इनके अन्तर्गत, अन्य बातों के साथ, न्यायाधीशों की रिक्तियां, बारंबार स्थगन तथा सुनवाई के लिए मामलों को मॉनिटर, निगरानी और इकठ्ठा करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था का अभाव है । केन्द्रीय सरकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार मामलों के त्वरित निपटारे तथा बकाया को कम करने के लिए पूर्णतया प्रतिबद्ध है । सरकार ने न्यायपालिका द्वारा मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए एक पारिस्थितिक प्रणाली प्रदान करने के लिए कई कदम उठाए हैं ।

न्याय के परिदान और विधिक सुधार के लिए राष्ट्रीय मिशन का गठन अगस्त, 2011 में न्याय प्रणाली में विलम्ब और बकाया को कम करके और संरचनात्मक परिवर्तनों के माध्यम से जबावदेही बढ़ाकर तथा निष्पादन मानक और क्षमताओं को नियत करके दोहरे उद्देश्यों के साथ दिया गया था । मिशन, न्याय प्रशासन में बकाया और लंबन के चरणवार कम करके के लिए एक समन्वित पहुंच अपना रहा है, जिसमें, अन्य बातों के साथ, न्यायालयों के लिए बेहतर अवसंरचना, जिसके अन्तर्गत कम्प्यूटरीकरण, अधीनस्थ न्यायपालिका की संख्या में वृद्धि, अत्यधिक मुकदमेबाजी वाले क्षेत्रों में नीतिगत और विधायी उपाय, मामलों के त्वरित निपटारे के लिए न्यायालय प्रक्रिया का पुनः प्रबंधन तथा मानव संसाधन के विकास पर जोर भी है ।

विभिन्न पहलों के अधीन पिछले छह वर्षों में उठाए गए प्रमुख कदम निम्नानुसार हैं :-

(i) **जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों के लिए अवसंरचना में सुधार करना:** वर्ष 1993-94 में न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए केंद्रीकृत प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) के प्रारंभ से आजतक 8709.77 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं । इस स्कीम के अधीन, न्यायालय हालों की संख्या, जो तारीख 30.06.2014 को 15,818 थी, बढ़कर तारीख 31.10.2021 तक 20,565 हो गई है और आवासीय इकाइयों की संख्या जो तारीख 30.06.2014 को 10,211 थी, से बढ़कर तारीख 31.10.2021 तक 18,142 हो गई है । इसके अतिरिक्त, 2,841 न्यायालय हाल और 1,807 आवासीय ईकाइयां निर्माणाधीन हैं । न्यायपालिका हेतु अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास हेतु केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम 9000 करोड़ रुपए की कुल लागत के साथ 2025-26 तक बढ़ा दी गई है जिसमें से केन्द्रीय हिस्सा 5307 करोड़ रुपए होगा । न्यायालय हालों तथा आवासीय इकाइयों के संनिर्माण के अतिरिक्त, इसके अन्तर्गत अधिवक्ता हालों, शौचालय परिसरों तथा डिजीटल कम्प्यूटर कक्षों का संनिर्माण भी होगा ।

(ii) **न्याय के परिदान में सुधार के लिए सूचना और संसूचना प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का लाभ उठाना :** सरकार, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के सूचना और संसूचना प्रोद्योगिकी समर्थकरण के लिए देशभर में ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना का कार्यान्वयन कर रही है । 01.07.2021 तक कंप्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की संख्या में 18,735 की वृद्धि हुई है । 98.7% न्यायालय परिसरों में डब्ल्यूएएन कनेक्टिविटी प्रदान की गई है । मामले की सूचना का साफ्टवेयर का नया और उपयोक्ता अनुकूल संस्करण विकसित करके सभी कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में लगाया गया है । सभी पणधारी, जिनके अंतर्गत न्यायिक अधिकारी भी हैं, राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एन जे डी जी) पर कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों तथा उच्च न्यायालयों की न्यायिक कार्यवाहियों/निर्णयों से संबंध सूचना प्राप्त कर सकते हैं । तारीख 01.11.2021 तक इन न्यायालयों से संबंधित 19.56 करोड़ मामलों तथा 15.72 करोड़ आदेशों/निर्णयों की प्रास्थिति जान सकते हैं । ई-न्यायालय सेवाएं जैसे कि मामला रजिस्ट्रीकरण के ब्यौरे, वाद सूची, मामला प्रास्थिति, दैनिक आदेश और अंतिम निर्णय, ई-न्यायालय वैब पोर्टल, सभी कंप्यूटरीकृत न्यायालयों में न्यायिक सेवा केंद्र (जेएससी), ई-न्यायालय मोबाइल एप, ई-मेल सेवा, एसएमएस पुश और पुल सेवा के माध्यम से मुवक्किलों और अधिवक्ताओं को उपलब्ध हैं । 3240 न्यायालय परिसरों तथा 1272 सादृश्य कारागारों के बीच वीडियो कान्फरेंसिंग सुविधा को समर्थ बनाया गया है । कोविड-19 की चुनौतियों का बेहतर ढंग से सामना करने तथा आगामी सुनवाई में संक्रमण को अधिक आसान बनाने की दृष्टि से, मामले की प्रास्थिति से लेकर निर्णय/आदेशों को प्राप्त करने, न्यायालय/मामले संबंधित सूचना और ई-फाइलिंग सुविधाओं तक सहायता की आवश्यकता वाले अधिवक्ताओं तथा मुवक्किलों को सुविधा प्रदान करने के लिए न्यायालय परिसरों में 235-ई सेवा केन्द्रों का गठन करने के लिए निधियों की व्यवस्था की गई है । विभिन्न न्यायालय परिसरों में वीडियो कान्फ्रेंसिंग केबिनों में आभासी सुनवाई की सुविधा प्रदान करने के लिए उपकरणों की व्यवस्था करने हेतु 5.01 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं । विभिन्न न्यायालय परिसरों में, ई-फाइलिंग के हेतु 1732 हेल्प डेस्क काउंटरों के लिए 12.12 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं ।

यातायात संबंधी अपराधों के विचार हेतु 11 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों अर्थात् दिल्ली (2), हरियाणा, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल (2), महाराष्ट्र (2), असम, छत्तीसगढ़, जम्मू-कश्मीर (2), उत्तर प्रदेश और ओडिशा में पन्द्रह आभासी न्यायालय गठित किए गए हैं । तारीख 01.11.2021 तक इन न्यायालयों ने 99 लाख से अधिक मामले निपटाए तथा 193.15 करोड़ रुपए जुर्माने के रुप में वसूल किए ।

कोविड लॉकडाउन अवधि के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, न्यायालयों के सहारे के रूप में उभरा, क्योंकि सामूहिक ढंग से भौतिक सुनवाईयां और सामान्य न्यायालय कार्यवाहियां संभव नहीं थी । कोविड लॉकडाउन आरम्भ होने के समय से 31.10.2021 तक केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का प्रयोग करके जिला न्यायालयों ने 1,01,77,289 सुनवाइयां और उच्च न्यायालयों ने 55,24,021 (कुल 1.57 करोड़) सुनवाइयां की हैं । उच्चतम न्यायालय ने लॉकडाउन अवधि आरम्भ होने के समय से 29.10.2021 तक 1,50,692 सुनवाइयां कीं ।

(iii) **उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय तथा जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में रिक्तियों को भरा जाना :** तारीख 01.05.2014 से 14.12.2021 तक उच्चतम न्यायालय में 44 न्यायमूर्ति नियुक्त किए गए थे । उच्च न्यायालयों में 690 नए न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे और 583 अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी किया गया था । उच्च न्यायालयों के न्यायमूर्तियों की स्वीकृत पद संख्या जो मई, 2014 में 906 थी, को बढ़ाकर वर्तमान में 1098 किया गया है । जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत और कार्यरत पद संख्या निम्न प्रकार बढ़ाई गई हैं :

तारीख को	स्वीकृत पदसंख्या	कार्यरत पदसंख्या
31.12.2013	19,518	15,115
13.12.2021	24,489	19,356

तथापि, अधीनस्थ न्यायपालिका में रिक्तियों को भरना संबंधित राज्य सरकारों तथा उच्च न्यायालयों के कार्यक्षेत्र में है ।

(iv) **बकाया समिति के माध्यम से/अनुसरण द्वारा लम्बित मामलों में कमी:** अप्रैल, 2015 में आयोजित मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में पारित संकल्प के अनुसरण में, उच्च न्यायालयों में पांच वर्ष से अधिक लम्बित मामलों के निपटान के लिए बकाया समितियां गठित की गई है। बकाया समितियां, जिला न्यायाधीशों के अधीन भी गठित की गई है। उच्चतम न्यायालय में उच्च न्यायालयों तथा जिला न्यायालयों में लम्बित मामलों में कमी के लिए कदम प्रतिपादित के लिए बकाया समिति गठित की गई है । भूतकाल में विधि और न्याय मंत्री द्वारा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों तथा मुख्यमंत्रियों को, पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों तथा लंबन घटाने के अभियान की ओर उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए, मामले को उठाया गया है । विभाग ने मलिमथ समिति की रिपोर्ट के बकाया उन्मूलन स्कीम मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुपालन पर सभी उच्च न्यायालयों द्वारा रिपोर्ट करने के लिए एक आनलाइन पोर्टल विकसित किया है ।

(v) **वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) पर जोर देना:** वाणिज्यिक न्यायालय, अधिनियम, 2015, (20 अगस्त, 2018 को यथासंशोधित) वाणिज्यिक विवादों के निपटारे के लिए आज्ञापक पूर्व-संस्थान मध्यकता क्रियाविधि पर जोर देता है। माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 द्वारा माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 का विहित समय-सीमा में विवादों के त्वरित निपटान समाधान को शीघ्र बनाने के लिए संशोधन किया गया है।

(vi) **विशेष प्रकार के मामलों के त्वरित निपटान के लिए पहल :** चौदहवें वित्त आयोग ने राज्यों में न्यायिक प्रणाली को मजबूत करने के सरकार के प्रस्ताव का समर्थन किया है जिसमें, अन्य बातों के साथ, जघन्य अपराधों के मामलों के लिए; ज्येष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बच्चों आदि को अंर्तवलित करने वाले मामलों के लिए त्वरित निपटान न्यायालयों की स्थापना भी सम्मिलित है और राज्य सरकारों से ऐसी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए 32% से 42% वर्धित कर विचलन के रूप में प्रदान किए गए अतिरिक्त राजवित्तीय स्थान का उपयोग करने का अनुरोध किया गया है।

31.10.2021 तक जघन्य अपराधों, स्त्रियों और बच्चों के विरुद्ध अपराधों, आदि के लिए 914 त्वरित निपटान न्यायालय कार्यरत हैं । निर्वाचित सांसदों/विधान सभा सदस्यों को अंर्तवलित करने वाले त्वरित निपटान अपराधिक मामलों के लिए नौ (9) राज्यों (मध्य-प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर-प्रदेश, पश्चिमी बंगाल में प्रत्येक में 1 और राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, दिल्ली में 2) दस (10) विशेष न्यायालय स्थापित किए गए हैं । इसके अतिरिक्त, भारतीय दंड संहिता के अधीन बलात्कार और पॉक्सो अधिनियम के अधीन अपराधों के लम्बित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए सम्पूर्ण देश में 1023 त्वरित निपटान विशेष न्यायालय (एफटीएससी) की स्थापना करने के लिए सरकार ने एक स्कीम का अनुमोदन किया है । आज तारीख तक 28 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र 842 एफटीएससी की स्थापना करने के लिए स्कीम में सम्मिलित हुए हैं, जिसके अन्तर्गत 363 'विशिष्ट पॉक्सो न्यायालय' भी हैं । इस स्कीम के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 में 140 करोड़ रुपए जारी किए गए और वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान 160.00 करोड़ रुपए जारी किए गए । वर्तमान में, 681 एफटीएससी कार्यरत हैं जिनमें 381 'विशिष्ट पॉक्सो न्यायालय' भी हैं, जिन्होंने 31.10.2021 तक 64217 मामले निपटाए । एफटीएससी की स्कीम को और दो वर्षों (2021-23) तक 1572.86 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय हिस्से के रूप में 971.70 करोड़ रुपए हैं, निरन्तर रखने के लिए अनुमोदित किया गया है ।

(vii) इसके अतिरिक्त, न्यायालयों में लम्बन और अवरोध को कम करने के लिए, सरकार ने विभिन्न विधियों जैसे परक्राम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2018, वाणिज्यिक न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2018, विनिर्दिष्ट अनुतोष (संशोधन) अधिनियम, 2018, माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 तथा दांडिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 को हाल ही में संशोधित किया है ।

(ग) : उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों तथा जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में स्वीकृत संख्या, कार्यरत संख्या और रिक्ति की स्थिति क्रमशः **उपाबंध-1** और **उपाबंध-2** पर संलग्न है ।

28 अक्तूबर, 1998 (तृतीय न्यायाधीश मामला) की उच्चतम न्यायालय की सलाहकारी राय के साथ पठित उच्चतम न्यायालय के 6 अक्तूबर, 1993 (द्वितीय न्यायाधीश मामला) के अनुसरण में तैयार उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया ज्ञापन में विहित प्रक्रिया के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्तियों का आरम्भ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति में निहित है । सरकार केवल उन नामों पर विचार करती है जिनकी सिफारिश उच्च न्यायालय कालेजियम और उच्चतम न्यायालय कालेजियम द्वारा की जाती है ।

उच्च न्यायालयों में रिक्त पदों का भरना कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक निरंतर, एकीकृत और समन्वयकारी प्रक्रिया है । इसमें राज्य और केन्द्रीय दोनों स्तरों पर विभिन्न संवैधानिक प्राधिकारियों से परामर्श और अनुमोदन अपेक्षित है । विद्यमान रिक्तियों को तेजी से भरने कि लिए प्रत्येक प्रयास किया जाता है, किंतु उच्च न्यायालयोँ में, न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति, पदत्याग या उनके उन्नयन तथा न्यायाधीशों के पदों की संख्या में बढ़ोत्तरी के कारण भी रिक्तियां निरंतर होती रहती हैं ।

तारीख 01.05.2014 से 14.12.2021 तक उच्चतम न्यायालय में 44 न्यायमूर्ति नियुक्त किए गए थे । उच्च न्यायालयों में 690 नए न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे और 583 अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी किया गया था ।

संविधान के अनुच्छेद 235 के अधीन राज्यों में जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका के सदस्यों पर प्रशासनिक नियंत्रण संबंधित उच्च न्यायालय में निहित है । और, संविधान के अनुच्छेद 233 और

अनुच्छेद 234 के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में संबंधित राज्य सरकारें, उच्च न्यायालय के परामर्श से, राज्य न्यायिक सेवा में न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति, पदोन्नति, आरक्षण और सेवानिवृत्ति के मुद्दे के संबंध में नियमों और विनियमों को विरचित करती हैं । इसलिए, जहां तक राज्यों में न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति का संबंध है, उच्च न्यायालय कतिपय राज्यों में इसे करते हैं, जबकि अन्य राज्यों में उच्च न्यायालय इसे राज्य लोक सेवा आयोगों के परामर्श से करते हैं ।

जिला/अधीनस्थ न्यायपालिका में न्यायिक अधिकारियों के चयन और नियुक्ति में संविधान के अधीन संघ सरकार की कोई भूमिका नहीं है । उच्चतम न्यायालय ने मलिक मजहर के मामले में 04 जनवरी, 2007 के अपने आदेशों में अधीनस्थ न्यायपालिका में रिक्तियों को भरने के लिए अनुसरण किए जाने वाली प्रक्रिया और समय सीमा विकसित की है जो नियत करती है कि अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की भर्ती के लिए प्रक्रिया कैलेण्डर वर्ष के 31 मार्च को आरम्भ होगी और उसी वर्ष के 31 अक्तूबर तक समाप्त हो जाएगी । उच्चतम न्यायालय ने राज्य में विशेष भौगोलिक और जलवायु दशाओं या अन्य सुसंगत दशाओं पर आधारित किसी कठिनाई की स्थिति में समय अनुसूची में परिवर्तन के लिए राज्य सरकारों/उच्च न्यायालयों को अनुज्ञात किया है ।

और, उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निदेशों के अनुपालन में, न्याय विभाग ने आवश्यक कार्रवाई के लिए सभी उच्च न्यायालयों के महारजिस्ट्रारों को मलिक मजहर निर्णय की एक प्रति अग्रेषित की है । न्याय विभाग मलिक मजहर मामले द्वारा आदेशित अधीनस्थ न्यायपालिका में रिक्तियों को भरने को त्वरित करने के लिए सभी उच्च न्यायालयों के महारजिस्ट्रारों को समय-समय पर लिख रहा है ।

सितम्बर, 2016 में संघ के विधि और न्याय मंत्री ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों तथा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों को जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की काडर संख्या बढ़ाने तथा राज्य न्यायपालिका को भौतिक अवसंरचना प्रदान करने के लिए लिखा । इसे मई, 2017 में दोहराया गया । जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या वर्ष 2014 में 19,518 से बढ़ाकर 30.11.2021 तक 24,485 कर दी गई । अगस्त, 2018 में मामलों के बढ़ते लम्बन के संदर्भ में, संघ के विधि और न्याय मंत्री ने सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों को नियमित रूप से रिक्तियों की प्रास्थिति को मॉनीटर करने तथा मलिक मजहर सुल्तान के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विहित समय अनुसूची के अनुसार रिक्त पदों को भरने के लिए राज्य लोक सेवा आयोग के साथ उचित समन्वय सुनिश्चित करने के लिए लिखा है । रिक्तियों को भरने को उच्चतम न्यायालय द्वारा स्वप्रेरणा से रिट याचिका (सिविल) सं. 2018 की 2 में मॉनीटर भी किया जा रहा है ।

****

उपाबंध-1

न्यायपालिका में जनशक्ति की कमी के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3267 जिसका उत्तर तारीख 17.12.2021 को दिया जाना है, के भाग (ग) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

नवीनतम रिक्ति रिपोर्ट 13-12-2021 तक

क्र.सं.	उच्च न्यायालय का नाम	कुल पद संख्या	कुल कार्यरत पद संख्या	कुल रिक्तियां
क	**उच्चतम न्यायालय**	**34**	**33**	**01**
ख	**हाईकोर्ट**			
1	इलाहाबाद	160	94	66
2	आंध्र प्रदेश	37	20	17
3	बॉम्बे	94	60	34
4	कलकत्ता	72	39	33
5	छत्तीसगढ	22	13	09
6	दिल्ली	60	30	30
7	गुवाहाटी	24	24	00
8	गुजरात	52	32	20
9	हिमाचल प्रदेश	13	09	04
10	जम्मू-कश्मीर और लद्दाख	17	13	04
1 1	झारखंड	25	20	05
12	कर्नाटक	62	45	17
13	केरल	47	40	07
14	मध्य प्रदेश	53	30	23
15	मद्रास	75	60	15
16	मणिपुर	05	05	00
17	मेघालय	04	03	01
18	ओडिशा	27	18	09
19	पटना	53	26	27
20	पंजाब और हरियाणा	85	50	35
21	राजस्थान	50	28	22
22	सिक्किम	03	03	00
23	तेलंगाना	42	19	23
24	त्रिपुरा	05	05	00
25	उत्तराखंड	1 1	08	03
	कुल	**1098**	**694**	**404**

उपाबंध-2

न्यायपालिका में जनशक्ति की कमी के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3267 जिसका उत्तर तारीख 17.12.2021 को दिया जाना है, के भाग (ग) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

नवीनतम रिक्ति रिपोर्ट 13-12-2021 तक

क्र.सं.	राज्य और संघ राज्यक्षेत्र का नाम	कुल स्वीकृत पद संख्या	कुल कार्यरत पद संख्या	कुल रिक्तियां
1	अंडमान और निकोबार	0	13	-13
2	आंध्र प्रदेश	607	492	115
3	अरुणाचल प्रदेश	41	32	9
4	असम	467	436	31
5	बिहार	1953	1399	554
6	चंडीगढ़	30	30	0
7	छत्तीसगढ	482	409	73
8	दादरा और नागर हवेली	3	2	1
9	दमण और दीव	4	4	0
10	दिल्ली	862	689	173
1 1	गोवा	50	40	10
12	गुजरात	1523	1126	397
13	हरियाणा	772	482	290
14	हिमाचल प्रदेश	175	164	1 1
15	जम्मू - कश्मीर	300	241	59
16	झारखंड	675	523	152
17	कर्नाटक	1363	1077	286
18	केरल	569	490	79
19	लद्दाख	17	9	8
20	लक्षद्वीप	3	3	0
21	मध्य प्रदेश	2021	1555	466
22	महाराष्ट्र	2190	1940	250
23	मणिपुर	59	42	17
24	मेघालय	97	49	48
25	मिजोरम	65	42	23
26	नागालैंड	34	24	10
27	उड़ीसा	976	788	188
28	पुडुचेरी	26	1 1	15
29	पंजाब	692	607	85
30	राजस्थान	1548	1274	274
31	सिक्किम	28	20	8
32	तमिलनाडु	1315	1087	228
33	तेलंगाना	474	425	49
34	त्रिपुरा	121	97	24
35	उतार प्रदेश	3634	2545	1089
36	उत्तराखंड	299	271	28
37	पश्चिमी बंगाल	1014	918	96
कुल		**24489**	**19356**	**5133**

स्रोत:- न्याय विभाग का एमआईएस पोर्टल

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं 3268
जिसका उत्तर शुक्रवार, 17 दिसम्बर, 2021 को दिया जाना है

न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम की अनुशंसा

3268. श्री असादुद्दीन ओवैसी :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित नामों को रोक रही है और यदि हां, तो इसके क्या कारण है ;

(ख) क्या कॉलेजियम ने पिछले तीन वर्षों में अपनी किसी सिफारिश को दोहराया है और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है और ऐसी पुनरावृत्ति पर केंद्र द्वारा क्या कार्रवाई की गई है ;

(ग) क्या कॉलेजियम ने अनुशंसित नामों को रोक कर रखने के लिए सरकार से कोई औचित्य मांगा है, यदि हां, तो इस तरह के प्रश्न का ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) क्या सरकार न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया का एक नया ज्ञापन तैयार करने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (घ) : भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति 28 अक्टूबर 1998 (तीसरा न्यायाधीशों का मामला) की उनकी सलाहकार राय के साथ पठित 6 अक्टूबर, 1993 (द्वितीय न्यायाधीशों का मामला) के उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार 1998 में तैयार किए गए प्रक्रिया ज्ञापन (एमओपी) में प्रक्रिया के अनुसार की जाती है। प्रक्रिया ज्ञापन के अनुसार, न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रस्ताव की शुरूआत उच्चतम न्यायालय भारत के मुख्य न्यायाधीश में निहित है, जबकि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रस्ताव की शुरुआत संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ निहित है। उच्च न्यायालय कॉलेजियम द्वारा सिफारिश किए गए सभी नाम सरकार के विचारों के साथ उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम (एससीसी) को सलाह के लिए भेजे जाते हैं। तथापि सरकार केवल उन्हीं व्यक्तियों को उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त करती है जिनकी सिफारिश उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम द्वारा की जाती है।

14.12.2018 से 13.12.2021 की अवधि के दौरान उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम ने 32 प्रस्तावों को दोहराया है, जिनमें से सरकार ने 9 सिफारिशकर्ताओं को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है और 23 प्रस्ताव सरकार के पास संसाधन के विभिन्न चरणों में हैं।

उच्चतम न्यायालय ने एनजेएसी मामले में 2015 के 13 रिट याचिका (सिविल) पर सुनवाई करते समय प्रक्रिया ज्ञापन के अनुसार के पूरक पर 16.12.2015 को विस्तृत आदेश जारी किया। उक्त आदेश के पैरा 10 में, यह अधिकथित किया गया था कि भारत सरकार भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से इसे पूरक करके प्रक्रिया ज्ञापन को अंतिम रूप दे सकती है। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति उच्चतम न्यायालय के चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों वाले कॉलेजियम के सर्वसम्मत दृष्टिकोण के आधार पर विनिश्चय करेंगे । प्रक्रिया ज्ञापन (एमओपी) के पूरक को सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय के महासचिव को सचिव (न्याय) के पत्र तारीख 11.07.2017 के माध्यम से सरकार के रुख से अवगत कराया है।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं 3286
जिसका उत्तर शुक्रवार, 17 दिसम्बर, 2021 को दिया जाना है

त्वरित (फास्ट ट्रैक) और विशेष न्यायालय

3286. श्री विष्णु दयाल राम :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विशेष कानूनों के अंतर्गत स्थापित त्वरित (फास्ट ट्रैक) और विशेष न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है ;

(ख) इन न्यायालयों द्वारा दायर किए जाने के समय से लेकर निर्णय सुनाये जाने तक में लिए गए औसत समय का ब्यौरा क्या हैं ;

(ग) क्या त्वरित (फास्ट ट्रैक) और विशेष न्यायालयों ने न्यायपालिका पर बोझ कम किया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (घ) : त्वरित निपटान न्यायालय (एफटीसी) की स्थापना और इसकी कार्य प्रणाली संबंधित उच्च न्यायालय के साथ परामर्श करके राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती है । उच्च न्यायालयों से प्राप्त सूचना के अनुसार, अक्तूबर, 2021 तक 23 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 914 त्वरित निपटान न्यायालय कार्यरत थे, जो जघन्य अपराधों, महिलाओं, बच्चों, ज्येष्ठ नागरिकों, एच आई वी/एड्स आदि से संबंधित सिविल मामलों और पांच वर्ष से अधिक लंबित संपत्ति संबंधी मामलों से संबंधित है, जैसा कि 14वें वित्त आयोग द्वारा सिफारिश की गई थी । विशेष न्यायालय संबंधित मंत्रालय/ विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट मामलों के लिए देश में स्थापित किए गए हैं जो इन विशेष संविधियों को प्रशासित करते है । [अश्वनी कुमार बनाम भारत संघ और अन्य] रिट याचिका (सिविल) 699/2016 तारीख 01.11.2017 और 14.12.2017 को दिए गए आदेश में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेश के अनुसरण में, 12 विशेष न्यायालय 11 राज्यों [राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली-2, आंध्र प्रदेश-1, तेलंगाना-1, कर्नाटक—1, केरल-1, तमिलनाडु-1, महाराष्ट्र-1, मध्य प्रदेश-1, उत्तर प्रदेश-1, बिहार-1 और पश्चिमी बंगाल-1] में शीघ्र विचारण और निर्वाचित संसद सदस्यों/ राज्य विधान सभाओं के सदस्यों से संबंधित आपराधिक मामलों के निपटान के लिए स्थापित की गई थी । केरल और बिहार के विशेष न्यायालय के अतिरिक्त ऐसे 10 विशेष न्यायालय वर्तमान में कार्यरत हैं । भारत सरकार ने बलात्कार और पॉस्को अधिनियम से संबंधित मामलों के त्वरित विचारण और निपटान के लिए 389

अनन्य पॉस्को (ई-पॉस्को) न्यायालयों सहित 1023 त्वरित निपटान विशेष-न्यायालयों (एफटीएससी) की स्थापना के लिए अक्तूबर, 2019 से केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम भी लागू कर रही है । अक्तूबर, 2019 में प्रारंभ हुई स्कीम, 31.3.2021 तक बढ़ा दी गई है । 381 ई-पॉस्को न्यायालयों सहित 681 त्वरित निपटान न्यायालय वर्तमान में 27 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में कार्यरत हैं ।

ये त्वरित निपटान-न्यायालय 2015 से अक्तूबर, 2021 तक 31.92 लाख से अधिक मामलों का निपटान किया है । त्वरित निपटान न्यायालय ने 31.10.2021 तक 64,217 मामलों का निपटान किया है । उपरोक्त मामलों के निपटान के आंकड़े दर्शातें हैं कि किस प्रकार से एफटीसी और एफटीएससी ने लंबित मामलों के त्वरित निपटान में सहायता की है । एफटीएससी के स्थापना का मुद्दा और उसके शीघ्र संचालन के मुद्दे को समय समय पर विभिन्न स्तरों पर संबंधित राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के साथ उठाया गया है । विधि और न्याय मंत्री इस संबंध में राज्यों के मुख्य मंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों को पत्र संबोधित किया है । इसके अतिरिक्त शेष एफटीएससी के संचालन के लिए राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के अधिकारियों और उच्च न्यायालय के पदाधिकारियों के साथ समय समय पर नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित की जा रही हैं ताकि न्यायपालिका के बोझ को और कम किया जा सके । तथापि, इन न्यायालयों द्वारा मामला फाइल करने के समय से लेकर गतिशील प्रकृति के निर्णय देने तक के औसत समय का विवरण केन्द्रीय रुप से नहीं रखा जाता है ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं 3292
जिसका उत्तर शुक्रवार, 17 दिसम्बर, 2021 को दिया जाना है

विचाराधीन कैदियों हेतु त्वरित (फास्ट ट्रैक) न्यायालय

3292. श्री बी. बी. पाटील :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश की विभिन्न जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों को न्याय प्रदान करने के लिए त्वरित (फास्ट ट्रैक) न्यायालय बनाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार को इस संबंध में कोई सुझाव/प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में की जा रही कार्रवाई का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) : देश के विभिन्न न्यायालयों के विचाराधीन कैदियों को न्याय प्रदान करने के लिए त्वरित निपटान न्यायालयों की स्थापना करने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) से (घ) : उपरोक्त (क) के दृष्टिगत प्रश्न ही नहीं उठता है ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं 3295
जिसका उत्तर शुक्रवार, 17 दिसम्बर, 2021 को दिया जाना है

न्यायाधीशों के रिक्त पद

+3295. श्री कनकमल कटारा :
श्रीमती केशरी देवी पटेल :
श्री तालारी रंगैय्या :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) क्या सरकार ने देश के उच्च न्यायालयों और अन्य न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पदों पर ध्यान दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;
(ख) न्यायाधीशों के उक्त रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ;
(ग) क्या सरकार ने ऐसी रिक्तियों को निर्धारित समयावधि में भरने के लिए एक योजना का प्रस्ताव किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;
(घ) क्या न्यायाधीशों के पद रिक्त होने के कारण मामलों के निस्तारण में देरी हो रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;
(ङ) क्या सरकार का इन मामलों के जल्द से जल्द निपटान के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित करने का विचार है ; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ग) : भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति, 6 अक्तूबर, 1993 के उच्चतम न्यायालय निर्णय (दूसरा न्यायाधीश मामला) के साथ पठित 28 अक्तूबर, 1998 के उनके सलाहकारी राय (तीसरा न्यायाधीश मामला) के अनुसार वर्ष 1998 में तैयार की गई प्रक्रिया ज्ञापन (एमओपी) में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार की जाती हैं। प्रक्रिया ज्ञापन के अनुसार, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव का आरंभ किया जाना भारत के मुख्य न्यायमूर्ति में निहित होता है, जबकि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव का आरंभ किया जाना संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति में निहित होता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति, रिक्ति की प्राप्ति से छः मास पूर्व किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की रिक्ति को भरने के लिए अपेक्षित हैं। तथापि, उच्च न्यायालयों द्वारा सामान्यतः इस समय-सीमा का पालन नहीं किया जाता है।

तारीख 14.12.2021 तक, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश का 01 पद रिक्त है और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के 404 पद रिक्त हैं। विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु 167 रिक्तियों के संबंध में प्राप्त सिफारिश एससीसी और सरकार के बीच प्रक्रमण के

विभिन्न चरण पर है, जबकि 237 रिक्तियों के लिए सिफारिश, संबंधित उच्च न्यायालयोंं के कोलेजियम से अब तक प्राप्त नहीं हुई है। जबकि, उच्च न्यायालयों में रिक्तियों का भरा जाना एक सतत, समेकित और सहयोगकारी प्रक्रिया है, जो विभिन्न संवैधानिक प्राधिकरणों से परामर्श और अनुमोदन की अपेक्षा करती है । न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र या उन्नयन के कारण रिक्तियां उद्भूत होती हैं । सरकार समयबद्ध रीति में शीघ्रता से रिक्तियों को भरने के लिए प्रतिबद्ध है । तारीख 14.12.2021 के अनुसार, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायधीशों की रिक्तियों को दर्शाने वाला एक विवरण उपाबंध पर है ।

संवैधानिक ढांचे के अनुसार, अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों का चयन और नियुक्ति करने का दायित्व संबंधित उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारों का है ।

(घ) से (च) : न्यायालयों में लंबित मामलों का निपटारा करना न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है । संबंधित न्यायालयों द्वारा विभिन्न प्रकार के मामलों के निपटारे के लिए कोई समय-सीमा विहित नहीं की गई है। न्यायालयों में लंबित मामलों के निपटारे में सरकार की कोई भूमिका नहीं है । केंद्रीय सरकार, संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार मामलों के त्वरित निपटान और उनके लंबन को कम करने के लिए पूर्णतया प्रतिबद्ध है।

यह उल्लिखित किया जा सकता है कि न्यायालयों में मामलों के लंबन का कारण मात्र उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की कमी नहीं है, बल्कि अन्य विभिन्न कारक है, जैसे (i) राज्य और केन्द्रीय विधानों की संख्या में वृद्धि होना, (ii) प्रथम अपील का इकट्ठा होना, (iii) कुछ उच्च न्यायालयोंं में साधारण सिविल अधिकारिता का चालू रहना, (iv) अर्ध- न्यायिक फोरम के आदेशों के विरुद्ध अपील में उच्च न्यायालय जाना, (v) पुनरीक्षणों/ अपीलों की संख्या, (vi) बारबार स्थगन का होना, (vii) रिट अधिकारिता का बेतहाशा प्रयोग (viii) सुनवाई के लिए मामलों का मानीटर करना, खोज करना और एकत्र करने की पर्याप्त व्यवस्था का अभाव (ix) न्यायालयों की अवकाश अवधि, (X) न्यायाधीशों को प्रशासनिक की प्रकृति के कार्य को सौंपना, इत्यादि।

****

'न्यायाधीशों के रिक्त पद' लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3295 जिसका उत्तर तारीख 17.12.2021 को दिया जाना है, के भाग (क) से (ग) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण

(14.12.2021 के अनुसार)

	न्यायालय	**स्वीकृत पद संख्या**	**कार्यरत पद संख्या**	**रिक्तियां**
क.	**उच्च न्यायालय**	**34**	**33**	**01**
ख.	**उच्चतम न्यायालय**			
1	इलाहाबाद	160	94	66
2	आंध्र प्रदेश	37	20	17
3	बॉम्बे	94	60	34
4	कलकत्ता	72	39	33
5	छत्तीसगढ	22	13	09
6	दिल्ली	60	30	30
7	गुवाहाटी	24	24	0
8	गुजरात	52	32	20
9	हिमाचल प्रदेश	13	09	04
10	जम्मू-कश्मीर और लद्दाख	17	13	04
11	झारखंड	25	20	05
12	कर्नाटक	62	45	17
13	केरल	47	40	07
14	मध्य प्रदेश	53	30	23
15	मद्रास	75	60	15
16	मणिपुर	05	05	0
17	मेघालय	04	03	01
18	ओडिशा	27	18	09
19	पटना	53	26	27
20	पंजाब और हरियाणा	85	50	35
21	राजस्थान	50	28	22
22	सिक्किम	03	03	0
23	तेलंगाना	42	19	23
24	त्रिपुरा	05	05	0
25	उत्तराखंड	11	08	03
	कुल	**1098**	**694**	**404**

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं 3302
जिसका उत्तर शुक्रवार, 17 दिसम्बर, 2021 को दिया जाना है

राजस्थान उच्च न्यायालय में लंबित मामले

+3302. श्री हनुमान बेनीवाल :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान उच्च न्यायालय में पिछले पांच वर्षों या उससे अधिक समय से लंबित मामलों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार ने वर्षों से लंबित मामलों के कारणों की समीक्षा की है और उक्त अनुमान में सुधार के लिए क्या उपाय किए गए हैं ;

(ग) क्या माननीय उच्चतम न्यायालय ने गांवों में ग्राम न्यायालय की स्थापना के लिए कोई निदेश जारी किए हैं ; और

(घ) यदि हां, तो निर्धारित लक्ष्य के तहत राजस्थान में कितने ग्राम न्यायालय स्थापित किए गए हैं और कितने ग्राम न्यायालय स्थापित किए जाने शेष हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) : पिछले पांच वर्ष या अधिक से राजस्थान उच्च न्यायालय में लम्बित मामलों का विवरण निम्नानुसार है :-

विशिष्टियां	सिविल	दांडिक	कुल योग
3 से 5 वर्ष	57830	17504	75334
5 से 10 वर्ष	67004	19516	86520
10 से 20 वर्ष	49821	23972	73793
20 से 30 वर्ष	4426	6580	11006
30 वर्ष से अधिक	117	407	524

कुल योग	179198	67979	247177

(ख) : न्यायालयों में लम्बित मामलों का निपटारा न्यायपालिका के कार्यक्षेत्र में है । संबंधित न्यायालयों द्वारा विभिन्न प्रकार के मामलों के निपटारे के लिए कोई समय-सीमा विहित नहीं की गई है । न्यायालयों में मामलों के निपटारे में सरकार की कोई भूमिका नहीं है । न्यायालयों में मामलों का समय पूर्ण निपटारा बहुत से कारकों पर निर्भर करता है जिसमें, अन्य बातों के साथ, न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों, सहायक न्यायालय कर्मचारिवृन्द की पर्याप्त संख्या और भौतिक अवसंरचना की उपलब्धता, अंतर्वलित तथ्यों की जटिलता, साक्ष्य की प्रकृति, पणधारियों अर्थात् बार, अन्वेषण अभिकरणों, साक्षियों तथा मुवक्किलों का सहयोग और नियमों और प्रक्रियाओं का समुचित उपयोजन, सम्मिलित है । ऐसे कई अन्य कारक हैं जिनके कारण मामलों के निपटारे में विलम्ब होता है । इनके अन्तर्गत, अन्य बातों के साथ, न्यायाधीशों की रिक्तियां, बारंबार स्थगन तथा सुनवाई के लिए मामलों को मॉनिटर, निगरानी और इकठ्ठा करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था का अभाव है । केन्द्रीय सरकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार मामलों के त्वरित निपटारे तथा बकाया को कम करने के लिए पूर्णतया प्रतिबद्ध है । सरकार ने न्यायपालिका द्वारा मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए एक पारिस्थितिक प्रणाली प्रदान करने के लिए कई कदम उठाए हैं ।

न्याय के परिदान और विधिक सुधार के लिए राष्ट्रीय मिशन का गठन अगस्त, 2011 में न्याय प्रणाली में विलम्ब और बकाया को कम करके और संरचनात्मक परिवर्तनों के माध्यम से जबावदेही बढ़ाकर तथा निष्पादन मानक और क्षमताओं को नियत करके दोहरे उद्देश्यों के साथ दिया गया था । मिशन, न्याय प्रशासन में बकाया और लंबन के चरणवार कम करके के लिए एक समन्वित पहुंच अपना रहा है, जिसमें, अन्य बातों के साथ, न्यायालयों के लिए बेहतर अवसंरचना, जिसके अन्तर्गत कम्प्यूटरीकरण, अधीनस्थ न्यायपालिका की संख्या में वृद्धि, अत्यधिक मुकदमेबाजी वाले क्षेत्रों में नीतिगत और विधायी उपाय, मामलों के त्वरित निपटारे के लिए न्यायालय प्रक्रिया का पुनः प्रबंधन तथा मानव संसाधन के विकास पर जोर भी है ।

विभिन्न पहलों के अधीन पिछले छह वर्षों में उठाए गए प्रमुख कदम निम्नानुसार हैं :-

(i) **जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों के लिए अवसंरचना में सुधार करना:** वर्ष 1993-94 में न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए केंद्रीकृत प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) के प्रारंभ से आजतक 8709.77 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं । इस स्कीम के अधीन, न्यायालय हालों की संख्या, जो तारीख 30.06.2014 को 15,818 थी, बढ़कर तारीख 31.10.2021 तक 20,565 हो गई है और आवासीय इकाइयों की संख्या जो तारीख 30.06.2014 को 10,211 थी, से बढ़कर तारीख 31.10.2021 तक 18,142 हो गई है । इसके अतिरिक्त, 2,841 न्यायालय हाल और 1,807 आवासीय ईकाइयां निर्माणाधीन हैं । न्यायपालिका हेतु अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास हेतु केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम 9000 करोड़ रुपए की कुल लागत के साथ 2025-26 तक बढ़ा दी गई है जिसमें से केन्द्रीय हिस्सा 5307 करोड़ रुपए होगा । न्यायालय हालों तथा आवासीय इकाइयों के संनिर्माण के अतिरिक्त, इसके अन्तर्गत अधिवक्ता हालों, शौचालय परिसरों तथा डिजीटल कम्प्यूटर कक्षों का संनिर्माण भी होगा ।

(ii) **न्याय के परिदान में सुधार के लिए सूचना और संसूचना प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का लाभ उठाना :** सरकार, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के सूचना और संसूचना प्रोद्योगिकी समर्थकरण के लिए देशभर में ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना का कार्यान्वयन कर रही है । 01.07.2021 तक कंप्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की संख्या में 18,735 की वृद्धि हुई है । 98.7% न्यायालय परिसरों में डब्ल्यूएएन कनेक्टिविटी प्रदान की गई है । मामले की सूचना का साफ्टवेयर का नया और उपयोक्ता अनुकूल संस्करण विकसित करके सभी कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में लगाया गया है । सभी पणधारी, जिनके अंतर्गत न्यायिक अधिकारी भी हैं, राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एन जे डी जी) पर कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों तथा उच्च न्यायालयों की न्यायिक कार्यवाहियों/निर्णयों से संबंध सूचना प्राप्त कर सकते हैं । तारीख 01.11.2021 तक इन न्यायालयों से संबंधित 19.56 करोड़ मामलों तथा 15.72 करोड़ आदेशों/निर्णयों की प्रास्थिति जान सकते हैं । ई-न्यायालय सेवाएं जैसे कि मामला रजिस्ट्रीकरण के ब्यौरे, वाद सूची, मामला प्रास्थिति, दैनिक आदेश और अंतिम निर्णय, ई-न्यायालय वैब पोर्टल, सभी कंप्यूटरीकृत न्यायालयों में न्यायिक सेवा केंद्र (जेएससी), ई-न्यायालय मोबाइल एप, ई-मेल सेवा, एसएमएस पुश और पुल सेवा के माध्यम से मुवक्किलों और अधिवक्ताओं को उपलब्ध हैं । 3240 न्यायालय परिसरों तथा 1272 सादृश्य कारागारों के बीच वीडियो कान्फरेंसिंग सुविधा को समर्थ बनाया गया है । कोविड-19 की चुनौतियों का बेहतर ढंग से सामना करने तथा आगामी सुनवाई में संक्रमण को अधिक आसान बनाने की दृष्टि से, मामले की प्रास्थिति से लेकर निर्णय/आदेशों को प्राप्त करने, न्यायालय/मामले संबंधित सूचना और ई-फाइलिंग सुविधाओं तक सहायता की आवश्यकता वाले अधिवक्ताओं तथा मुवक्किलों को सुविधा प्रदान करने के लिए न्यायालय परिसरों में 235-ई सेवा केन्द्रों का गठन करने के लिए निधियों की व्यवस्था की गई है । विभिन्न न्यायालय परिसरों में वीडियो कान्फ्रेंसिंग केबिनों में आभासी सुनवाई की सुविधा प्रदान करने के लिए उपकरणों की व्यवस्था करने हेतु 5.01 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं । विभिन्न न्यायालय परिसरों में, ई-फाइलिंग के हेतु 1732 हेल्प डेस्क काउंटरों के लिए 12.12 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं ।

यातायात संबंधी अपराधों के विचार हेतु 11 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों अर्थात् दिल्ली (2), हरियाणा, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल (2), महाराष्ट्र (2), असम, छत्तीसगढ़, जम्मू-कश्मीर (2), उत्तर प्रदेश और ओडिशा में पन्द्रह आभासी न्यायालय गठित किए गए हैं । तारीख 01.11.2021 तक इन न्यायालयों ने 99 लाख से अधिक मामले निपटाए तथा 193.15 करोड़ रुपए जुर्माने के रुप में वसूल किए ।

कोविड लॉकडाउन अवधि के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, न्यायालयों के सहारे के रूप में उभरा, क्योंकि सामूहिक ढंग से भौतिक सुनवाईयां और सामान्य न्यायालय कार्यवाहियां संभव नहीं थी । कोविड लॉकडाउन आरम्भ होने के समय से 31.10.2021 तक केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का प्रयोग करके जिला न्यायालयों ने 1,01,77,289 सुनवाइयां और उच्च न्यायालयों ने 55,24,021 (कुल 1.57 करोड़) सुनवाइयां की हैं । उच्चतम न्यायालय ने लॉकडाउन अवधि आरम्भ होने के समय से 29.10.2021 तक 1,50,692 सुनवाइयां कीं ।

(iii) **उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय तथा जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में रिक्तियों को भरा जाना :** तारीख 01.05.2014 से 29.11.2021 तक उच्चतम न्यायालय में 44 न्यायमूर्ति नियुक्त किए गए थे । उच्च न्यायालयों में 688 नए न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे और 583 अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी किया गया था । उच्च न्यायालयों के न्यायमूर्तियों की स्वीकृत पद संख्या जो मई, 2014 में 906 थी, को बढ़ाकर वर्तमान में 1098 किया गया है । जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत और कार्यरत पद संख्या निम्न प्रकार बढ़ाई गई हैं :

तारीख को	स्वीकृत पदसंख्या	कार्यरत पदसंख्या
31.12.2013	19,518	15,115
13.12.2021	24,489	19,356

तथापि, अधीनस्थ न्यायपालिका में रिक्तियों को भरना संबंधित राज्य सरकारों तथा उच्च न्यायालयों के कार्यक्षेत्र में है ।

(iv) **बकाया समिति के माध्यम से/अनुसरण द्वारा लम्बित मामलों में कमी:** अप्रैल, 2015 में आयोजित मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में पारित संकल्प के अनुसरण में, उच्च न्यायालयों में पांच वर्ष से अधिक लम्बित मामलों के निपटान के लिए बकाया समितियां गठित की गई है। बकाया समितियां, जिला न्यायाधीशों के अधीन भी गठित की गई है। उच्चतम न्यायालय में उच्च न्यायालयों तथा जिला न्यायालयों में लम्बित मामलों में कमी के लिए कदम प्रतिपादित के लिए बकाया समिति गठित की गई है । भूतकाल में विधि और न्याय मंत्री द्वारा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों तथा मुख्यमंत्रियों को, पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों तथा लंबन घटाने के अभियान की ओर उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए, मामले को उठाया गया है । विभाग ने मलिमथ समिति की रिपोर्ट के बकाया उन्मूलन स्कीम मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुपालन पर सभी उच्च न्यायालयों द्वारा रिपोर्ट करने के लिए एक आनलाइन पोर्टल विकसित किया है ।

(v) **वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) पर जोर देना:** वाणिज्यिक न्यायालय, अधिनियम, 2015, (20 अगस्त, 2018 को यथासंशोधित) वाणिज्यिक विवादों के निपटारे के लिए आज्ञापक पूर्व-संस्थान मध्यकता क्रियाविधि पर जोर देता है। माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 द्वारा माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 का विहित समय-सीमा में विवादों के त्वरित निपटान समाधान को शीघ्र बनाने के लिए संशोधन किया गया है।

(vi) **विशेष प्रकार के मामलों के त्वरित निपटान के लिए पहल :** चौदहवें वित्त आयोग ने राज्यों में न्यायिक प्रणाली को मजबूत करने के सरकार के प्रस्ताव का समर्थन किया है जिसमें, अन्य बातों के साथ, जघन्य अपराधों के मामलों के लिए; ज्येष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बच्चों आदि को अंर्तवलित करने वाले मामलों के लिए त्वरित निपटान न्यायालयों की स्थापना भी सम्मिलित है और राज्य सरकारों से ऐसी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए 32% से 42% वर्धित कर विचलन के रूप में प्रदान किए गए अतिरिक्त राजवित्तीय स्थान का उपयोग करने का अनुरोध किया गया है। 31.10.2021 तक जघन्य अपराधों, स्त्रियों और बच्चों के विरुद्ध अपराधों, आदि के लिए 914 त्वरित निपटान न्यायालय कार्यरत हैं । निर्वाचित सांसदों/विधान सभा सदस्यों को अंर्तवलित करने वाले त्वरित निपटान अपराधिक मामलों के लिए नौ (9) राज्यों (मध्य-प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु,

कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर-प्रदेश, पश्चिमी बंगाल में प्रत्येक में 1 और राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, दिल्ली में 2) दस (10) विशेष न्यायालय स्थापित किए गए हैं । इसके अतिरिक्त, भारतीय दंड संहिता के अधीन बलात्कार और पॉक्सो अधिनियम के अधीन अपराधों के लम्बित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए सम्पूर्ण देश में 1023 त्वरित निपटान विशेष न्यायालय (एफटीएससी) की स्थापना करने के लिए सरकार ने एक स्कीम का अनुमोदन किया है । आज तारीख तक 28 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र 842 एफटीएससी की स्थापना करने के लिए स्कीम में सम्मिलित हुए हैं, जिसके अन्तर्गत 363 'विशिष्ट पॉक्सो न्यायालय' भी हैं । इस स्कीम के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 में 140 करोड़ रुपए जारी किए गए और वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान 160.00 करोड़ रुपए जारी किए गए । वर्तमान में, 681 एफटीएससी कार्यरत हैं जिनमें 381 'विशिष्ट पॉक्सो न्यायालय' भी हैं, जिन्होंने 31.10.2021 तक 64217 मामले निपटाए । एफटीएससी की स्कीम को और दो वर्षों (2021-23) तक 1572.86 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय हिस्से के रूप में 971.70 करोड़ रुपए हैं, निरन्तर रखने के लिए अनुमोदित किया गया है ।

(vii) इसके अतिरिक्त, न्यायालयों में लम्बन और अवरोध को कम करने के लिए, सरकार ने विभिन्न विधियों जैसे परक्राम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2018, वाणिज्यिक न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2018, विनिर्दिष्ट अनुतोष (संशोधन) अधिनियम, 2018, माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 तथा दांडिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 को हाल ही में संशोधित किया है ।

(ग): नागरिकों को उनके दरवाजे पर न्याय तक पहुंच प्रदान करने के लिए, केन्द्रीय सरकार ने ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 को अधिनियमित किया है । यह मध्यवर्ती पंचायत स्तर पर ग्राम न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करता है । राज्य सरकारें संबंधित उच्च न्यायालयों के परामर्श से ग्राम न्यायालयों की स्थापना करने के लिए उत्तरदायी हैं । तथापि, यह अधिनियम ग्राम न्यायालयों की स्थापना को बाध्यकारी नहीं बनाता । नेशनल फेडरेशन आफ सोसाइटी फार फास्ट जस्टिस और अन्य बनाम भारत संघ तथा अन्य (रिट याचिका (सिविल) सं. 1067/2019) के मामले में अपने आदेश तारीख 29.01.2020 द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय ने ग्राम न्यायालयों के लिए आवृत्ति अनुदान बढ़ाने के लिए प्रस्ताव पर विचार करने हेतु निदेशित किया था ।

ग्राम न्यायालय स्कीम को केन्द्रीय सरकार द्वारा और 5 (पांच) वर्षों के लिए 2025-26 तक 50 करोड़ रुपए के कुल बजट परिव्यय के साथ बढ़ाया गया है ।

(घ): राजस्थान राज्य सरकार और उच्च न्यायालय द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के अनुसार राजस्थान में 45 ग्राम न्यायालय अधिसूचित और प्रचालित किए गए हैं ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं 3329
जिसका उत्तर शुक्रवार, 17 दिसम्बर, 2021 को दिया जाना है

गरीब लोगों की न्याय तक पहुंच

+3329. श्री गोपाल चिन्नया शेट्टी :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत हो रहे न्यायाधीश द्वारा की गई उस टिप्पणी पर ध्यान दिया है जिसमें कहा गया है कि भारत में न्याय प्रणाली अमीर और शक्तिशाली लोगों के पक्ष में हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने देश के गरीब लोगों की न्याय तक पहुँच बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाए हैं तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है या किए जाने की संभावना है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ग) : सरकार ने सामान्य नागरिक को वहन करने योग्य, गुणवत्ता वाला और त्वरित न्याय उपलब्ध कराने के लिए कई उपाय किए हैं । विधिक सेवा प्राधिकरण (एलएसए) अधिनियम, 1987 की धारा 12 के अधीन आने वाले लाभार्थियों सहित समाज के कमजोर वर्गों को यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक या अन्य निर्योग्यताओं के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाए, मुफ्त और असक्षम विधिक सेवाएं प्रदान करता है और समान अवसर के आधार पर न्याय की उन्नति के लिए विधिक प्रणाली के प्रचालन को सुनिश्चित करने हेतु लोक अदालतों के आयोजन का उपबंध करता है । सरकार को इस संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है ।

इस प्रयोजन के लिए तालुका न्यायालय स्तर पर उच्चतम न्यायालय तक विधिक सेवा संस्थानों की स्थापना की गई है । अप्रैल, 2021 से सितंबर, 2021 की अवधि के दौरान 3.10 लाख व्यक्तियों को मुफ्त विधिक सहायता प्रदान की गई है और लोक अदालतों के माध्यम से 75.41 मामले (न्यायालयों में लंबित और मुकदमा पूर्व स्तर के विवाद) भी निपटाए गए हैं । कारागारों, प्रेक्षण गृहों, किशोर न्याय बोर्डों में विधिक सेवा क्लीनिक भी स्थापित किए गए हैं, जिन्हें विधिक सेवा प्राधिकरणों के पैनल अधिवक्ताओं और पैरा विधिक स्वयंसेवकों द्वारा चलाया जाता है । इसके अतिरिक्त न्याय तक साम्यापूर्ण पहुंच को समर्थ बनाने के लिए, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नाल्सा) ने जनसाधारण

की विधिक सहायता तक पहुंच को आसान बनाने के लिए एंड्रायड और आईओएस वर्जन पर विधिक सेवा मोबाइल एप भी शुरू की है ।

इसके अतिरिक्त सरकार ने दो महत्वपूर्ण विधिक सशक्तीकरण पहलें शुरू की हैं जिसमें विधिक सेवा प्राधिकरण (एलएसए) अधिनियम, 1987 की धारा 12 के अधीन मुफ्त विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्तियों को न्यायबंधू (प्रो-ब्रोनों लीगल सर्विसेस) कार्यक्रम से जोड़ना सम्मिलित है । इस कार्यक्रम के अधीन 3583 प्रो-बोनों अधिवक्ताओं को रजिस्ट्रीकृत किया गया है और लाभार्थियों द्वारा 1436 मामलें रजिस्ट्रीकृत कराए गए हैं । अन्य पहल, सरकार द्वारा चलाया जा रहा टैली-विधि कार्यक्रम है जो पंचायतों के सामान्य सेवा केन्द्र (सीएससी) के माध्यम से पैनल अधिवक्ताओं द्वारा मुकदमा पूर्व स्तर पर विधिक सेवा प्राधिकरण (एलएसए) अधिनियम, 1987 की धारा 12 के अधीन मुफ्त विधिक सहायता के लिए हकदार व्यक्तियों सहित लोगों को विधिक सलाह प्रदान करता है । टैली-विधि ने आज तक 12.5 से अधिक लाभार्थियों की सहायता की है ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं 3348
जिसका उत्तर शुक्रवार, 17 दिसम्बर, 2021 को दिया जाना है

उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामले

3348. श्री के .मुरलीधरन :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) देश भर में विभिन्न उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ अदालतों में लंबित मामलों की संख्या राज्य/संघ राज्यक्षेत्र वार कितनी है ;

(ख) क्या सरकार ने इस तथ्य पर ध्यान दिया है कि उच्च न्यायालय स्वीकृत संख्या की आधी संख्या पर कार्य कर रहे हैं, यदि तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार का उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के साथ-साथ केरल के सभी अधीनस्थ न्यायालयों में रिक्त पदों की आवश्यकता के अनुसार भर्ती किस प्रकार सुनिश्चित करने का विचार है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) : देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामलों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या क्रमश: **उपाबंध-1** और **उपाबंध-2** पर दी गई है ।

(ख) : उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की स्वीकृत पद संख्या 1098 न्यायधीश के विरुद्ध 404 रिक्त पदों को छोड़कर 694 न्यायाधीश कार्यरत हैं । उच्च न्यायालयों के संबंध में स्वीकृत पद संख्या, कार्यरत पद संख्या, रिक्तियों की स्थिति **उपाबंध-3** पर दी गई है ।

(ग) : उच्चतम न्यायालय की तारीख 28 अक्तूबर, 1998 की राय (तृतीय न्यायाधीश मामला) के साथ पठित उसके तारीख 6 अक्तूबर, 1993 के विनिश्चय (द्वितीय न्यायाधीश मामला) के अनुसरण में वर्ष 1998 में तैयार किए गए प्रक्रिया ज्ञापन (एमओपी) में विहित प्रक्रिया के अनुसार उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रस्ताव प्रारंभ करना संबद्ध उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति में निहित होता है । सरकार केवल उन नामों पर विचार करती है जिनकी उच्च न्यायालय कॉलेजियम और उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम द्वारा सिफारिश की जाती है ।

उच्च न्यायालयों में रिक्तियों का भरा जाना एक सतत, एकीकृत और सहयोगकारी प्रक्रिया है । इसमें राज्य और केन्द्रीय दोनों स्तरों पर विभिन्न संवैधानिक प्राधिकारियों से परामर्श करना और

उनका अनुमोदन अपेक्षित होता है । यद्यपि, विद्यमान रिक्तियों को शीघ्रता से भरने के लिए प्रत्येक प्रयास किया जाता है, रिक्तियां न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र या उन्नयन तथा न्यायाधीशों की पद संख्या में वृद्धि, के कारण उद्भूत होती रहती है ।

01.05.2014 से 14.12.2021 तक उच्चतम न्यायालय में 44 न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे । उच्च न्यायालयों में 690 नए न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे और 583 अपर न्यायाधीशों को स्थायी किया गया था । 01.01.2021 से आज तक की अवधि के दौरान उच्च न्यायालयों में 120 न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं । 167 प्रस्ताव, उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम और सरकार के पास लंबित/प्रक्रियाधीन है । अभी 237 पद रिक्त हैं जिनके लिए उच्च न्यायालयों से सिफारिशें प्राप्त नहीं हुई हैं ।

01.01.2021 से आज तक की अवधि के दौरान केरल उच्च न्यायालय में 12 न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं और तीन प्रस्ताव विचार-विमर्श के विभिन्न स्तरों पर हैं ।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 235 के अधीन, राज्यों में जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका के सदस्यों पर प्रशासनिक नियंत्रण संबद्ध उच्च न्यायालय में निहित होता है । इसके अतिरिक्त, संबंधित राज्य सरकार, संविधान के अनुच्छेद 233 और 234 के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परंतुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय के परामर्श से, राज्य न्यायिक सेवा के न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति, प्रौन्नति, आरक्षण, आदि. के मामलों से संबंधित नियम और विनियम विरचित करती है । अत:, जहां तक कि राज्यों में न्यायिक अधिकारियों की भर्ती का संबंध है कतिपय राज्यों में यह संबंधित उच्च न्यायालय करते हैं, जबकि अन्य राज्यों में यह राज्य लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श करके उच्च न्यायालय करते हैं ।

संविधान के अधीन संघ सरकार जिला/अधीनस्थ न्यायपालिका के न्यायिक अधिकारियों के चयन और नियुक्ति में कोई भूमिका नहीं निभाती है । उच्चतम न्यायालय ने मलिक मजहर सुल्तान मामलें में अपने 4 जनवरी, 2007के आदेश में अधीनस्थ न्यायापालिका की रिक्तियों को भरने के लिए अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और समय सीमा प्रकल्पित की है जो यह नियत करती है कि अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की भर्ती की प्रक्रिया कैलेण्डर वर्ष के 31 मार्च से प्रारंभ होगी और उसी वर्ष के 31 अक्तूबर तक समाप्त होगी । उच्चतम न्यायालय ने राज्य की विशिष्ट भौगोलिक और जलवायु स्थितियों या अन्य सुसंगत स्थितियों के आधार पर किन्हीं कठिनाइयों की दशा में समय अनुसूची में परिवर्तन करने के लिए राज्य सरकारों/उच्च न्यायालयों को अनुज्ञात किया है ।

इसके अतिरिक्त माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निदेशों के अनुपालन में न्याय विभाग ने सभी उच्च न्यायालयों के महारजिस्ट्रारों को आवश्यक कार्रवाई के लिए मलिक मजहर के निर्णय की एक प्रति भेजी थी । न्याय विभाग सभी उच्च न्यायालयों के महारजिस्ट्रारों को अधीनस्थ न्यायपालिका में रिक्ति को भरने में मलिक मजहर सुल्तान मामले द्वारा आज्ञापित तेजी लाने के लिए समय समय पर लिखता रहता है ।

सितंबर, 2016 में, संघीय विधि और न्याय मंत्री ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्तियों को जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की काडर संख्या में अभिवृद्धि करने और राज्य न्यायपालिका को भौतिक अवसंरचना प्रदान करने के लिए लिखा था । इसे मई, 2017 में पुन: दोहराया गया था । जिला और अधीनस्थ न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत पदसंख्या वर्ष 2014 में 19,518 से बढ़कर 30.11.2021 को 24,485 हो गई है । अगस्त, 2018 में, लंबित मामलों की संख्या की वृद्धि के संदर्भ में, केन्द्रीय विधि और न्याय मंत्री ने उच्च न्यायालयों के सभी मुख्य न्यायमूर्तियों को

नियमित रूप से रिक्तियों की प्रास्थिति मॉनीटर करने और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मलिक मजहर मामले में विहित समय सूची के अनुसार रिक्त पदों को भरने के लिए राज्य लोक सेवा आयोग के साथ उचित समन्वय सुनिश्चित करने के लिए लिखा था। रिक्तियों का भरा जाना उच्चतम न्यायालय द्वारा भी स्वप्रेरणा से 2018की रिट याचिका)सिविल (संख्या 2में मॉनीटर किया जा रहा है

****

उपाबंध-1

उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामले से संबंधित लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3348 जिसका उत्तर 17.12.2021 को दिया जाना है, के भाग (क) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

क्रं.सं.	उच्च न्यायालयों के नाम	लंबित मामलें (सिविल)	लंबित मामलें (दाण्डिक)	13.12.2021तक उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या
1.	इलाहाबाद उच्च न्यायालय	417768	383245	801013
2.	कलकत्ता उच्च न्यायालय	190162	35447	225609
3.	गुवाहाटी उच्च न्यायालय	44445	10761	55206
4.	तेलंगाना राज्य के लिए उच्च न्यायालय	218659	35464	254123
5.	आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय	188963	32825	221788
6.	बॉम्बे का उच्च न्यायालय	470084	93726	563810
7.	छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय	51000	29474	80474
8.	दिल्ली का उच्च न्यायालय	74213	26880	101093
9.	गुजरात का उच्च न्यायालय	101465	50665	152130
10.	हिमाचल प्रदेश का उच्च न्यायालय	71342	9992	81334
11.	जम्मू और कश्मीर के उच्च न्यायालय	41457	6670	48127
12.	झारखंड का उच्च न्यायालय	41942	45198	87140
13.	कर्नाटक उच्च न्यायालय	232110	40858	272968
14.	केरल उच्च न्यायालय	170016	43160	213176
15.	मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय	256719	156748	413467
16.	मणिपुर उच्च न्यायालय	4303	474	4777
17.	मेघालय उच्च न्यायालय	1408	204	1612
18.	पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय	283253	164658	447911
19.	राजस्थान उच्च न्यायालय	422805	151647	574452
20.	सिक्किम उच्च न्यायालय	155	33	188
21.	त्रिपुरा उच्च न्यायालय	1517	204	1721
22.	उत्तराखंड उच्च न्यायालय	24185	17406	41591
23.	मद्रास उच्च न्यायालय	520418	58153	578571
24.	उड़ीसा उच्च न्यायालय	139829	51752	191581
25.	पटना उच्च न्यायालय	112806	113973	226779
कुल		**4081024**	**1559617**	**5640641**

स्रोत :- राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी).

उपाबंध-2

उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामले से संबंधित लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3348 जिसका उत्तर 17.12.2021 को दिया जाना है, के भाग (क) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	लंबित मामलें (सिविल)	लंबित मामलें (दाण्डिक)	13.12.2021तक जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	413386	358955	772341
2.	तेलंगाना	328829	475421	804250
3.	असम	86566	327950	414516
4.	बिहार	473790	2897386	3371176
5.	चंडीगढ़	22723	45341	68064
6.	छत्तीसगढ़	68945	301892	370837
7.	दादरा और नागर हवेली	1740	1920	3660
8.	दमण और दीव	1389	1466	2855
9.	दिल्ली	241300	850632	1091932
10.	गोवा	25750	35535	61285
11.	गुजरात	459288	1499829	1959117
12.	हरियाणा	429063	839183	1268246
13.	हिमाचल प्रदेश	153640	294670	448310
14.	जम्मू-कश्मीर	95828	147198	243026
15.	झारखंड	89167	405426	494593
16.	कर्नाटक	876561	1119919	1996480
17.	केरल	517243	1436017	1953260
18.	लद्दाख।	398	426	824
19.	मध्य प्रदेश	377780	1463105	1840885
20.	महाराष्ट्र	1477536	3366054	4843590
21.	मणिपुर	8430	4430	12860
22.	मेघालय	4210	9881	14091
23.	मिजोरम	2202	3742	5944
24.	नागालैंड	489	2109	2598
25.	ओडिशा	303368	1212366	1515734
26.	पंजाब	391687	525185	916872
27.	राजस्थान	515566	1496159	2011725
28.	सिक्किम	674	1193	1867
29.	तमिलनाडु	759650	606749	1366399
30.	पुडुचेरी	15381	19720	35101
31.	त्रिपुरा	9151	30134	39285
32.	उत्तर प्रदेश	1908209	7951414	9859623
33.	उत्तराखंड	44417	256002	300419
34.	पश्चिमी बंगाल	604073	1976528	2580601
कुल		**10708429**	**29963937**	**40672366**

***टिप्पणः- अरुणाचल प्रदेश राज्य तथा लक्ष्यदीप और अंदमान निकोबार दीव समूह संघ राज्यक्षेत्रों में जिला और अधीनस्थ न्यायालयों पर डाटा एनजेडीजी के वेब पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है ।**

उपाबंध-3

उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामले से संबंधित लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3348 जिसका उत्तर 17.12.2021 को दिया जाना है, के भाग (ख) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

क्र.सं.	उच्च न्यायालय का नाम	कुल स्वीकृत पद संख्या	कुल कार्यरत पद संख्या	कुल रिक्तियां
क	भारत का उच्चतम न्यायालय	**34**	**33**	**01**
ख	उच्च न्यायालय			
1.	इलाहाबाद	160	94	66
2.	आंध्र प्रदेश	37	20	17
3.	बम्बई	94	60	34
4.	कलकत्ता	72	39	33
5.	छत्तीसगढ़	22	13	9
6.	दिल्ली	60	30	30
7.	गौहाटी	24	24	0
8.	गुजरात	52	32	20
9.	हिमाचल प्रदेश	13	9	4
10.	जम्मू - कश्मीर और लद्दाख	17	13	4
11.	झारखंड	25	20	5
12.	कर्नाटक	62	45	17
13.	केरल	47	40	7
14.	मध्य प्रदेश	53	30	23
15.	मद्रास	75	60	15
16.	मणिपुर	05	5	0
17.	मेघालय	04	3	1
18.	उड़ीसा	27	18	9
19.	पटना	53	26	27
20.	पंजाब और हरियाणा	85	50	35
21.	राजस्थान	50	28	22
22.	सिक्किम	03	3	0
23.	तेलंगाना	42	19	23
24.	त्रिपुरा	05	5	0
25.	उत्तराखंड	11	8	3
कुल		**1098**	**694**	**404**

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं 3361
जिसका उत्तर शुक्रवार, 17 दिसम्बर, 2021 को दिया जाना है

मामलों की सुनवाई की लंबी तारीखें

+3361. श्री प्रतापराव पाटिल चिखलीकर :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निश्चित समय में मामलों के निपटान हेतु कोई कार्य योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अदालतें अनावश्यक रूप से मामलों की सुनवाई की लंबी तारीखें दे रही हैं ; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (घ) : न्यायालयों में लम्बित मामलों का निपटारा न्यायपालिका के कार्यक्षेत्र में है । संबंधित न्यायालयों द्वारा विभिन्न प्रकार के मामलों के निपटारे के लिए कोई समय-सीमा विहित नहीं की गई है । न्यायालयों में मामलों के निपटारे में सरकार की कोई भूमिका नहीं है । न्यायालयों में मामलों का समय पूर्ण निपटारा बहुत से कारकों पर निर्भर करता है जिसमें, अन्य बातों के साथ, न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों, सहायक न्यायालय कर्मचारिवृन्द की पर्याप्त संख्या और भौतिक अवसंरचना की उपलब्धता, अंतर्वलित तथ्यों की जटिलता, साक्ष्य की प्रकृति, पणधारियों अर्थात् बार, अन्वेषण अभिकरणों, साक्षियों तथा मुवक्किलों का सहयोग और नियमों और प्रक्रियाओं का समुचित उपयोजन, सम्मिलित है । ऐसे कई अन्य कारक हैं जिनके कारण मामलों के निपटारे में विलम्ब होता है । इनके अन्तर्गत, अन्य बातों के साथ, न्यायाधीशों की रिक्तियां, बारंबार स्थगन तथा सुनवाई के लिए मामलों को मॉनिटर, निगरानी और इकठ्ठा करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था का अभाव है । केन्द्रीय सरकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार मामलों के त्वरित निपटारे तथा बकाया को कम करने के लिए पूर्णतया प्रतिबद्ध है । सरकार ने न्यायपालिका द्वारा मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए एक पारिस्थितिक प्रणाली प्रदान करने के लिए कई कदम उठाए हैं ।

न्याय के परिदान और विधिक सुधार के लिए राष्ट्रीय मिशन का गठन अगस्त, 2011 में न्याय प्रणाली में विलम्ब और बकाया को कम करके और संरचनात्मक परिवर्तनों के माध्यम से जबावदेही

बढ़ाकर तथा निष्पादन मानक और क्षमताओं को नियत करके दोहरे उद्देश्यों के साथ दिया गया था । मिशन, न्याय प्रशासन में बकाया और लंबन के चरणवार कम करके के लिए एक समन्वित पहुंच अपना रहा है, जिसमें, अन्य बातों के साथ, न्यायालयों के लिए बेहतर अवसंरचना, जिसके अन्तर्गत कम्प्यूटरीकरण, अधीनस्थ न्यायपालिका की संख्या में वृद्धि, अत्यधिक मुकदमेबाजी वाले क्षेत्रों में नीतिगत और विधायी उपाय, मामलों के त्वरित निपटारे के लिए न्यायालय प्रक्रिया का पुनः प्रबंधन तथा मानव संसाधन के विकास पर जोर भी है ।

25 मार्च, 2020 से राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा के पश्चात्, संबंधित उच्च न्यायालयों द्वारा उनकी प्रशासनिक अधिकारिता के अधीन अधीनस्थ न्यायालयों को स्थानीय दशाओं पर निर्भर करते हुए आभासी या भौतिक ढंग से आवश्यक सिविल और दांडिक मामलों की सुनवाई के लिए समय-समय पर निदेश जारी किए गए हैं । अधिकतर उच्च न्यायालयों ने जिला और अधीनस्थ न्यायालयों को यह और सलाह दी है कि जहां कोई भी शटडाउन/लॉकडाउन नहीं है, वे जहां तक संभव हो आभासी/भौतिक ढंग से सामान्य कार्यकरण पुनः आरम्भ करे तथा सभी प्रकार के मामलों, जिनके अन्तर्गत विचाराधीन बंदी, सिविल मामलों का विचारण, वैवाहिक विवाद, बच्चों की अभिरक्षा के मामले, साक्ष्य का अभिलेखन और अन्य पुराने मामले भी हैं, की सुनवाई करें ।

विभिन्न पहलों के अधीन पिछले छह वर्षों में उठाए गए प्रमुख कदम निम्नानुसार हैं :-

(i) **जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों के लिए अवसंरचना में सुधार करना:** वर्ष 1993-94 में न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए केंद्रीकृत प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) के प्रारंभ से आजतक 8709.77 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं । इस स्कीम के अधीन, न्यायालय हालों की संख्या, जो तारीख 30.06.2014 को 15,818 थी, बढ़कर तारीख 31.10.2021 तक 20,565 हो गई है और आवासीय इकाइयों की संख्या जो तारीख 30.06.2014 को 10,211 थी, से बढ़कर तारीख 31.10.2021 तक 18,142 हो गई है । इसके अतिरिक्त, 2,841 न्यायालय हाल और 1,807 आवासीय ईकाइयां निर्माणाधीन हैं । न्यायपालिका हेतु अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास हेतु केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम 9000 करोड़ रुपए की कुल लागत के साथ 2025-26 तक बढ़ा दी गई है जिसमें से केन्द्रीय हिस्सा 5307 करोड़ रुपए होगा । न्यायालय हालों तथा आवासीय इकाइयों के संनिर्माण के अतिरिक्त, इसके अन्तर्गत अधिवक्ता हालों, शौचालय परिसरों तथा डिजीटल कम्प्यूटर कक्षों का संनिर्माण भी होगा ।

(ii) **न्याय के परिदान में सुधार के लिए सूचना और संसूचना प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का लाभ उठाना :** सरकार, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के सूचना और संसूचना प्रोद्योगिकी समर्थकरण के लिए देशभर में ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना का कार्यान्वयन कर रही है । 01.07.2021 तक कंप्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की संख्या में 18,735 की वृद्धि हुई है । 98.7% न्यायालय परिसरों में डब्ल्यूएएन कनेक्टिविटी प्रदान की गई है । मामले की सूचना का साफ्टवेयर का नया और उपयोक्ता अनुकूल संस्करण विकसित करके सभी कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में लगाया गया है । सभी पणधारी, जिनके अंतर्गत न्यायिक अधिकारी भी हैं, राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एन जे डी जी) पर कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों तथा उच्च न्यायालयों की न्यायिक कार्यवाहियों/निर्णयों से संबंध सूचना प्राप्त कर सकते हैं । तारीख 01.11.2021 तक इन न्यायालयों से संबंधित 19.56 करोड़ मामलों तथा 15.72 करोड़

आदेशों/निर्णयों की प्रास्थिति जान सकते हैं । ई-न्यायालय सेवाएं जैसे कि मामला रजिस्ट्रीकरण के ब्यौरे, वाद सूची, मामला प्रास्थिति, दैनिक आदेश और अंतिम निर्णय, ई-न्यायालय वैब पोर्टल, सभी कंप्यूटरीकृत न्यायालयों में न्यायिक सेवा केंद्र (जेएससी), ई-न्यायालय मोबाइल एप, ई-मेल सेवा, एसएमएस पुश और पुल सेवा के माध्यम से मुवक्किलों और अधिवक्ताओं को उपलब्ध हैं । 3240 न्यायालय परिसरों तथा 1272 सादृश्य कारागारों के बीच वीडियो कान्फरेंसिंग सुविधा को समर्थ बनाया गया है । कोविड-19 की चुनौतियों का बेहतर ढंग से सामना करने तथा आगामी सुनवाई में संक्रमण को अधिक आसान बनाने की दृष्टि से, मामले की प्रास्थिति से लेकर निर्णय/आदेशों को प्राप्त करने, न्यायालय/मामले संबंधित सूचना और ई-फाइलिंग सुविधाओं तक सहायता की आवश्यकता वाले अधिवक्ताओं तथा मुवक्किलों को सुविधा प्रदान करने के लिए न्यायालय परिसरों में 235-ई सेवा केन्द्रों का गठन करने के लिए निधियों की व्यवस्था की गई है । विभिन्न न्यायालय परिसरों में वीडियो कान्फ्रेंसिंग केबिनों में आभासी सुनवाई की सुविधा प्रदान करने के लिए उपकरणों की व्यवस्था करने हेतु 5.01 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं । विभिन्न न्यायालय परिसरों में, ई-फाइलिंग के हेतु 1732 हेल्प डेस्क काउंटरों के लिए 12.12 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं ।

यातायात संबंधी अपराधों के विचार हेतु 11 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों अर्थात् दिल्ली (2), हरियाणा, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल (2), महाराष्ट्र (2), असम, छत्तीसगढ़, जम्मू-कश्मीर (2), उत्तर प्रदेश और ओडिशा में पन्द्रह आभासी न्यायालय गठित किए गए हैं । तारीख 01.11.2021 तक इन न्यायालयों ने 99 लाख से अधिक मामले निपटाए तथा 193.15 करोड़ रुपए जुर्माने के रुप में वसूल किए ।

कोविड लॉकडाउन अवधि के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, न्यायालयों के सहारे के रूप में उभरा, क्योंकि सामूहिक ढंग से भौतिक सुनवाईयां और सामान्य न्यायालय कार्यवाहियां संभव नहीं थी । कोविड लॉकडाउन आरम्भ होने के समय से 31.10.2021 तक केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का प्रयोग करके जिला न्यायालयों ने 1,01,77,289 सुनवाइयां और उच्च न्यायालयों ने 55,24,021 (कुल 1.57 करोड़) सुनवाइयां की हैं । उच्चतम न्यायालय ने लॉकडाउन अवधि आरम्भ होने के समय से 29.10.2021 तक 1,50,692 सुनवाइयां कीं ।

(iii) **उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय तथा जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में रिक्तियों को भरा जाना :** तारीख 01.05.2014 से 29.11.2021 तक उच्चतम न्यायालय में 44 न्यायमूर्ति नियुक्त किए गए थे । उच्च न्यायालयों में 688 नए न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे और 583 अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी किया गया था । उच्च न्यायालयों के न्यायमूर्तियों की स्वीकृत पद संख्या जो मई, 2014 में 906 थी, को बढ़ाकर वर्तमान में 1098 किया गया है । जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत और कार्यरत पद संख्या निम्न प्रकार बढ़ाई गई हैं :

तारीख को	स्वीकृत पदसंख्या	कार्यरत पदसंख्या
31.12.2013	19,518	15,115
13.12.2021	24,489	19,356

तथापि, अधीनस्थ न्यायपालिका में रिक्तियों को भरना संबंधित राज्य सरकारों तथा उच्च न्यायालयों के कार्यक्षेत्र में है ।

(iv) **बकाया समिति के माध्यम से/अनुसरण द्वारा लम्बित मामलों में कमी:** अप्रैल, 2015 में आयोजित मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में पारित संकल्प के अनुसरण में, उच्च न्यायालयों में पांच वर्ष से अधिक लम्बित मामलों के निपटान के लिए बकाया समितियां गठित की गई है। बकाया समितियां, जिला न्यायाधीशों के अधीन भी गठित की गई है। उच्चतम न्यायालय में उच्च न्यायालयों तथा जिला न्यायालयों में लम्बित मामलों में कमी के लिए कदम प्रतिपादित के लिए बकाया समिति गठित की गई है । भूतकाल में विधि और न्याय मंत्री द्वारा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों तथा मुख्यमंत्रियों को, पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों तथा लंबन घटाने के अभियान की ओर उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए, मामले को उठाया गया है । विभाग ने मलिमथ समिति की रिपोर्ट के बकाया उन्मूलन स्कीम मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुपालन पर सभी उच्च न्यायालयों द्वारा रिपोर्ट करने के लिए एक आनलाइन पोर्टल विकसित किया है ।

(v) **वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) पर जोर देना:** वाणिज्यिक न्यायालय, अधिनियम, 2015, (20 अगस्त, 2018 को यथासंशोधित) वाणिज्यिक विवादों के निपटारे के लिए आज्ञापक पूर्व-संस्थान मध्यकता क्रियाविधि पर जोर देता है। माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 द्वारा माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 का विहित समय-सीमा में विवादों के त्वरित निपटान समाधान को शीघ्र बनाने के लिए संशोधन किया गया है।

(vi) **विशेष प्रकार के मामलों के त्वरित निपटान के लिए पहल :** चौदहवें वित्त आयोग ने राज्यों में न्यायिक प्रणाली को मजबूत करने के सरकार के प्रस्ताव का समर्थन किया है जिसमें, अन्य बातों के साथ, जघन्य अपराधों के मामलों के लिए; ज्येष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बच्चों आदि को अंर्तवलित करने वाले मामलों के लिए त्वरित निपटान न्यायालयों की स्थापना भी सम्मिलित है और राज्य सरकारों से ऐसी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए 32% से 42% वर्धित कर विचलन के रूप में प्रदान किए गए अतिरिक्त राजवित्तीय स्थान का उपयोग करने का अनुरोध किया गया है। 31.10.2021 तक जघन्य अपराधों, स्त्रियों और बच्चों के विरुद्ध अपराधों, आदि के लिए 914 त्वरित निपटान न्यायालय कार्यरत हैं । निर्वाचित सांसदों/विधान सभा सदस्यों को अंर्तवलित करने वाले त्वरित निपटान अपराधिक मामलों के लिए नौ (9) राज्यों (मध्य-प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर-प्रदेश, पश्चिमी बंगाल में प्रत्येक में 1 और राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, दिल्ली में 2) दस (10) विशेष न्यायालय स्थापित किए गए हैं । इसके अतिरिक्त, भारतीय दंड संहिता के अधीन बलात्कार और पॉक्सो अधिनियम के अधीन अपराधों के लम्बित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए सम्पूर्ण देश में 1023 त्वरित निपटान विशेष न्यायालय (एफटीएससी) की स्थापना करने के लिए सरकार ने एक स्कीम का अनुमोदन किया है । आज तारीख तक 28 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र 842 एफटीएससी की स्थापना करने के लिए स्कीम में सम्मिलित हुए हैं, जिसके अन्तर्गत 363 'विशिष्ट पॉक्सो न्यायालय' भी हैं । इस स्कीम के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 में 140 करोड़ रुपए जारी किए गए और वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान 160.00 करोड़ रुपए जारी किए गए । वर्तमान में, 681 एफटीएससी कार्यरत हैं जिनमें 381 'विशिष्ट पॉक्सो न्यायालय' भी हैं, जिन्होंने 31.10.2021 तक 64217 मामले निपटाए । एफटीएससी की स्कीम को और दो वर्षों (2021-23) तक 1572.86

करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय हिस्से के रूप में 971.70 करोड़ रुपए हैं, निरन्तर रखने के लिए अनुमोदित किया गया है ।

(vii) इसके अतिरिक्त, न्यायालयों में लम्बन और अवरोध को कम करने के लिए, सरकार ने विभिन्न विधियों जैसे परक्राम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2018, वाणिज्यिक न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2018, विनिर्दिष्ट अनुतोष (संशोधन) अधिनियम, 2018, माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 तथा दांडिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 को हाल ही में संशोधित किया है ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं 3378
जिसका उत्तर शुक्रवार, 17 दिसम्बर, 2021 को दिया जाना है

न्यायालय के आदेशों का डिजिटलीकरण

3378. डॉ. डी. रविकुमार :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय द्वारा जेल प्राधिकारियों को उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के जमानत आदेशों सहित अदालती आदेशों की सुपुर्दगी को डिजिटल बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ;

(ख) क्या सरकार ने उन जेल प्राधिकारियों के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई की है जिन्होंने जानबूझकर कैदियों की रिहाई में देरी की है एवं यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार क्या कारण हैं ; और

(ग) इंटरनेट सुविधा और सीसीटीवी कैमरे वाली केंद्रीय और जिला जेलों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) : 2021 की रिट याचिका सं. 4 में स्वप्रेरणा से तारीख 16.7.2021 और 23.9.2021 के उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में, त्वरित प्रणाली (इलेक्ट्रानिक अभिलेखों का त्वरित और सुरक्षित पारेषण) को एक सुरक्षित इलेक्ट्रानिक संचार चैनल के माध्यम से अनुपालन और सम्यक् निष्पादन के लिए कर्तव्यधारकों को अंतरिम आदेशों, जमानत आदेशों और कार्यवाही के अभिलेख की ई-प्रमाणित प्रतियों के पारेषण को समर्थ करने के लिए कार्यान्वयन हेतु लागू किया गया है । उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों के लिए, एप्लिकेशन प्रोग्राम इंटरफेस (एपीआई) के माध्यम से जमानत आदेशों, ई-कारागार साफ्टवेयर और मामला सूचना साफ्टवेयर के एकीकरण सहित न्यायालय आदेशों के परिदान को डिजिटल करने के लिए किया जा रहा है ।

(ख) : कारागारों का प्रबंधन और प्रशासन विशेष रूप से राज्य सरकार के कार्यक्षेत्र में आता है और अतः जेल प्राधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई का विवरण केन्द्रीय रूप से नहीं रखा जाता है ।

(ग) : राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, कारागारों में लगे सीसीटीवी कैमरों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार प्रास्थिति उपाबंध पर उपबंधित की गई है । तथापि, राष्ट्रीय

अपराध रिकार्ड ब्यूरो केन्द्रीय और जिला कारागारों में इंटरनेट सुविधा की उपलब्धता पर पृथक डाटा नहीं रखता है ।

****

उपाबंध

न्यायालय के आदेशों का डिजिटलीकरण के संबंध में लोकसभा अतांराकित प्रश्न संख्या 3378 जिसका उत्तर 17.12.2021 को दिया जाना है, के उत्तर में यथानिर्दिष्ट विवरण । कारागारों में लगाए गए सीसीटीवी की संख्या की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार प्रास्थिति 31.12.2019 से आज तक

क्र सं.	राज्य/संघ क्षेत्रवार	सीसीटीवी की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	258
2	अरुणाचल प्रदेश	58
3	असम	200
4	बिहार	1044
5	छत्तीसगढ़	1612
6	गोवा	17
7	गुजरात	2314
8	हरियाणा	552
9	हिमाचल प्रदेश	366
10	जम्मू - कश्मीर	1005
11	झारखंड	1274
12	कर्नाटक	928
13	केरल	826
14	मध्य प्रदेश	592
15	महाराष्ट्र	1580
16	मणिपुर	36
17	मेघालय	74
18	मिजोरम	0
19	नागालैंड	11
20	ओडिशा	1520
21	पंजाब	879
22	राजस्थान	1529
23	सिक्किम	2
24	तमिलनाडु	67
25	तेलगांना	1061
26	त्रिपुरा	139
27	उत्तर प्रदेश	2757
28	उत्तराखंड	77
29	पश्चिम बंगाल#	280
30	अडंमान और निकोबार द्वीप समूह	8
31	चंडीगढ़	157
32	दादरा और नगर हवेली	25
33	दमन और दीव	70
34	दिल्ली	1130
35	लक्षद्वीप	0
36	पुडुचेरी	8
	कुल योग (समस्त भारत)	**22456**

वर्ष 2018 और 2019 के लिए पश्चिम बंगाल से आंकड़े प्राप्त न होने के कारण, 2017 के प्रस्तुत आंकड़ों का उपयोग किया गया है ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं 3378
जिसका उत्तर शुक्रवार, 17 दिसम्बर, 2021 को दिया जाना है

न्यायालय के आदेशों का डिजिटलीकरण

3378. डॉ. डी. रविकुमार :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय द्वारा जेल प्राधिकारियों को उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के जमानत आदेशों सहित अदालती आदेशों की सुपुर्दगी को डिजिटल बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ;

(ख) क्या सरकार ने उन जेल प्राधिकारियों के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई की है जिन्होंने जानबूझकर कैदियों की रिहाई में देरी की है एवं यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार क्या कारण हैं ; और

(ग) इंटरनेट सुविधा और सीसीटीवी कैमरे वाली केंद्रीय और जिला जेलों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) : 2021 की रिट याचिका सं. 4 में स्वप्रेरणा से तारीख 16.7.2021 और 23.9.2021 के उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में, त्वरित प्रणाली (इलेक्ट्रानिक अभिलेखों का त्वरित और सुरक्षित पारेषण) को एक सुरक्षित इलेक्ट्रानिक संचार चैनल के माध्यम से अनुपालन और सम्यक् निष्पादन के लिए कर्तव्यधारकों को अंतरिम आदेशों, जमानत आदेशों और कार्यवाही के अभिलेख की ई-प्रमाणित प्रतियों के पारेषण को समर्थ करने के लिए कार्यान्वयन हेतु लागू किया गया है । उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों के लिए, एप्लिकेशन प्रोग्राम इंटरफेस (एपीआई) के माध्यम से जमानत आदेशों, ई-कारागार साफ्टवेयर और मामला सूचना साफ्टवेयर के एकीकरण सहित न्यायालय आदेशों के परिदान को डिजिटल करने के लिए किया जा रहा है ।

(ख) : कारागारों का प्रबंधन और प्रशासन विशेष रूप से राज्य सरकार के कार्यक्षेत्र में आता है और अतः जेल प्राधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई का विवरण केन्द्रीय रूप से नहीं रखा जाता है ।

(ग) : राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, कारागारों में लगे सीसीटीवी कैमरों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार प्रास्थिति उपाबंध पर उपबंधित की गई है । तथापि, राष्ट्रीय

अपराध रिकार्ड ब्यूरो केन्द्रीय और जिला कारागारों में इंटरनेट सुविधा की उपलब्धता पर पृथक डाटा नहीं रखता है ।

****

उपाबंध

न्यायालय के आदेशों का डिजिटलीकरण के संबंध में लोकसभा अतांराकित प्रश्न संख्या 3378 जिसका उत्तर 17.12.2021 को दिया जाना है, के उत्तर में यथानिर्दिष्ट विवरण । कारागारों में लगाए गए सीसीटीवी की संख्या की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार प्रास्थिति 31.12.2019 से आज तक

क्र सं.	राज्य/संघ क्षेत्रवार	सीसीटीवी की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	258
2	अरुणाचल प्रदेश	58
3	असम	200
4	बिहार	1044
5	छत्तीसगढ़	1612
6	गोवा	17
7	गुजरात	2314
8	हरियाणा	552
9	हिमाचल प्रदेश	366
10	जम्मू - कश्मीर	1005
11	झारखंड	1274
12	कर्नाटक	928
13	केरल	826
14	मध्य प्रदेश	592
15	महाराष्ट्र	1580
16	मणिपुर	36
17	मेघालय	74
18	मिजोरम	0
19	नागालैंड	11
20	ओडिशा	1520
21	पंजाब	879
22	राजस्थान	1529
23	सिक्किम	2
24	तमिलनाडु	67
25	तेलगांना	1061
26	त्रिपुरा	139
27	उत्तर प्रदेश	2757
28	उत्तराखंड	77
29	पश्चिम बंगाल#	280
30	अडंमान और निकोबार द्वीप समूह	8
31	चंडीगढ़	157
32	दादरा और नगर हवेली	25
33	दमन और दीव	70
34	दिल्ली	1130
35	लक्षद्वीप	0
36	पुडुचेरी	8
	कुल योग (समस्त भारत)	**22456**

वर्ष 2018 और 2019 के लिए पश्चिम बंगाल से आंकड़े प्राप्त न होने के कारण, 2017 के प्रस्तुत आंकड़ों का उपयोग किया गया है ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं 3395
जिसका उत्तर शुक्रवार, 17 दिसम्बर, 2021 को दिया जाना है

ग्रामीण क्षेत्रों में मामलों का त्वरित निपटान

3395. श्री श्याम सिंह यादव :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक मामले भूमि विवाद से संबंधित हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा ऐसे मामलों के त्वरित निपटान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) और (ख) : उच्च न्यायालयों, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के विभिन्न मामलों का अभिलेख राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) द्वारा रखा जाता है । तथापि, एनजेडीजी ग्रामीण क्षेत्रों के भूमि विवाद मामलों के किसी पृथक वर्ग का रखरखाव नहीं करता है । इसके अतिरिक्त भूमि और उसका प्रबंधन संबंधित राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है और यह भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II- राज्य सूची में अंकित है ।

तथापि, भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय का भूमि संसाधन विभाग "डिजिटल इंडिया लैंड रिकार्ड मार्डनाइजेशन प्रोग्राम" कार्यान्वित कर रहा है, जो अन्य बातों के साथ अधिकार अभिलेखों, भू-कर मानचित्रों के डिजिटलीकरण, रजिस्ट्रीकरण का कंप्यूटरीकरण और रजिस्ट्रीकरण का राजस्व अधिकारियों के साथ एकीकरण का उपबंध करता है जिसके परिणामस्वरुप अंततोगत्वा भूमि विवादों में कुछ हद तक कमी आई है । इसके अतिरिक्त राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों ने भू-अभिलेखों को ई-न्यायालय परियोजना से जोड़ने का अनुरोध किया है । भूमि संसाधन विभाग ने हरियाणा, उत्तरप्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों में प्रायोगिक आधार पर भू-अभिलेख सूचना को ई-न्यायालय परियोजना की मामला सूचना प्रणाली (सीआईएस) के साथ एकीकृत करने के लिए एक परियोजना प्रारंभ की है ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं 3422
जिसका उत्तर शुक्रवार, 17 दिसम्बर, 2021 को दिया जाना है

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की पीठ

+3422. श्री हाजी फजलुर रहमान :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उच्चन्यायालय की पीठ स्थापित करने का है :

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या सरकार ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वकीलों के प्रतिनिधिमंडल को इस संबंध में चर्चा करने के आमंत्रित किया है और उनसे सुझाव मांगे हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ग) : उच्च न्यायालयों की खंडपीठें, जसवंत सिंह आयोग द्वारा की गई सिफारिशों और वर्ष 2000 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 379 में शीर्ष न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार और उस राज्य सरकार, जिसे आवश्यक व्यय और अवसंरचना प्रसुविधाएं प्रदान करनी हैं के किसी पूर्ण प्रस्ताव पर विचार करने के पश्चात् और संबंधित उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जिसके द्वारा उच्च न्यायालय के दिन प्रतिदिन का प्रशासन किया जाना अपेक्षित है, स्थापित की जाती है । पूर्ण किए जाने वाले प्रस्ताव पर संबंधित राज्य के राज्यपाल की सहमति भी होनी चाहिए ।

वर्तमान में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित करने के लिए कोई पूर्ण प्रस्ताव सरकार के समक्ष लंबित नहीं है ।

(घ) से (ङ) : जी, नहीं, तथापि, 07 नवम्बर, 2021 को मेरठ, मुरादाबाद, गौतमबुद्ध नगर और मुज्जफरनगर की बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं का एक संयुक्त प्रतिनिधि मंडल विधि और न्याय मंत्री से मिला था और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की खंडपीठ के लिए निवेदन किया था ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं 3428
जिसका उत्तर शुक्रवार, 17 दिसम्बर, 2021 को दिया जाना है

महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के लिए त्वरित न्याय प्रणाली

+3428. श्री रामा शिरोमणि वर्मा :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार महिलाओं के विरुद्ध हो रहे बालात्कार, उत्पीड़न आदि जैसे जेघन्य अपराधों के बढ़ते मामलों में त्वरित न्याय सुनिश्चित करने हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित करने पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ख) : न्यायालयों में लंबित वादों का निपटारा न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में है । संबंधित न्यायालयों द्वारा विभिन्न प्रकार के मामलों के निपटान के लिए कोई समय-सीमा विहित नहीं की गई है । सरकार की न्यायालय में मामलों के निपटान में कोई भूमिका नहीं है । न्यायालयों में वादों का समय से निपटारा विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ न्यायधीशों और न्यायिक अधिकारियों की पर्याप्त संख्या की उपलब्धता, सहायक न्यायालय कर्मचारीवृन्द और भौतिक अवसंरचना, साक्ष्य की प्रकृति, पणधारियों का सहयोग, बार, अन्वेषण एजेंसिओं, साक्षियेओं और वादकारी तथा नियमों और प्रक्रियाओं का उचित अनुप्रयोग सहित तथ्यों की जटिलता शामिल है । कई कारक हैं जिनके कारण मामलों के निपटान में देरी हो रही है । इसमें अन्य बातों के साथ-साथ न्यायाधीशों की रिक्तियां, बार-बार स्थगन और सुनवाई के लिए निगरानी, ट्रैक और एकत्र मामलों के लिए पर्याप्त व्यवस्था की कमी शामिल है । केन्द्रीय सरकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार मामलों के त्वरित निपटान करने और लंबितता को कम करने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है । सरकार ने न्यायपालिका द्वारा मामलों के त्वरित निपटान के लिए पारिस्थितिकी तंत्र का उपबंध करने के लिए विभिन्न पहल की है । 14वें वित्त आयोग ने राज्य में न्यायिक तंत्र को मजबूत करने के लिए सरकार के प्रस्ताव का समर्थन किया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ जघन्य अपराधों सहित वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बालकों आदि के मामलों के लिए त्वरित निपटान न्यायालय स्थापित करने और ऐसी अपेक्षाओं पूरा करने के लिए 32 प्रतिशत से 42 प्रतिशत तक वर्धित कर न्यागमन के रूप में उपबंधित अतिरिक्त राजस्व विस्तार के प्रयोग के लिए राज्य सरकार से अनुरोध किया है ।

31.10.2021 तक 914 त्वरित निपटान न्यायालय जघन्य अपराधों, महिला और बालकों के विरूद्ध अपराधों के लिए कार्य कर रहे हैं । इसके अतिरिक्त सरकार ने भारतीय दंड संहिता के अधीन बलात्संग और पॉक्सो अधिनियम के अधीन अपराधों के लंबित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए संपूर्ण देश में 1023 त्वरित निपटान विशेष न्यायालय (एफटीएससी) स्थापित करने के लिए स्कीम को अनुमोदित किया है । आज तक 28 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों ने 842 एफटीएससी जिसमें 363 'अनन्य पोक्सो न्यायालय' शामिल हैं, को स्थापित करने के लिए स्कीम में शामिल हुए है । स्कीम के लिए 140 करोड़ रुपए वित्तीय वर्ष 2019-20 में जारी किए गए थे और 160 करोड़ रुपए वित्तीय वर्ष 2020-21 में जारी किए गए हैं । 681 एफटीएससी जिसमें 381 अनन्य पोक्सो न्यायालय शामिल है, वर्तमान में कार्य कर रहे हैं जिन्होंने 31.10.2021 तक 64,217 मामलों का निपटान किया है । 1572.86 करोड़ रुपए जिसमें 971.70 करोड़ रुपए केन्द्रीय शेयर शामिल है, के कुल व्यय पर अतिरिक्त दो वर्ष (2021-23) के लिए एफटीएससी स्कीम को जारी रखने का अनुमोदन किया है ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं 3429
जिसका उत्तर शुक्रवार, 17 दिसम्बर, 2021 को दिया जाना है

न्यायिक अवसंरचना के विकास हेतु केंद्र प्रायोजित योजना की समीक्षा

3429. श्री खगेन मुर्मु :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से सहमत है कि कानून लागू करने और अर्थव्यवस्था में भरोसा उत्पन्न करने के लिए सुदृढ़ न्यायपालिका आवश्यक और साथ ही न्यायालयों के भौतिक, डिजिटल और मानव अवसंरचना को सुदृढ़ बनाकर काफी हद तक लंबितता, विलंब और बैकलॉग के मुद्दों का समाधान किया जा सकता है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार द्वारा न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक विकास और न्यायिक अवसंरचना के उन्नयन में हो रहे विलंब हेतु उत्तरदायी कारकों का समाधान करने के लिए केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) की समीक्षा करने के लिए पहले की गई हैं/ की जा रही हैं ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ख) : विभिन्न न्यायालयों में लंबित वादों का निपटारा न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में है । न्यायालयों में वादों का समय से निपटारा विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, न्यायधीशों और न्यायिक अधिकारियों की पर्याप्त संख्या की उपलब्धता, सहायक न्यायालय कर्मचारीवृन्द और भौतिक अवसंरचना, साक्ष्य की प्रकृति, पणधारियों का सहयोग, अर्थात् बार, अन्वेषण एजेंसिओं, साक्षियओं और कक्षाकारों तथा नियमों और प्रक्रियाओं का उचित अनुप्रयोग सहित तथ्यों की जटिलता शामिल है । विभिन्न कारक हैं जिनके कारण मामलों के निपटान में देरी हो रही है । इसमें अन्य बातों के साथ-साथ न्यायाधीशों की रिक्तियां, बार-बार स्थगन और सुनवाई के लिए निगरानी, ट्रैक और एकत्र मामलों के लिए पर्याप्त व्यवस्था की कमी शामिल है । केन्द्रीय सरकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार मामलों के त्वरित निपटान करने और लंबितता को कम करने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है । सरकार ने न्यायपालिका द्वारा मामलों के त्वरित निपटान के लिए पारिस्थितिकी तंत्र का उपबंध करने के लिए विभिन्न पहल की है । न्यायिक प्रदाय और विधिक सुधार राष्ट्रीय मिशन तंत्र को, देरी और बकाया को कम करने के

द्वारा पहुंच बढ़ाने और संरचनात्मक परिवर्तनों के माध्यम से जवाबदेही बढ़ाने और प्रदर्शन मानकों और क्षमताओं को स्थापित करने के दोहरे उद्देश्य के साथ, 2011 में स्थापित किया गया था । मिशन ने न्यायिक प्रशासन ने बकाया और लंबितता के चरणबद्ध परिसमापन के लिए समन्वय पहुंच का पालन किया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कम्पूटरीकरण, अधीनस्थ न्यायपालिका की संख्या में वृद्धि, अत्यधिक मुकदमेबाजी वाले क्षेत्रों, नीति और विधायी मानकों, मामलों के त्वरित निपटान के लिए न्यायालय की पुन: इंजिनीयरींग और मानव संसाधन विकास पर जोर सहित न्यायालयों के लिए बेहतर अवसंरचना शामिल है ।

(ग) से (ङ) : न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास का प्राथमिक उत्तरदायित्व राज्य सरकार के हाथों में है । राज्य सरकार के संसाधनों में वृद्धि करने के लिए संघ सरकार ने विहित निधि हिस्सा बांटने की पद्धति में राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्रों के लिए वित्तीय सहायता का उपबंध करने द्वारा जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए केन्द्रीय रुप से प्रायोजित योजना का क्रियान्वयन किया है । यह स्कीम वर्ष 1993-94 से क्रियान्वित की जा रही है । आज तक केन्द्रीय सरकार ने राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को इस स्कीम के अधीन 8709.77 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं । स्कीम समय-समय पर बढ़ाई गई है । इस स्कीम के अधीन, जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका के न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय ईकाइयों और न्यायालय भवनों के संन्निर्माण के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा निधियां जारी की जाती है । सरकार ने उपर्युक्त योजना को, और पांच वर्षों की अवधि के लिए, 01.04.2021 से 31.03.2026 तक 9000 करोड़ रुपए के कुल बजटीय परिव्यय के साथ, बढ़ाया है जिसके अंतर्गत 5307 करोड़ रुपए का केन्द्रीय हिस्सा शामिल है । स्कीम संघटकों को, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में शौचालयों, डिजिटल कम्पूटर कक्षों और वकीलों के हालों के निर्माण को सम्मिलित करते हुए बढ़ाया हैं और 47.00 करोड़ रुपए जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में शौचालय परिसरों के निर्माण के लिए अनुमोदित किए हैं ।

उच्च न्यायालयों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार इस समय, 01.12.2021 को 20,595 न्यायालय हॉल और 18,078 आवासीय ईकाइयां जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में उपलब्ध हैं । इसके अतिरिक्त 2846 न्यायालय हॉल और 1775 आवासीय ईकाइयां संन्निर्माणाधीन हैं ।

न्यायालयों की डिजिटल अवसंरचना में सुधार करने के लिए सरकार ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना भी कार्यान्वित कर रहीं है । सरकार ने जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की सूचना और संसूचना प्रौद्योगिकी समर्थ करने के लिए पूरे देश में ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना कार्यान्वित की है । कम्पूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की संख्या 01.07.2021 को 18,735 तक बढ़ाई गई है । न्यायालय परिसरों को 98.7 प्रतिशत डब्यूएएन संयोजकता उपलब्ध कराई गई है । मामला सूचना साफ्टवेयर का नया और उपयोक्ता अनुकूलन वर्जन सभी कम्पूटरीकृत जिलों और अधीनस्थ न्यायालयों पर विकसित और परिनियोजित किया गया है । सभी पणधारी जिसमें न्यायिक अधिकारी शामिल हैं, राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रीड (एनजेडीजी) पर कम्पूटरीकृत जिलों और अधीनस्थ न्यायालयों तथा उच्च न्यायालयों की न्यायिक कार्यवाहियों/निर्णयों से संबंधित सूचना तक पहुंच कर सकते हैं । 01.11.2021 तक कक्षाकार इन न्यायालयों से संबंधित 19.56 करोड़ मामलों और 15.72 करोड़ आदेशों/निर्णयों पर मामले की प्रास्थिति तक पहुंच कर सकते है । ई-न्यायालय सेवाएं जैसे मामलों के रजिस्ट्रीकरण के ब्यौरे हेतुक सूची, मामला प्रास्थिति, दैनिक आदेश और

अंतिम निर्णय सभी कम्प्यूटरीकृत न्यायालयों, ई-न्यायालय मोबाइल ऐप, ई-सेवा, एसएमएस पुश एण्ड पुल सेवा में ई-न्यायालय वेब पोर्टल, न्यायिक सेवा केन्द्र (जेएससी) के माध्यम से कक्षीकारों और अधिवक्ताओं को उपलब्ध है । वीडियो कांफ्रेसिंग सुविधा 3240 न्यायालय परिसरों और 1272 तत्स्थानी जेलों के बीच प्रदान की गई है । कोविड–19 की चुनौतियों को बेहतर ढ़ंग से हैंडल करने और वर्चुअल सुनवाई को आसान बनाने के लिए, मामले की प्रास्थिति, निर्णय/आदेश प्राप्त करने, सूचना और ई-फाइलिंग सुविधा से संबंधित न्यायालय/मामलों से अधिवक्ताओं और कक्षीकारों को आवश्यक सहायता की पहुँच को सुकर बनाने के लिए न्यायालय परिसरों पर 235 ई-सेवा केन्द्रों को स्थापित करने के लिए निधि उपलब्ध कराई गई है । 5.01 करोड़ रुपए वर्चुअल सुनवाई सुविधा के लिए विभिन्न न्यायालय परिसरों में वीडियो कांफ्रेसिंग कॅबिन में उपस्कर उपलब्ध कराने के लिए आबंटित किए गए हैं । 12.12 करोड़ रुपए विभिन्न न्यायालय परिसरों में ई-फाइलिंग के लिए 1732 सहायता डेस्क काउंटर हेतु आबंटित किए गए हैं । पंद्रह वर्चुअल न्यायालय यातायात अपराधों के विचारण के लिए 11 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों अर्थात् दिल्ली (2), हरियाणा, तमिलनाडु, केरल (2), महाराष्ट्र (2), असम, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर (2), उत्तर प्रदेश और ओड़िशा में स्थापित किए गए हैं । 01.11.2021 तक इन न्यायालयों ने 99 लाख से अधिक मामले हैंडल किए हैं और 193.15 करोड़ रुपए से अधिक जुर्माना किया है ।

कोविड लाकडाउन अवधि के दौरान न्यायालयों के मुख्य आधार के रूप में वीडियो कांफ्रेसिंग का आविर्भाव हुआ है क्योंकि सामुहिक रीति में कायिक सुनवाई और सामान्य कोर्ट प्रक्रिया संभव नहीं थी। केवल वीडियो कांफ्रेसिंग का उपयोग करते हुए 31.10.2021 तक कोविड लाकडाउन के प्रारंभ से जिला न्यायालयों ने 1,01,77,289 मामलों की सुनवाई की है जबकि उच्च न्यायालयों ने 55,24,021 मामलों की (कुल 1.57 करोड़) सुनवाई की है। उच्चतम न्यायालय ने लाकडाउन अवधि से 29.10.2021 तक 1,50,692 की सुनवाई की थी ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं *289
जिसका उत्तर शुक्रवार, 17 दिसम्बर, 2021 को दिया जाना है

ग्राम न्यायालय

***289 श्री विद्युत बरन महतो :**

श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देशभर में स्थायी ग्राम न्यायालयों की स्थापना की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ख) क्या सरकार का विचार सुविधा-वंचित नागरिकों के लिए त्वरित एवं सुलभ न्याय सुनिश्चित करने हेतु नए न्यायिक अधिकारियों के लिए इन ग्राम न्यायालयों में सेवाएं प्रदान करना अनिवार्य बनाए जाने का है ;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ग्राम न्यायालयों को संसाधनों के आवंटन सहित तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है ; और

(घ) सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के समक्ष अधीनस्थ/उच्च न्यायालयों से न्याय मिलने में आने वाली कठिनाइयों को न्यूनतम करने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए है/उठाए जा रहे हैं क्योंकि ये लोग न्यायालयों से बहुत दूर स्थित दूर-दराज के क्षेत्रों में रहते हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (घ) : एक विवरण संसद के पटल पर रख दिया गया है ।

लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *289 जिसका उत्तर तारीख 17 दिसम्बर, 2021 को दिया जाना है, के भाग (क) से (घ) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

(क) से (घ) : नागरिकों को उनकी दहलीज पर न्याय तक पहुंच प्रदान करने के लिए, केन्द्रीय सरकार ने ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 अधिनियमित किया है । यह मध्यवर्ती पंचायत स्तर पर ग्राम न्यायालयों की स्थापना के लिए उपबंध करता है । राज्य सरकारें, संबंधित उच्च न्यायालयों के परामर्श से, ग्राम न्यायालयों की स्थापना के लिए उत्तरदायी हैं । न्याय विभाग ने इन ग्राम न्यायालयों में सेवा करने हेतु नए न्यायिक अधिकारियों के लिए इसे अज्ञापक बनाने के लिए काई निदेश जारी नहीं किए हैं क्योंकि ग्राम न्यायालयों में न्यायधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र के भीतर आती है ।

राज्य सरकारों/उच्च न्यायालयों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, 15 राज्यों द्वारा अब तक 476 ग्राम न्यायालय अधिसूचित किए गए हैं । जिसमें से 10 राज्यों में वर्तमान में 256 न्यायालय परिचालन में हैं । राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित परिचालित ग्राम न्यायालयों के राज्य-वार ब्यौरे और इस विभाग द्वारा जारी निधि की प्रास्थिति निम्नानुसार है :

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	अधिसूचित ग्राम न्यायालय	कार्यरत ग्राम न्यायालय	जारी की गई निधि (रु. लाख में)
1	मध्य प्रदेश	89	89	2456.40
2	राजस्थान	45	45	1240.98
3	केरल	30	30	828.00
4	महाराष्ट्र	36	23	660.80
5	ओड़िशा	23	19	337.40
6	उत्तर प्रदेश	113	43	1323.20
7	कर्नाटक	2	2	25.20
8	हरियाणा	2	2	25.20
9	पंजाब	9	2	25.20
10	झारखंड़	6	1	75.60
11	गोवा	2	0	25.20
12	आंध्र प्रदेश	42	0	436.82
13	तेलंगाना	55	0	693.00
14	जम्मू कश्मीर	20	0	0.00
15	लद्दाख	2	0	0.00
कुल		**476**	**256**	**8153.00**

ग्राम न्यायालय स्कीम का समय-समय पर मुल्यांकन किया गया है । हाल ही में स्कीम का तृतीय पक्ष मुल्यांकन नीति आयोग के माध्यम से किया गया था, जिसने स्कीम को जारी रखने की सिफारिश की थी । सरकार ने 50 करोड़ रूपये के बजटीय परिव्यय के साथ उपरोक्त स्कीम को तारीख 01.04.2021 से तारीख 31.03.2026 तक पांच वर्ष की और अवधि के लिए बढ़ा दिया है ।

केन्द्रीय सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करके ग्राम न्यायालयों को स्थापित करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करती रही है । स्कीम के अनुसार, केन्द्रीय सरकार 18 लाख रु. प्रति ग्राम न्यायालय की सीमा के अधीन ग्राम न्यायालयों के स्थापना के लिए अनावर्ती व्यय के संबंध में राज्यों को एकमुश्त सहायता प्रदान करती है । केन्द्रीय सरकार पहले तीन वर्षों के लिए प्रति ग्राम न्यायालय प्रति वर्ष 3.20 लाख रु. की सीमा के अध्यधीन रहते हुए इन ग्राम न्यायालयों के संचालन हेतु आवर्ती खर्चों के लिए भी सहायता प्रदान करती है ।

केन्द्रीय सरकार नियमित रूप से संबंधित राज्यों में ग्राम न्यायालयों को स्थापित करने के लिए राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों के साथ संपर्क बनाए हुए है । चालू वर्ष के दौरान, शीघ्रता से ग्राम न्यायालय स्थापित करने और ग्रामीण स्तर पर न्याय प्राप्त करने के लिए ग्रामीण जनसंख्या को समर्थ बनाने हेतु न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति करने के लिए उच्च न्यायालयों के महारजिस्ट्रार और राज्य सरकारों के विधि / ग्रह / वित्त सचिवों के बीच 05 (पांच) बैठकें की गई हैं ।

******

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं *291
जिसका उत्तर शुक्रवार, 17 दिसम्बर, 2021 को दिया जाना है

उच्चतम न्यायालय की क्षेत्रीय न्यायपीठें

***291. श्री अण्णासाहेब शंकर जोल्ले :**

श्री तेजस्वी सूर्याः

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न हिस्सों में उच्चतम न्यायालय की न्यायपीठों की स्थापना किए जाने से संबंधित कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ग) क्या दक्षिण भारत में उच्चतम न्यायालय की एक न्यायपीठ की स्थापना करने के लिए बेंगलुरू को एक उपयुक्त विकल्प माना गया है और यदि हां, तो इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ग) : एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

<u>'उच्चतम न्यायालय की क्षेत्रीय न्यायापीठें' से संबंधित लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या *291 जिसका उत्तर तारीख 17.12.2021 को दिया जाना है, के उत्तर के भाग (क) से (ग) में निर्दिष्ट विवरण</u>

संविधान का अनुच्छेद 130 यह उपबंधित करता है कि उच्चतम न्यायालय दिल्ली में अथवा ऐसे अन्य स्थान या स्थानों में अधिविष्ट होगा जिन्हें भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, राष्ट्रपति के अनुमोदन से समय-समय पर, नियत करे ।

11वें विधि आयोग ने वर्ष 1988 में प्रस्तुत "सुप्रीम कोर्ट-ए फ्रैश लुक" शीर्षक वाली अपनी 125वीं रिपोर्ट में, 10वें वित्त आयोग द्वारा अपनी 95वीं रिपोर्ट में उच्चतम न्यायालय को दो भागों में विभाजित करने की सिफारिशों को पुन: दोहराया था अर्थात् (i) दिल्ली में संविधानिक पीठ और (ii) उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी और केंद्रीय भारत में अपील न्यायालय या फेडरल न्यायालय की पीठें । विधि आयोग ने भी अपनी 229वीं रिपोर्ट में यह सुझाव दिया था कि संवैधानिक पीठ दिल्ली में स्थापित की जानी चाहिए और चार अपील न्यायपीठें उत्तरी क्षेत्र में दिल्ली, दक्षिणी क्षेत्र में चैन्नई/हैदराबाद में, पूर्वी क्षेत्र में कोलकाता और पश्चिमी क्षेत्र में मुम्बई में स्थापित की जानी चाहिए ।

यह मामला भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को निर्दिष्ट किया था जिन्होंने सूचित किया है कि मामले पर विचार करने के पश्चात् पूर्ण न्यायालय ने तारीख 18 फरवरी, 2010 को आयोजित अपनी बैठक में दिल्ली के बाहर उच्चतम न्यायालय की न्यायपीठों की स्थापना करने को न्यायोचित नहीं पाया है ।

राष्ट्रीय अपील न्यायालय की स्थापना पर 2016 की रिट याचिका संख्या 36 में भारत के उच्चतम न्यायालय में अपने तारीख 13.07.2016 के अपने निर्णय में उपरोक्त उल्लिखित मामले को प्राधिकारपूर्ण निर्णय के लिए संविधानिक न्याय पीठ को निर्दिष्ट करना उचित समझा था ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं *297
जिसका उत्तर शुक्रवार, 17 दिसम्बर, 2021 को दिया जाना है

कुटुंब न्यायालय

***297. श्री रवि किशन :**

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में राज्य-वार कितने कुटुंब न्यायालय कार्यरत हैं ;

(ख) इन न्यायालयों में गत तीन वर्षों के दौरान कितने मामले दर्ज हुए हैं ;

(ग) ऐसे न्यायालयों द्वारा राज्य-वार कितने मामलों का निपटान किया गया और कितने मामले लंबित हैं ; और

(घ) सरकार द्वारा देश में ऐसे मामलों के त्वरित निपटान हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (घ) : एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

'कुटुंब न्यायालय' से संबंधित लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *297 जिसका उत्तर तारीख 17 दिसम्बर, 2021 को दिया जाना है, के भाग (क) से (घ) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

(क) : उच्च न्यायालयों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, वर्तमान में, संपूर्ण देश में 732 कुटुम्ब न्यायालय कार्यरत हैं। कार्यरत कुटुम्ब न्यायालयों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र वार ब्यौरा **उपाबंध-1** पर है।

(ख) : उच्च न्यायालयों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, कुटुम्ब न्यायालयों में फाइल किए गए मामलों की संख्या **उपाबंध–2** पर दी गई है।

(ग) : उच्च न्यायालयों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, कुटुम्ब न्यायालयों द्वारा निपटाए गए मामलों और लंबित मामलों की संख्या **उपाबंध–3** पर दी गई है।

(घ) : कुटुम्ब न्यायालयों सहित न्यायालयों में लम्बित मामलों का निपटारा न्यायपालिका के कार्यक्षेत्र में आता है । संबंधित न्यायालयों द्वारा मामलों के निपटारे के लिए कोई समय-सीमा विहित नहीं की गई है । तथापि, केन्द्रीय सरकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार मामलों के त्वरित निपटारे तथा लंबित मामलों को कम करने के लिए पूर्णतया प्रतिबद्ध है । तदनुसार, न्यायपालिका द्वारा मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए एक पारिस्थितिक प्रणाली प्रदान करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं ।

न्याय परिदान और विधिक सुधार के लिए राष्ट्रीय मिशन का गठन अगस्त, 2011 में, प्रणाली में विलम्ब और बकाया को कम करके और संरचनात्मक परिवर्तनों के माध्यम से जबावदेही बढ़ाकर तथा निष्पादन मानक और क्षमता को नियत करके दोहरे उद्देश्यों के साथ किया गया था । यह मिशन, न्यायिक प्रशासन में बकाया और लंबन का चरणबद्ध परिसमापन करने के लिए एक समन्वित पहुंच अपना रहा है, जिसमें अन्य बातों के साथ, न्यायालयों के लिए बेहतर अवसंरचना, जिसके अन्तर्गत कम्प्यूटरीकरण, अधीनस्थ न्यायपालिका की संख्या में वृद्धि, अत्यधिक मुकदमेबाजी वाले क्षेत्रों में नीतिगत और विधायी उपाय, मामलों के त्वरित निपटारे के लिए न्यायालय प्रक्रिया का पुनः प्रबंधन तथा मानव संसाधन के विकास पर जोर देना भी सम्मिलित है ।

****

उपाबंध-1

कार्यरत कुटुम्ब न्यायालयों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार प्रास्थिति (31.10.2021 के अनुसार)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यों के नाम	कार्यरत न्यायालयों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	16
2	अंडमान और निकोबार द्वीप	0
3	अरुणाचल प्रदेश	0
4	असम	7
5	बिहार	37
6	चंडीगढ़	0
7	छत्तीसगढ	26
8	दादरा और नगर हवेली	0
9	दिल्ली	21
10	दीव और दमण	0
11	गोवा	0
12	गुजरात	33
13	हरियाणा	31
14	हिमाचल प्रदेश	3
15	जम्मू - कश्मीर	0
16	झारखंड	24
17	कर्नाटक	39
18	केरल	28
19	लद्दाख	0
20	लक्षद्वीप	0
21	मध्य प्रदेश	33
22	महाराष्ट्र	40
23	मणिपुर	4
24	मेघालय	0
25	मिजोरम	0
26	नागालैंड	2
27	ओड़िशा	26
28	पुडुचेरी	2
29	पंजाब	32
30	राजस्थान	47
31	सिक्किम	4
32	तमिलनाडु	39
33	तेलंगाना	20
34	त्रिपुरा	9
35	उतार प्रदेश	189
36	उत्तराखंड	18
37	पश्चिमी बंगाल	2
	कुल	**732**

उपाबंध-2

कुटुम्ब न्यायालयों में फाइल किए गए मामलों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार प्रास्थिति (31.10.2021 के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष 2019 के दौरान फाइल किए गए मामलें	वर्ष 2020 के दौरान फाइल किए गए मामलें	वर्ष 2021 के दौरान फाइल किए गए मामलें (अक्तूबर, 2021 तक)
1	आंध्र प्रदेश	7421	3343	5880
2	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	4688
3	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0
4	असम	5574	2732	2227
5	बिहार	24377	11969	13298
6	चंडीगढ़	0	0	535
7	छत्तीसगढ	15069	5346	10194
8	दादरा और नागर हवेली	0	0	0
9	दिल्ली	37978	19256	22108
10	दीव और दमण	0	0	0
11	गोवा	0	0	6522
12	गुजरात	27529	14041	15696
13	हरियाणा	59033	29646	26914
14	हिमाचल प्रदेश	14745	7324	1828
15	जम्मू - कश्मीर	0	0	1995
16	झारखंड	12052	6215	11293
17	कर्नाटक	25114	16618	25885
18	केरल	60338	43022	36877
19	लद्दाख	0	0	0
20	लक्षद्वीप	0	0	0
21	मध्य प्रदेश	37948	15950	21629
22	महाराष्ट्र	29993	19554	25071
23	मणिपुर	887	342	9153
24	मेघालय	0	0	108
25	मिजोरम	0	0	1033
26	नागालैंड	147	82	3571
27	ओड़िशा	13345	8038	7252
28	पुडुचेरी	751	668	598
29	पंजाब	70374	23630	61741
30	राजस्थान	39935	21518	17703
31	सिक्किम	277	179	179
32	तमिलनाडु	21660	16316	14474
33	तेलंगाना	9252	5733	7494
34	त्रिपुरा	2893	1512	12823
35	उतार प्रदेश	305487	190709	117233
36	उत्तराखंड	11238	9508	7865
37	पश्चिमी बंगाल	721	298	905
	कुल	**834138**	**473549**	**494817**

उपाबंध-3

कुटुम्ब न्यायालयों में निपटाए गए मामलों और लंबित मामलों की संख्या की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार प्रास्थिति

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य	वर्ष 2019 के दौरान निपटाए गए मामलें	वर्ष 2020 के दौरान निपटाए गए मामलें	वर्ष 2021के दौरान निपटाए गए मामलें (अक्तूबर, 2021 तक)	31 अक्तूबर 2021 तक लंबित मामलें
1	आंध्र प्रदेश	4827	2286	1360	10069
2	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0
3	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0
4	असम	7364	1574	2801	9688
5	बिहार	15336	5729	6671	67954

6	चंडीगढ़	0	0	0	0
7	छत्तीसगढ	9236	3737	7745	17758
8	दादरा और नागर हवेली	0	0		0
9	दिल्ली	17638	5691	19027	38268
10	दीव और दमण	0	0	0	0
11	गोवा	0	0	0	0
12	गुजरात	13754	8918	17736	35977
13	हरियाणा	14909	18187	25112	63459
14	हिमाचल प्रदेश	5570	7331	2447	5138
15	जम्मू - कश्मीर	47	0	0	0
16	झारखंड	6836	3537	4126	19184
17	कर्नाटक	11645	8988	17645	40169
18	केरल	25309	23067	35149	113706
19	लद्दाख	0	0	0	0
20	लक्षद्वीप	0	0	0	0
21	मध्य प्रदेश	15596	9922	15350	36308
22	महाराष्ट्र	65302	11774	21199	64907
23	मणिपुर	466	311	150	973
24	मेघालय	0	0	0	0
25	मिजोरम	146	0	0	0
26	नागालैंड	41	88	130	146
27	ओड़िशा	4754	4159	5806	44460
28	पुडुचेरी	471	374	659	1512
29	पंजाब	10249	14811	31433	82135
30	राजस्थान	16941	15731	19965	48904
31	सिक्किम	173	128	216	268
32	तमिलनाडु	14478	8840	9138	32984
33	तेलंगाना	9857	3451	9106	18144
34	त्रिपुरा	1801	1026	2203	3349
35	उत्तर प्रदेश	266775	112214	134574	406686
36	उत्तराखंड	4379	3588	8751	16359
37	पश्चिमी बंगाल	8484	229	96	1166
	कुल	**552384**	**275691**	**398595**	**1179671**

****